



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 4/2026-सीडीएस I

दिनांक: 10.12.2025

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 30.12.2025)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026

[एसएससी महिला (गैर-तकनीकी) पाठ्यक्रम सहित]

(आयोग की वेबसाइट <https://upsc.gov.in>)

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने के ऑन-लाइन आवेदन पोर्टल के चार काइर्स/मॉड्यूल हैं जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा काइर्स/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट <https://upsonline.nic.in> का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। जहाँ एक ओर यूआरएन एक ही रहेगा और वहीं हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल इस पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने में कोई परेशानी न हो।

आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा।

2. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://upsonline.nic.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेनू बार में उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> पर उपलब्ध “अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न” (एफएक्यू) > प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर” में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

2.1 अपना आवेदन जमा करने के पश्चात उम्मीदवार को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

2.2 इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इसी पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

2.3 आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए आईडी दस्तावेज के रूप में आवेदकों को अपने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन 30.12.2025 को शाम 06.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य-दिवस पर ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जो उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in>

पर उपलब्ध होंगे। प्रवेश-पत्र किसी अन्य माध्यम जैसे कि डाक या ई-मेल से नहीं भेजे जाएंगे।

4. ओएमआर पत्रक में उत्तर चिह्नित करना

ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और उत्तर चिह्नित करने के लिए उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि ओएमआर शीट में विवरण को एनकोड करने/भरने में विशेषकर अनुक्रमांक और परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में कोई भी त्रुटि/चूक/विसंगति होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए “विशिष्ट अनुदेश” को ध्यान से पढ़ें।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

6. ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)

यह आयोग उम्मीदवारों को सात दिन (एक सप्ताह) की समय सीमा के भीतर अर्थात् परीक्षा की तारीख के अगले दिन से सातवें दिन सायं 06.00 बजे तक परीक्षा के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ऐसे अभ्यावेदन यूआरएल <https://upsconline.gov.in/miscellaneous/QPRep/> के माध्यम से “ऑनलाइन प्रश्न – पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)” द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएं। ई – मेल/डाक/दस्ती रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से भेजे गए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार किया नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा उम्मीदवार के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। 7 दिन की इस विंडो की अवधि समाप्त होने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. उम्मीदवार के लिए हेल्पलाइन

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार हेल्पलाइन 011-24041001 या ई-मेल आईडी-upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो की समयावधि के दौरान अर्थात् 10.12.2025 से 30.12.2025 तक सभी कार्यदिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक सक्रिय रहेगी। आवेदक शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का प्रयोग कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :

(क) किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री, चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित

उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से विवर्जित भी किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में बैग, मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान/महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर नहीं लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सामान की सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. कृपया, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ में दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में बताए गए अनुसार फोटोग्राफ अपलोड करने से संबंधित अनुदेशों का पालन करें।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी विलंब से परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचें।

उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

“सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

फा.सं.08/02/2025 - प.1 (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 12 अप्रैल, 2026 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2026 आयोजित की जाएगी।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की अनुमानित संख्या (नोट-III देखें)
1.	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून -जनवरी, 2027 में प्रारंभ होने वाला 162 वां (डीई) पाठ्यक्रम [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) धारकों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियों सहित]	100
2.	भारतीय नौसेना अकादमी, एड्डीमला -जनवरी, 2027 में प्रारंभ होने वाला कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा) /हाइड्रो [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (नौसेना स्कंध) धारकों के लिए आरक्षित 06 रिक्तियों और हाइड्रो के लिए- 1 सहित]	26
3.	वायु सेना अकादमी, हैदराबाद -जनवरी, 2027 में प्रारंभ होने वाला (उड़ान पूर्व) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्थात 221 वां एफ (पी) पाठ्यक्रम [एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (वायु सेना स्कंध) धारकों के लिए एनसीसी विशेष प्रविष्टि (एंटी) के माध्यम से आरक्षित 03 रिक्तियों सहित]	32
4.	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) अप्रैल, 2027 में आरंभ होने वाला 125 वाँ एसएससी (पुरुष) (एनटी) (यूपीएससी) पाठ्यक्रम।	275
5.	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) -अप्रैल, 2027 में आरंभ होने वाला 125 वाँ एसएससी (महिला) (एनटी) (सं.लो.से.आ.) पाठ्यक्रम।	18
	कुल	451

टिप्पणी: (i) भारतीय सेना मौजूदा और भविष्य के परिदृश्यों में यथापरिकल्पित बल की प्रचालनात्मक और प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रवेश के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग रिक्तियां प्रकाशित करती है। यद्यपि एसएससी (एनटी) पाठ्यक्रमों के लिए पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों के लिए रिक्तियां एक समान अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित की जा रही हैं और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक समान लिखित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है, एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिलाएं की प्रविष्टियां अलग-अलग हैं और अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार इन दोनों श्रेणियों के लिए चयन केवल लैंगिक पद्धति (जेंडर प्योर) से पृथक-पृथक रूप से किए जाते हैं एसएससी (एनटी) पुरुष और एसएससी (एनटी) महिला श्रेणियों के लिए लिखित परिणाम और अंतिम मेरिट सूची की तैयारी भी अधिसूचित रिक्ति के अनुसार अलग से की जाएगी।

टिप्पणी: (ii) परीक्षा के आयोजन की उपरोक्त तारीख में आयोग के विवेकानुसार आवश्यकता होने पर परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पणी: (iii) उपरोक्त रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं तथा सेवा मुख्यालय द्वारा संगठन की आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

ध्यान दें: (I) (क) उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा विशिष्ट माँड्यूल के संबंधित कॉलम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह अपने वरीयता क्रम में किन-किन सेवाओं पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं। पुरुष उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में दी गई शर्तों के अधीन जितनी चाहे वरीयता दे सकते हैं, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

(ख) (i) यदि कोई पुरुष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने एकमात्र विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम के प्रतियोगी पुरुष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) महिला उम्मीदवारों पर केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही विचार किया जा रहा है। उन्हें ओ.टी.ए. को ही अपनी एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ग) जो उम्मीदवार वायु सेना अकादमी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें प्रथम वरीयता के रूप में एएफए का उल्लेख करना होगा, क्योंकि उन्हें केंद्रीय प्रतिष्ठान/विमानन चिकित्सा संस्थान में कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली परीक्षण (सीपीएसएस) और/या और एएफ मेडिकल जांच करानी होगी। एएफए के लिए द्वितीय/तृतीय आदि के रूप में दी गई वरीयता मान्य नहीं होगी।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन पर केवल उन पाठ्यक्रमों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी पाठ्यक्रमों (कोर्सों) के लिए नहीं। सेवा आबंधन पर विचार किए जाने हेतु उम्मीदवार द्वारा कम से कम एक वरीयता का चयन करना अनिवार्य है।

(ड.) किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं में वृद्धि/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचना की बार-बार पुष्टि किए जाने के मद्देनजर आयोग ने इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने और आवेदन विंडो बंद होने के बाद आवेदन के प्रपत्र के किसी भाग (भागों) में सुधार करने की सुविधा न देने का निर्णय लिया है। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेवा मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य सभी वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें: (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष सभी उम्मीदवार, जिन्हें रिक्तियों की कमी के कारण उक्त पाठ्यक्रमों के लिए शामिल नहीं किया जा सका था, उन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसएससी (एनटी) के लिए विचार किया जाएगा, चाहे उन्होंने इस पाठ्यक्रम के लिए अपना विकल्प दिया हो या नहीं: -

(i) एसएससी (एनटी) के लिए आवेदन करने वाले तथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के बाद, रिक्तियां उपलब्ध हों तो।

(ii) अंतिम रूप से अर्हता प्राप्त शेष उम्मीदवार, एसएससी (एनटी) ज्वाइन करने के इच्छुक हों।

(iii) अंतिम रूप से अर्हक एवं इच्छुक ऐसे उम्मीदवारों को एसएससी (एनटी) का चयन करने वाले अंतिम उम्मीदवार के बाद उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अध्यधीन योग्यताक्रम में रखा जाएगा। तदनुसार, ऐसे शेष उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा।

टिप्पणी-1: एनसीसी [सेनास्कंध (वरिष्ठप्रभाग) / वायुसेनास्कंध/नौसेनास्कंध] के 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्यक्रमों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस पाठ्यक्रम में कोई आरक्षण नहीं है, अतः इस पाठ्यक्रम में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र [सेनास्कंध (वरिष्ठप्रभाग) / वायुसेनास्कंध/नौसेनास्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेनास्कंध (वरिष्ठप्रभाग) / वायुसेनास्कंध/नौसेनास्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एंट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक-III, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना को प्रथम विकल्प के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) / डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को 13 नवंबर, 2026 तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर कैडेट डिवीजन सेना स्कंध/ वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से निर्मुक्त हुए 24 माह से अधिक समय न हुआ हो।

टिप्पणी-2 : भारतीय सैनिक अकादमी पाठ्यक्रम/वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम/भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम में एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) धारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के मामले में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यक्रमों, (ख) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश, (ग) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (घ) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट - I, II, III, IV, और V में दी गई है।

2. परीक्षा केन्द्र:

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:

1	अगरतला	28	गाजियाबाद	55	नवी मुंबई
2	आगरा	29	गोरखपुर	56	पणजी(गोवा)
3	अजमेर	30	गुरुग्राम	57	पटना
4	अहमदाबाद	31	ग्वालियर	58	श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर)
5	आइजोल	32	हैदराबाद	59	प्रयागराज (इलाहाबाद)
6	अलीगढ़	33	इंफाल	60	पुडुचेरी
7	अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	34	इंदौर	61	पुणे
8	अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	35	ईटानगर	62	रायपुर
9	छत्रपति संभाजीनगर [औरंगाबाद (महाराष्ट्र)]	36	जबलपुर	63	राजकोट
10	बेंगलुरु	37	जयपुर	64	रांची
11	बरेली	38	जम्मू	65	संबलपुर
12	भोपाल	39	जोधपुर	66	शिलांग
13	भुवनेश्वर	40	जोरहाट	67	शिमला
14	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	41	कारगिल	68	सिलिगुड़ी
15	चंडीगढ़	42	कोच्चि	69	श्रीनगर
16	चेन्नई	43	कोहिमा	70	श्रीनगर (उत्तराखंड)
17	कोयंबटूर	44	कोलकाता	71	सूरत
18	कटक	45	कोझीकोड (कालीकट)	72	ठाणे
19	देहरादून	46	लेह	73	तिरुवनंतपुरम
20	दिल्ली	47	लखनऊ	74	तिरुचिरापल्ली
21	धर्मशाला	48	लुधियाना	75	तिरुपति
22	धारवाड़	49	मदुरै	76	उदयपुर
23	दिसपुर	50	मंडी	77	वाराणसी
24	फरीदाबाद	51	मुंबई	78	वेल्लोर
25	गंगटोक	52	मैसूर	79	विजयवाड़ा
26	गया	53	नागपुर	80	विशाखापटनम
27	गौतमबुद्धनगर	54	नासिक	81	हनुमानकोंडा (वारंगल अर्बन)

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आबंटन 'पहले आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी एक केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट: उम्मीदवार को अपने परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गए केन्द्र/पेपर के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/पेपर में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार या तो

- (i) भारत का नागरिक हो, या
- (ii) नेपाल की प्रजा हो, या
- (iii) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

बशर्ते कि उपर्युक्त (ii) और (iii) श्रेणियों के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र अनिवार्य है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति: -

(i) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए: केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जनवरी, 2003** से पहले का तथा **01 जनवरी, 2008** के बाद का न हो।

(ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए: केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जनवरी, 2023** से पहले का तथा **01 जनवरी, 2008** के बाद न हुआ हो।

(iii) वायु सेना अकादमी के लिए:

आयु : वे उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनकी आयु 01 जनवरी, 2027 को 20 से 24 वर्ष है अर्थात् उनका जन्म 02 जनवरी, 2003 से पहले का तथा 01 जनवरी, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए (डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष तक शिथिलनीय है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी, 2001 से पहले का तथा 01 जनवरी, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए।

नोट: 25 वर्ष की आयु से कम के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ परिसर से बाहर रह सकते हैं।

(iv) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी पाठ्यक्रम) : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं, जिनका जन्म 02 जनवरी, 2002 से पहले का तथा 01 जनवरी, 2008 के बाद का न हो।

(v) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम) : अविवाहित महिलाएं, निस्संतान विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा निस्संतान तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म 02 जनवरी, 2002 से पहले का तथा 01 जनवरी, 2008 के बाद न हुआ हो।

नोट: तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एफए/ओटीए, चेन्नई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं माने जाएंगे और तदनुसार वे इन पाठ्यक्रमों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज उद्धरण जो विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्रों में दाढ़ हो। आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सैकेंडरीस्कूलपरीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सैकेंडरीस्कूलपरीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सैकेंडरीस्कूलपरीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी-1: उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3: उम्मीदवारों को यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी स्तर पर, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि और उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो नियमावली के अधीन आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं:

(i) भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के लिए: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(ii) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(iii) वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकोंको ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं और उन्हें पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो एकीकृत, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) मुख्यालय, सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक - III आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओ आई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(i) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जनवरी, 2027 को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जनवरी, 2027 को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 नवंबर, 2026 को या उससे पहले।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अप्रैल, 2027 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-I: जिन उम्मीदवारों को अभी उनकी डिग्री परीक्षा पास करनी शेष हो, उन्हें तभी पात्र माना जाएगा यदि वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त की जानी शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशिष्ट छूट है। उनके लिए निर्धारित तिथि तक, उनके द्वारा डिग्री परीक्षा पास किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को इस आधार पर, कि मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित की गई; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब हुआ; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-II : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से विवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-III: यदि वायु सेना के उम्मीदवारों को 'फ्लाइंग' सीखने में विफलता के कारण 'फ्लाइंग' प्रशिक्षण से निलंबित कर दिया जाता है, तो उन्हें भारतीय वायुसेना की नेविगेशन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह, रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवारों को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (I), 2026 में प्रवेश के लिए परिशिष्ट-III में दिए गए शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4.शुल्क:

उम्मीदवारों (/अ.जा./अ.ज.जा./ सभी महिला उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) को 200/-रु. (केवल दो सौ रुपए) शुल्क के रूप में वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी- 1 : उम्मीदवार यह नोट कर लें कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो मान्य है और न ही स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-2: एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-3 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें भुगतान का फर्जी मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से दस दिन के भीतर दस्ती रूप में अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर

शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉड्यूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑन-लाइन आवेदन करना होगा तथा जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित विभिन्न दावों के लिए अपेक्षित जानकारी और सहयोगी दस्तावेजक के साथ यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथा मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क एवं केन्द्र के साथ) जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी 1: आयोग उम्मीदवारों को एक बार अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

टिप्पणी 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव-फोटो कैप्चर:

आवेदकों द्वारा समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय अपने फोटोग्राफ अपलोड करना और लाइव-फोटोग्राफ कैप्चर करना अपेक्षित है। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि अपलोड की गई फोटोग्राफ और कैप्चर की गई लाइव-फोटोग्राफ आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> पर उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) > प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेश > फोटो और हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में पहले दी गई वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने और इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल के किसी भी भाग (भागों) में किसी भी सुधार/परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवारों द्वारा यथोचित तत्परता और सावधानी पूर्वक भरे जाने वाले विवरण में संशोधन के संबंध में आयोग द्वारा किसी प्रकार की पूछताछ, अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया को समय से पूरा किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

सभी उम्मीदवारों को, अपने आवेदन सीधे आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों सहित सरकारी सेवा में

अथवा निजी रोजगार में कार्यरत हों।

कृपया ध्यान दें-I पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियमित या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क चार्ज) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को, उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी : निर्धारित शुल्क (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों या अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

किसी भी स्थिति में ऐसी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होने जिसके मई, 2026 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो के बाद शीघ्र ही को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियों सहित तैयार रखें।

- (1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सैकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।
- (2) डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सैकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो

चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उन्हें घर वापिस भेज दिया जाएगा।

(1) यदि उनका कोई भी दावा गलत/असत्य/फर्जी/जाली पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त की है, अर्थात्:

- (i) अवैध परितोषण की पेशकश करना, या
- (ii) दबाव डालना, या
- (iii) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, या ब्लैकमेल करनेकी धमकी देना, या

(ख) प्रतिरूपण (इमपर्सोनेशन), अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाया जाना, अथवा

(घ) जाली/गलतदस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, अथवा

(ङ) आवेदन प्रपत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) ऐसे विवरण देना जो गलत या झूठे हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा रहे हैं, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का सहारा लेना, अर्थात्:

- (i) अनुचित साधनों से प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करना;
- (ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों के बारे में पता लगाना;
- (iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों को रखना अथवा उनका उपयोग करना; अथवा

(झ) स्क्रिप्ट में अक्षील बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा अप्रासंगिक बातें लिखना; अथवा

(ञ) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना जिसमें स्क्रिप्ट को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने, उत्पात मचाने और इस प्रकार की हरकत करने के लिए उकसाना; अथवा

(ट) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरणया प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथडिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वहबंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देने वालेई-प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन करना; या

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उन्हें करने के लिए प्रेरित करना,

ऐसे उम्मीदवार पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

- (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया जाएगा।
(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा और यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और
(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

नोट : यदि किसी उम्मीदवार के पास अनुचित साधन पाए जाते हैं या वह इसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो यह घटना परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में आगे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन 30 दिसम्बर, 2025 शाम 06.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।

7. आयोग/सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्राचार नहीं करेगा :

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य-दिवस पर ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट [<https://upsconline.gov.in>] पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके विवरण अर्थात् आवेदन आईडी तथा जन्मतिथि उपलब्ध होने चाहिए।
(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से सात दिन पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प डेस्क दूरभाष सं. 011-24041001 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई भी सूचना परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की असंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अंतिम होगा। यह सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

- (iii) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।
- (v) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबरमान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग/ सेना मुख्यालय से होने वाले सभी पत्राचार अनिवार्य रूप से ई-मेल - upscsoap@nic.in पर भेजे जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1.	परीक्षा का नाम और वर्ष।
2.	यूआरएन (यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या)
3.	आवेदन आईडी
4.	अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
5.	उम्मीदवार का नाम (पूरा और स्पष्ट शब्दों में)।
6.	टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो सहित, पत्राचार का पूरा पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।
7.	मान्य और सक्रिय पंजीकृत ई-मेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबर

कृपया ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

कृपया ध्यान दें : (ii) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कृपया ध्यान दें : (iii) आयोग द्वारा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशंसित वे उम्मीदवारजिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो, तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक - 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली- 110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों का आबंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट

www.joinindianarmy.nic.in देखें अथवा आईएमए या ओटीए को वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौसेना, डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 और वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को कार्मिक निदेशालय (अधिकारी), कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 23010231 एक्सटेंशन 7645/7646/7610 के पते पर लिखना चाहिए।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र में सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करें। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल वास्तविक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या officer-navy@nic.in पर ई मेल भेजें।

कृपया ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु जुलाई, 2026 के दूसरे सप्ताह तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु अक्टूबर, 2026 के दूसरे सप्ताह तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय / भर्ती सीडीएसई एंटी / एसएससी महिला एंटी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक - III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- (III) में उल्लिखित है (अगस्त, 2026 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)।

8. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से अर्हक उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हक होने वाले और सेना (आईएमए/ओटीए) को अपनी प्रथम वरीयता के रूप में रखने वाले उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने संबंधी सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को पंजीकृत करना अपेक्षित है। वे उम्मीदवार जो भर्ती निदेशालय की वेबसाइट पर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दोबारा पंजीकरण न कराएं। भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी इझीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है, चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो। सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही सभी उम्मीदवारों का पहले

स्तर का परीक्षण किया जाएगा। जो उम्मीदवार पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी: - (i) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्षा। (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टर्स के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने उपस्थित होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनके परीक्षण के दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उन्हें कोई चोट पहुंचती है, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो तो उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग स्वयं करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवार के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा।

परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसा भी मामला हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि से रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

परीक्षा के सभी चरणों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांक, मानक पूर्णांकन सिद्धांत, जहां भी लागू हो का प्रयोग करके दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करते समय टाई संबंधी सभी मामलों का समाधान करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित प्राप्तांकों पर विचार किया जाएगा।

टिप्पणी- 1 : वायु सेना तथा नौसेना उड़ान (एवियेशन) के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है। अतः, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त किया ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा। भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा आदतन चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं।

ऐसे उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने वायु सेना के लिए एक से ज्यादा स्रोतों के माध्यम से आवेदन किया है, उनके लिए वायु सेना चयन बोर्ड में परीक्षा/ साक्षात्कार एफ(पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार की प्रवेश प्रक्रियाएं हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/ एफकैट। कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) में असफल उम्मीदवारों के नामों पर अन्य वरीयता दी गई सेवाओं के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब उन्होंने सीडीएस परीक्षा के माध्यम से ही आवेदन किया हो। ऐसे उम्मीदवार जो आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम एवं/ या नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम एवं/ या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों चाहे उन्होंने एसएससी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या नहीं किया हो, उन्हें अगस्त-सितंबर, 2026 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी एवं ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने केवल एसएससी

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो उन्हें अक्टूबर-दिसम्बर, 2026 की एसएसबी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

8.1 अंकों को पूर्णांकित करना एवं टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

अंकों को पूर्णांकित करने से संबंधित प्रावधान, जहां कहीं भी लागू हो, और अंकों में टाई के मामलों को हल करने के लिए प्रावधान नीचे दिए हैं:-

(क) अंकों को पूर्णांकित करना

परीक्षा के सभी चरणों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तांक, मानक पूर्णांकन सिद्धांत, जहां भी लागू हो का प्रयोग करके दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करते समय टाई संबंधी सभी मामलों का समाधान करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित प्राप्तांकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

(i) आईएमए/आईएनए/एएफए हेतु: यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में ("पेपर-I: अंग्रेजी, पेपर-II: सामान्य ज्ञान तथा पेपर-III: प्रारम्भिक गणित" को मिलाकर) अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) ओटीए हेतु: यदि कुल अंक (अंतिम अंक) में समान हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में ("पेपर-I: अंग्रेजी तथा "पेपर-II: सामान्य योग्यता परीक्षण को मिलाकर) अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; तथा

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी।

(iv) यदि उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसे आयोग के विवेकानुसार निपटाया जाएगा।

9. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निरर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में पहले प्रवेश पा चुके हैं लेकिन अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी में अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित गुणों, के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित गुणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो, वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित गुणों के अभाव के कारण एनसीसी तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. अंक सार्वजनिक किए जाने की योजना

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग, उम्मीदवारों के प्राप्तांक (लिखित परीक्षा तथा एसएसबी साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा हेतु एसएसबी साक्षात्कार में शामिल होंगे परंतु अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकटन योजना के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर असफल उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

एसएसबी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा पूछे जाने पर इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं और ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

इस सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के अनर्हक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी पाठ्यक्रम या भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम या वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को इस बात का परिवचन देना है कि अपना प्रशिक्षण पूरा होने तक वे विवाह नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद विवाह कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही सफल हों। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय समस्त राशि लौटानी होगी।

उम्मीदवारों को यह वचन देना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा होने तक विवाह नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार यदि अपने द्वारा आवेदन करने की तारीख के बाद विवाह कर लेता है तो वह प्रशिक्षण का पात्र नहीं होगा, भले ही वह लिखित परीक्षा अथवा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार अथवा चिकित्सा परीक्षा में सफल रहा हो। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय समस्त राशि लौटानी होगी।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों पर किसी अन्य कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उन्हें किसी अन्य साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(जे.के.मण्डल)
अवर सचिव (परीक्षा)
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) नीचे पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	11	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	12	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	13	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	11	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	12	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्यक्रम

अंग्रेजी (कोड सं. 11)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 12)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने में सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 13)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं – जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न। एकिक विधि, समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।
प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि, आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या x , कोटिज्या x , स्पर्श रेखा x , जब $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा x का मान जबकि $x0^\circ$, 30° , 45° , 60° और 90° सरल त्रिकोणमितीय सारण्यों, सरल त्रिकोणमितीय सारण्यों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रश्न।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिल संयक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हें (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि। केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं- चरण-I तथा चरण-II। चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमत्ता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन) * विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्वका आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नाम: साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं। आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबंटन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर उत्तरअंकित करने के लिए अच्छी किस्म का काला बाल पेन। उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य के लिए रफ शीट निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे कोई भी कीमती/महंगी वस्तु, मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल घड़ियां, अन्य आईटी गैजेट, पुस्तकें, बैग, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र (यहां तक कि स्विच-ऑफ मोड में भी) या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री (ई-प्रवेश पत्र, पेपर, रबड आदि में नोट्स) उस परिसर में लाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी कीमती/मूल्यवान वस्तु न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में हुए किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।
- (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीके अपनाना पूर्णतः निषिद्ध है

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा और न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी उम्मीदवार तथा परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप काले बाल प्वाइंट पेन से अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए, बी, सी, डी यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बाल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में त्रुटि, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य के लिए दी गई शीट में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या और कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रखरखाव तथा उन्हें भरने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बाल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा)

के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है। प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3..... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त मुद्रित हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय लेने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, तब आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बॉल पेन से पूरी तरह से काला करके अंकित कर देना है।

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. उम्मीदवार अपने उत्तरस्वयं लिखें। उन्हें किसी भी स्थिति में उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. स्कैनयोग्य उपस्थिति सूची में प्रविष्टि कैसे करें :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में अपने कॉलम के सामने केवल काले बॉल पेन से संगत विवरण भरना है जैसा नीचे दिया गया है।

- (i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करना है।
- (ii) परीक्षण पुस्तिका शृंखलाके संगत गोले को काला करें।
- (iii) परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
- (iv) उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
- (v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

13. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे।

उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि

इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को संख्या वाले किसी पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र विषय विषय कोड

--	--

अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--

मान लो यदि आप गणित के प्रश्न-पत्र के वास्ते दिल्ली केन्द्र पर परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केन्द्र दिल्ली	विषय अंग्रेजी	विषय कोड		अनुक्रमांक								
		<table><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1		<table><tr><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>6</td></tr></table>	0	8	1	2	7	6
1	1											
0	8	1	2	7	6							

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बाल पेन से अपना वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके ई-प्रवेश पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय-सारणी में से समुचित विषय कोड ढूँढ़ें। अब काले बाल पेन से आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करेंगे। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उससे पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात् ही करना चाहिए। 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए)



विषय

0	1

बस इतना करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को उसी प्रकार पूरी तरह काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

अनुक्रमांक					
0	8	1	2	7	6
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट-III

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

भारतीय सेना

भारतीय सेना में अधिकारी पदों पर प्रविष्टियों के लिए चिकित्सा मानक और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया

1. उद्देश्य

इस दस्तावेज का उद्देश्य जनसाधारण को विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियों के माध्यम से सेना में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विहित चिकित्सा मानकों से परिचित करवाना है। यह दस्तावेज आर टी आई अधिनियम - 2005 के तहत सूचना आयोग की नीति के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध करवाने का काम भी करता है।

2. परिचय

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। इस उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समय, सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार समुद्र एवं वायु सहित दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में चिकित्सा सुविधाओं के बिना भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिए जो उन

परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/दिव्यांगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य ऑपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में 'चिकित्सीय रूप से फिट' कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना चिकित्सा सर्विस का होता है।

(ग) हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय अपनी पेशेवर विशिष्टता, यूनिट में सौपा गया कार्य, आयु अथवा लिंग से परे हटकर मूलभूत स्तर की 'मेडिकल फिटनेस' होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी मूलभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टतायें जो शारीरिक रूप से और अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना चिकित्सा सर्विस के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये चिकित्सा अधिकारी सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों से भली-भांति परिचित होते हैं। चिकित्सा अधिकारी बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों को अंतिम रूप दिया जाता है। चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/दिव्यांगता/चोट/आनुवंशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ राज्य को दिया जाएगा।

चिकित्सा मानक

3. निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित असीम ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीतिपत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशा-निर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरों, विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

4. 'चिकित्सीय रूप से फिट' करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/दिव्यांगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बिना उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक न हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

(क) तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबी, जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।

(ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फनोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायत न हो।

- (ग) त्वचा पर हाइपर या हाइपोपिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी /लक्षण/अक्षमता न हो।
- (घ) शरीर पर कहीं भी हर्निया की शिकायत न हो।
- (ङ) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हो, जो कामकाज को बाधित करते हों या अक्षमता उत्पन्न करते हों।
- (च) शरीर में/पर कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।
- (छ) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न होना, अस्थि भंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव के कारण विकृतियां; अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल ऑपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैं, न हों।
- (ज) रंगों की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टि बाधिता न हो।
- (झ) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमता, कानों की प्रकोष्ठ-कर्णा वर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।
- (ञ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।
- (ट) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थिति में किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालू, नाक में पॉलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा क्रोनिक टॉन्सिलइटिस की शिकायत न हो।
- (ठ) गले, तालू टॉन्सिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के सामान्य काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।
- (ड) जन्मजात, आनुवांशिक, रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।
- (ढ) पलमोनरी तपेदिक अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियां, संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्क्यूलो-स्केलेटल विकार शामिल हैं, न हों।
- (ण) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य यकृत तथा यकृत रोग तथा अग्न्याशय की अंतस्त्रवी, जन्मजात, आनुवांशिक बीमारियां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैं, न हों।
- (त) एंडोक्राइन प्रणाली तथा रेटिक्युलो एंडोथीलियल प्रणाली संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमता न हो।
- (थ) जेनिटो-यूरीनरी प्रणाली संबंधी कोई रोग/लक्षण /अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की दिव्यांगता, एट्रॉफी/हाइपरट्रॉफी शामिल हैं, न हो।
- (द) किसी प्रकार का सक्रिय, अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन-रोग न हो।
- (ध) किसी प्रकार के मानसिक रोग, मिर्गी, मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता अथवा उसका पुराना मामला न हो।
- (न) मस्क्युलो स्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।
- (प) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण/दिव्यांगता न हो।

5. एसएसबी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी लेकिन चिकित्सा जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

6. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर सामान्यतः चिकित्सा परिस्थितियाँ जिनसे उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता है:-

- (क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल दिव्यांगता जैसे, स्कोलियोसिस, टॉर्टीकोलिस, कायफॉसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य दिव्यांगताएं, विकृत अंग, उंगलियों, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।
- (ख) अंगों की दिव्यांगता विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड़ जैसे कि क्यूबिटसवलगस, क्यूबिटसवॉरस, नॉकनीज, बोलेग, हाइपर मोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की कटी उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।
- (ग) नेत्र व नेत्रज्योति : मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिगमेटिसम, कॉर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, भैंगापन एवं टॉसिस।
- (घ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला : सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाह्यकर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्से में चोट, नाक का सेप्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू में विसंगति, पेरी-ऑरिक्युलर साइनस तथा गर्दन की लिम्फेंडिनाइटिस/एडीनोपैथी। दानों कानों के लिए बातचीत तथा तेज फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
- (ङ) दांतों की स्थिति :
 - (i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।
 - (ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है, की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
 - (iii) रोग सूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ क्लिकिंग एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ का अपने स्थान से हटना।
 - (iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।
 - (v) मुंह खोलने की सीमा के साथ तथा उसके बिना सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।
 - (vi) पूरी तरह फैले कैल्क्यूलस दंत संरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो।
 - (vii) दांत ढीले होना, दो से अधिक दाँत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।

- (viii) कॉस्मेटिक अथवा पोस्ट-ट्रामेटिक मैक्सिलो फैशियल सर्जरी/ट्रॉमा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए अनफिट ठहराया जाएगा।
- (ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कर्तव्यों के निर्वहन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।
- (च) छाती: तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव होना।
- (छ) पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली: हर्निया, अन-डिसेंडेडटेस्टीस, वेरिकोसील, ऑर्गेनोमिगैली, सॉलिटेरीकिडनी, हॉर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना, गॉल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरो जिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा साइनस एवं लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।
- (ज) तंत्रिकातंत्र: झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।
- (झ) त्वचा: विटिलिगो, हीमैजियोमास, मस्से होना, कॉर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपर हाइड्रॉसिस होना।

7. कद एवं वजन: प्रवेश (एंट्री) की स्ट्रीम के अनुसार कद की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन कद के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में बताया गया है:-

आयु (वर्षों में)	सभी आयु वर्ग के लिए न्यूनतम वजन	आयु: 17 वर्ष से 20 वर्ष	आयु: 20 वर्ष+01 दिन - 30 वर्ष	आयु: 30 वर्ष+01 दिन - 40 वर्ष	आयु: 40 वर्ष से ऊपर कद (सेमी)
कद (सेमी)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1

156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2

209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) सभी वर्गों के कार्मिकों का कद के अनुसार वजन का चार्ट उपर्युक्त दिया गया है। यह चार्ट शरीर द्रव्यमान सूचकांक के आधार पर तैयार किया गया है। यह चार्ट उम्मीदवारों के विशिष्ट कद के अनुरूप न्यूनतम स्वीकार्य वजन को दर्शाता है। किसी भी स्थिति में न्यूनतम दर्शाए वजन से कम वजन स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकतम स्वीकार्य वजन आयु वर्ग एवं कद के अनुसार दर्शाया गया है। स्वीकार्य सीमा से अधिक वजन उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा यदि उम्मीदवार के पास बॉडी विलिंग कुशती और मुक्केबाजी के राष्ट्रीय स्तर के दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में हो। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मापदंड पूरे किए जाने चाहिए:-

- (i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक (Body Mass Index) 25 से कम होना चाहिए।
- (ii) कमर का घेराव (Waist Circumference) पुरुषों के लिए 90 सेमी से कम और महिलाओं के लिए 80 सेमी से कम होना चाहिए।
- (iii) सभी जैवरासायनिक मेटाबॉलिक (Biochemical Metabolic) मापदंड सामान्य सीमा में होने चाहिए।

(ख) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कद 157 सेमी या संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा यथा निर्धारित है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को कद 152 सेमी के साथ स्वीकार किया जाएगा।

(ग) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कद 152 सेमी है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को न्यूनतम 148 सेमी कद के साथ स्वीकार किया जाएगा।

8. सभी अधिकारी स्तर की प्रविष्टियाँ और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच जाएंगी परंतु चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड यदि चाहे या ठीक समझे तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई जांच भी कर सकते हैं।

- (क) संपूर्ण हीमोग्राम
- (ख) यूरिन आर ई
- (ग) चेस्ट एक्स-रे
- (घ) पेट एवं पेडू का अल्ट्रासाउंड (यूएसजी)

9. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं :-

मानदण्ड	स्टैंडर्ड : 10+2 प्रवेश एनडीए ए(सेना), टीईएस एवं समकक्ष	स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश सीडीएसई, आईएमए, ओटीए, यूईएस, एनसीसी, टीजीसी एवं समकक्ष	स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश: जेएजी, आईसी, एपीएस, आरवीसीटीए, एएमसी, एडीसी, एसएल एवं समकक्ष
---------	---	---	---

अनुपचारित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बीसीवीए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	≤ -2.5 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)	≤ -3.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)	≤ -5.50 डी एसपीएच (अधिकतम भैंगेपन सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)
हाइपर मेट्रोपिया	$\leq +2.5$ डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)	$\leq +3.50$ डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)	$\leq +3.50$ डी एसपीएच (अधिकतम द्रष्टि वैषम्य सहित $\leq -/+2.0$ डी सीवीईएल)
लौसिक/समकक्ष सर्जरी	अनुमति नहीं है	अनुमति*	अनुमति*
रंग अवधारणा	सी पी -II	सी पी -II	सी पी -II

*लेसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया की तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस मेडिकल सेंटर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र/ऑपरेटिव नोट्स प्रस्तुत करने होंगे जहां सर्जरी की गई है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ को “स्पष्ट दृष्टि हेतु सुधारात्मक प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण अनफिट” के विशिष्ट पृष्ठांकन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करना होगा।

(ख) इस संबंध में ‘फिट’ करार देने के लिए अधोलिखित का ध्यान रखा जाएगा:-

- सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।
- लासिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।
- केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450μ के बराबर या उससे अधिक हो।
- आईओएल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।
- ± 1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।

(vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।

(vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की टोपोग्राफी और एक्टेथिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल केराटोटॉमी करवाई है, वे स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

10. चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त होने वाला फॉर्म एएफएमएसएफ-2 ए है।

11. चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही: अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एसएसबी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन चिकित्सा बोर्ड को 'विशेष मेडिकल बोर्ड' (एसएमबी) कहा जाता है। एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टाफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान करके उसे एएफएमएसएफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्ररोग, ईएनटी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री-रोग विशेषज्ञों द्वारा भी महिला उम्मीदवारों की जांच की जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार को मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा करेगा। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एसएमबी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (एएमबी) के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एसएमबी द्वारा किया जाएगा।

12. विविध पहलू :

(क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीके डीजीएएफएमएस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

(ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डॉक्टर मौजूद न हों तो महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरुष डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी।

(ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना:

सर्जरी के बाद उम्मीदवारों को फिट घोषित किया जा सकता है। परंतु, सर्जरी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव अच्छी तरह से भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो। उम्मीदवारों को हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा कॉल सिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। उम्मीदवार को चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए अनफिट घोषित किया जाएगा।

**नौसेना में अफसरों के प्रवेश के लिए चिकित्सा जांच के
चिकित्सा मानक और प्रक्रिया**

चिकित्सा बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया

1. सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सा जांच (विशेष मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिट घोषित उम्मीदवारों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि, चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए उम्मीदवारों को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील चिकित्सा बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिन के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में पूरा करना होगा।

2. ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (एएमबी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एएमबी के अध्यक्ष एएमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए डीजीएफएमएस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही मंजूरी प्रदान की जाएगी और इसे उम्मीदवार का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि उम्मीदवार आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डीएमपीआर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को अपना अनुरोध भेजना होगा एवं उसकी एक प्रति एएमबी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डीजीएफएमएस का कार्यालय उम्मीदवार को आरएमबी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पुणे) के विषय में जानकारी प्रदान करेगा।

3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जांच की जाएंगी। तथापि, उम्मीदवार की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने के लिए कह सकते हैं:-

- (क) कम्प्लीट हीमोग्राम
- (ख) यूरिन आरई/एमई
- (ग) एक्स-रे चेस्ट पीएच्यू
- (घ) यूएसजी एब्डोमन और पेल्विस
- (च) लीवर फंक्शन टेस्ट्स
- (छ) रीनल फंक्शन टेस्ट्स
- (ज) एक्स रे लंबोसैक्रल स्पाइन, एंटीरियर-पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यूज़
- (झं) एलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)

एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड

4. उम्मीदवार को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए:-
- (क) उम्मीदवार शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तटवर्ती और समुद्री झूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य-निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
 - (ख) उम्मीदवार में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोषों अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. वजन

कद-वजन तालिका: नौसेना

कद मीटर में	17 वर्ष तक		17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष से ऊपर	
	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में	न्यूनतम वजन किलोग्राम में	अधिकतम वजन किलोग्राम में
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52
1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.50	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79

1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90
1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

टिप्पणियाँ:

- (क) सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले उम्मीदवारों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष उम्मीदवार आपवादिक स्थितियों में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नानुसार मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:-
- शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बॉडी मास इंडेक्स) 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - कमर: कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।
 - ब्लड शुगर फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल, ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य स्तर (रेंज) में हों।
- (ग) फिटनेस केवल चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।
- (घ) न्यूनतम स्वीकार्य कद 157 सेमी है। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को जो नीचे वर्णित क्षेत्रों के स्थाई निवासी हों, तथा प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी उम्मीदवारों को कद में छूट दी जाएगी:

क्रम संख्या	श्रेणी	पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद
(i)	लद्दाख क्षेत्र से आदिवासी	155 से०मी०
(ii)	अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिक्काय द्वीप	155 से०मी०
(iii)	गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊँनी और उत्तराखंड	152 से०मी०
(iv)	भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्व क्षेत्र	152 से०मी०
(v)	अति प्रतिभाशाली खिलाड़ी उम्मीदवार	155 से०मी०

6. उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच के दौरान, निम्निलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (क) उम्मीदवार पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो।
- (ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।

- (ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, साफ हों और भेंगापन अथवा असामान्यता रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।
- (घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।
- (च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।
- (छ) छाती सुगठित हो और उनके हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।
- (ज) उम्मीदवारों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।
- (झ) किसी भी प्रकार या किसी भी स्तर पर हर्निया के लक्षण न हों।
- (ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।
- (ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।
- (ड) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा खराबी न हो।
- (ढ) पिछली किसी भी प्रकार की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।
- (त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।
- (थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

7. उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

- (क) कमजोर शारीरिक संरचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय (मसक्यूलर वेस्टिंग)।
नोट: मांसपेशीय विकृति को पूर्ण रूप से, कार्यों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से आंका जाना चाहिए।
- (ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रेक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।

(ग) स्कोलिओसिस का निर्धारण - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डोर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक का इडियोपैथिक स्कोलियोसिस स्वीकार्य होगा बशर्ते कि-

- (i) उम्मीदवार लक्षणहीन हो।
- (ii) स्पाइन में ट्रॉमा का कोई इतिहास न हो।
- (iii) छाती में कोई विषमता /कंधों में असंतुलन अथवा लंबर स्पाइन (lumber spine) में पेल्विक ऑब्लिक्विटी (pelvic obliquity) न हो।
- (iv) तंत्रिका (न्यूरोलॉजिकल) संबंधी कोई कमी न हो।
- (v) रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) में जन्मजात विकृति न हो।
- (vi) सिनड्रोमिक लक्षण नहीं हो।
- (vii) ईसीजी सामान्य हो।
- (viii) रीढ़ की हड्डी के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति नहीं हो।
- (ix) चलने की रेंज में कोई बाधा नहीं हो।
- (x) संरचनात्मक असामान्यता का कारण बनने वाली कोई मूलभूत कमी न हो।

(घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि-पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोट:- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हों, स्वीकार्य है।

- (च) धड़ एवं अंगों की विषमता, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमान्यता।
 (छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

(i) **हाइपर एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स** - हाइपर-एक्स्टेंसिबल फिंगर ज्वाइंट्स के लिए सभी उम्मीदवारों की भली-भांति जांच की जाएगी। 90 डिग्री के परे पीछे की तरफ झुकी उँगलियों का बढ़ाव हाइपर एक्स्टेंसिबल माना जाएगा और अनफिट समझा जाएगा। हाइपर लैकसिटी/ हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ और अंगूठे की भी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। मुमकिन है कि व्यक्ति के दूसरे जोड़ों में हाइपर लैकसिटी के लक्षण ना दिखें, लेकिन उँगलियों के जोड़ों की हाइपर एक्स्टेंसिविलिटी के अलग से दिखने को भी अनफिट समझा जाएगा क्योंकि यदि उम्मीदवार को उपर्युक्त कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुज़रना पड़े तो बाद में विभिन्न प्रकार की परेशानी उभर सकती हैं।

(ii) **मालेट फिंगर** - डिस्टल इंटर-फेलेंजीयल ज्वाइंट पर एक्सटेंसर मेकेनिज़्म ना हो पाने से मालेट फिंगर होता है। क्रोनिक मालेट डीफॉर्मिटी (PIP) और एमसीपी (MCP) ज्वाइंट में सेकंडरी परिवर्तनों की वजह बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप हाथ से कार्य करने में कठिनाई हो सकती है। फ्लेक्सन और एक्स्टेंसन दोनों में डीआईपी (DIP) जोड़ों में मूवमेंट की सामान्य रेंज 0-80 डिग्री है और पीआईपी (PIP) ज्वाइंट में 0-90 डिग्री है। मालेट फिंगर में, उम्मीदवार उँगलियों के डिस्टल फलंक्स (distal phalanx) को पूरी तरह फैलाने/ सीधा करने में असमर्थ रहता है।

(कक) हल्के लक्षणों वाले उम्मीदवार जैसे- बिना किसी ट्राँमा, प्रेशर सिमटम्स और फंक्शनल डेफिसिट के जिनका एक्सटेंशन लैंग 10 डिग्री से कम है, को फिट घोषित किया जाना चाहिए।

(कख) उँगलियों की स्थायी विकृति वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(iii) **पॉलीडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स -रे) नहीं हो, घाव अच्छी तरह से भर गया हो, निशान हल्का पड़ने लगा हो और न्यूरोमा या चिकित्सा जांच का कोई प्रमाण न हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(iv) **सिंपल सिंडैक्टिली** - ऑपरेशन के 12 सप्ताह के उपरांत फिटनेस की जांच की जा सकती है। यदि हड्डी की कोई असामान्यता (एक्स -रे) नहीं है, घाव अच्छी तरह से भर गया हो और निशान हल्का पड़ने लगा हो और वेबस्पेस संतोषजनक हो तो फिट घोषित किया जा सकता है।

(v) **जटिल सिंडैक्टिली** - अनफिट।

(vi) **पोलीमेजिया** - उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के उपरांत फिट माना जाएगा यदि ऑपरेशन के बाद कोई कठिनाई न हो और सर्जरी के घाव अच्छी तरह से भर गए हो तथा कोई अन्य रोग नहीं हो।

(vii) हाइपरोसटोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना. कोई अन्य मेटाबोलिक असामान्यता ना होने की स्थिति में फिट माना जाएगा।

(viii) ठीक हुए फ्रेक्चर-

(कक) सभी इंट्रा-आर्टिक्युलर फ्रेक्चर विशेषतः मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कूल्हा, घुटना और टखना) सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बगैर, प्रत्यारोपण के साथ अथवा उसके बगैर, अनफिट माने जाएंगे।

(कख) पोस्ट ऑपरेटिव इंप्लांट के साथ सभी अतिरिक्त आर्टिकुलर फ्रेक्चर को अनफिट माना जाएगा और इंप्लांट हटाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के बाद फिटनेस देने के लिए विचार किया जाएगा।

(कग) सभी लंबी हड्डियों (ऊपरी और निचले दोनों लिंब्स) की आर्टिकुलर चोटों जिनका उपचार पारंपरिक ढंग से किया गया हो, के बाद मूल्यांकन की न्यूनतम अवधि नौ (09) माह होगी। उम्मीदवार को तभी फिट माना जाएगा यदि :

(i) माल-एलाइमेंट/माल-यूनियन का कोई प्रमाण न हो।

(ii) कोई न्यूरो वैस्कूलर दोष न हो।

(iii) मुलायम उत्तक की कोई क्षति न हो।

(iv) गतिविधियों में कोई कमी न हो।

(v) ऑस्टियोमेलिटिस/सीक्वेस्ट्रा फारमेशन का कोई लक्षण न हो।

(ix) क्यूबिटस रेकरवेटम >10 डिग्री अनफिट है।

(x) क्यूबिटस वेलगस

(कक) केरियिंग एंगल मापना - बांह और कलाई के सरफेस मार्जिन से एक्सिस को मापने के लिए प्रोट्रैक्टर गोनियोमीटर (protractor goniometer) का प्रयोग करते हुए कोहनी को पूरा फैलाकर कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) का पारंपरिक तरीके से निर्धारण किया जाता है। यद्यपि, बांह और कलाई में मुलायम ऊतकों के विकास में विविधताओं के कारण मापे गए परिणामों में असंगति आ जाती है। अभी तक कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की कोई एकसमान विधि नहीं है। यद्यपि एक्रोमियन (acromion), ह्यूमेरस (humerus) के मीडियल (medial) और लेटरल एपीकोनडयल्स (lateral epicondyles) पर बनी लैंडमार्क्स (bony landmarks) की पहचान डिस्टल रेडियल (distal radial) और अलनर स्टिलोयड (ulnar styloid) प्रक्रिया के माध्यम से कोहनी के केरियिंग एंगल (carrying angle) को मापने की संस्तुति की जाती है। बांह और कलाई के दो ड्राइंग एक्सस (drawing axes) के साथ केरियिंग एंगल (carrying angle) को एक मैनुअल गोनियोमीटर (manual goniometer) द्वारा मापा जाता है। बांह का एक्सिस एक्रियोमन (axisacromion) के क्रैनियल सर्फेस (cranial surface) के लेटरल बॉर्डर (lateral border) के ह्यूमेरस (humerus) के लेटरल (lateral) और मीडियल एपीकोनडयल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु तक निर्धारित है। कलाई का

एक्सिसह्यूमेरस (axishumerus) के लेटरल (lateral) और मीडियल एपिकोनडायल्स (medial epicondyles) के मध्यबिंदु से डिस्टल रेडियल (distal radial) और अलनर स्टायलॉयड (ulnar styloid) प्रक्रियाओं के मध्यबिंदु द्वारा निर्धारित होता है।

(कख) क्यूबिटस वेलगस मुख्य रूप से चिकित्सकीय निदान होना चाहिए। रेडियोग्राफिक जांच करने के लिए सुझाए गए निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) ट्रॉमा का पिछला इतिहास
- (ii) कोहनी के आसपास निशान
- (iii) कोणों की असमानता
- (iv) डिस्टल न्यूरोवसक्यूलर डेफिसिट
- (v) हिलने-डुलने की सीमित सीमा (रेंज)
- (vi) यदि ओर्थोपीडिक सर्जन द्वारा ज़रूरी समझा जाता है

(xi) कोहनी के जोड़ पर हाइपरएक्स्टेंशन - किसी व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से हाइपरएक्स्टेंडेड कोहनी हो सकती है। यह कोई चिकित्सा समस्या नहीं है, लेकिन सैन्य जन समुदाय जिस तरह की तनावपूर्ण और थकाने वाली परिस्थितियों का सामना करता है उसमें यह फ्रेक्चर अथवा लंबे समय तक रहने वाले दर्द की वजह बन सकती है। कोहनी को न्यूट्रल पोजिशन के 10 डिग्री के भीतर वापस लाने में असमर्थता भी रोज़मर्रा के कार्यकलापों में बाधा बन सकती है।

(कक) मापन मापदंड (Measurement modality)। गोनियोमीटर (Goniometer) के प्रयोग द्वारा मापा जाता है।

(कख) सामान्य कोहनी प्रसार 0 डिग्री है। यदि मरीज का जोड़ों के ट्रॉमा का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक हाइपरएक्स्टेंशन सामान्य सीमा के भीतर है। यदि किसी को 10 डिग्री से ज़्यादा का हाइपरएक्स्टेंशन है तो उसे अनफ़िट माना जाएगा।

8. आंख

- (क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।
- (ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखने वाला भेंगापन।
- (ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी जटिलता या रोगोत्तर लक्षण।
- (घ) निर्धारित मानकों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

टिप्पणियाँ:-

1. एनडीए/एनए अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानक निम्नानुसार हैं:-

मानदंड	सीडीएसई
अनुपचारित दृष्टि	6/12 6/12
उपचारित दृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (myopia)संबंधी सीमाएं	-1.0D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+2.0 D Sph

अर्बिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि से सीमाओं के भीतर)	± 1.0 D Cyl
दोनों आंखों की दृष्टि	III
रंगों की समझ	सीपी पास*

*रंग अवधारणा संबंधी दोष का मूल्यांकन एसएमबी के दौरान इशियारा और एनोमेलोस्कोप/एमएलटी परीक्षण दोनों के संयोजन द्वारा किया जाएगा। एएमबी के दौरान इशियारा और एनोमेलोस्कोप (एमएलटी यदि उपलब्ध हो) का प्रयोग किया जाएगा। पुष्टि के लिए आरएमबी के दौरान इशियारा तथा एनोमेलोस्कोप और एमएलटी, जो भी लागू हो, का प्रयोग किया जाएगा।

2. **कैराटो रिफ्रेक्टिव सर्जरी-** अघोषित रिफ्रेक्टो-करेक्टिव प्रक्रिया जैसे कि पीआरके/लैसिक/स्माइल इत्यादि का पता लगाने के लिए एसएमबी के दौरान उम्मीदवारों के लिए कैराटोमेट्री की जाएगी। इसके मान एसएमबी में दर्ज किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की रिफ्रेक्टरी सर्जरी (पीआरके, लैसिक, स्माइल) करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जा सकता है (सबमरीन, डाइविंग और मार्को काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई सर्जरी न हुई हो।
 (ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुई अनकंप्लीकेटेड सर्जरी। (उम्मीदवार भर्ती चिकित्सा परीक्षा के समय एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें रिफ्रेक्टिव सर्जरी के प्रकार, सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्व संबंधित नेत्र में रिफ्रेक्टिव दोष का उल्लेख किया गया हो।)

पोस्ट लैसिक स्टैंडर्ड्स. उम्मीदवार को फिट तब माना जाएगा जब आईओएल मास्टर या ए स्कैन द्वारा मापित एक्सियल लेंथ 26mm के बराबर अथवा उससे कम हो या पेकीमीटर (Pachymeter) द्वारा मापित सेंट्रल कॉर्नियल थिक्नेस 450 माइक्रोन्स के बराबर या उससे अधिक हो।

(ग) रेजिडुअल रिफ्रेक्शन ± 1.0 डी स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (कैटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुमत सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑब्जर्वर एंट्री के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।
 (घ) प्री-ऑपरेटिव रिफ्रेक्टिव एरर ± 6.0 डी से अधिक नहीं होना चाहिए।
 (ङ) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. सबमरीन, डाइविंग एवं एमएआरसीओ जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए कैराटो रिफ्रेक्टरी सर्जरी (पीआरके (PRK), लैसिक (LASIK), स्माइल (SMILE)) स्वीकार्य नहीं है। रेडियल कैराटोटॉमी कराने वाले उम्मीदवार सभी शाखाओं के लिए स्थायी रूप से अनफिट हैं।

(i) **टॉसिस (Ptosis)**-उम्मीदवार को सर्जरी के बाद फिट माना जाएगा यदि सर्जरी के एक वर्ष बाद कोई पुनरावृत्ति न हो, सामान्य दृश्य क्षेत्र (visual field) के साथ दृश्य एक्सिस (visual axis) स्पष्ट हो और ऊपरी पलक सुपीरियर लिम्बस के 02 mm नीचे हो। जो उम्मीदवार इसके लिए सर्जरी से नहीं गुजरे हैं, उन्हें फिट माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक पर खरा उतरते हैं:-

(कक) माइल्ड टॉसिस (Mild ptosis)

(कख) स्पष्ट दृश्य धुरी (Clear visual axis)

- (कग) सामान्य दृश्य क्षेत्र (Normal visual field)
 (कघ) असामान्य अधःपतन/हेड टिल्ट के कोई लक्षण नहीं हों

- (ii) एक्सोट्रोपिया (Exotropia)- अनफ़िट।
- (iii) एनिसोकोरिया (Anisocoria)- यदि पुतलियों के बीच आकार का अंतर $>0.1\text{mm}$ हो, तो उम्मीदवार को अनफ़िट समझा जाएगा।
- (iv) हेटिरोक्रोमिया इरिडिस (Heterochromia Iridum).-अनफ़िट।
- (v) स्फिन्क्टर टीयर्स (Sphincter Tears) - यदि पुतलियों के बीच आकार में $<0.1\text{mm}$ का अंतर हो, कॉर्निया, लेंस और रेटिना में बिना किसी ज्ञात रोग के प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेज तेज़ हों तो फिट माना जाएगा।
- (vi) स्यूडोफाकिया (Pseudophakia)- अनफ़िट।
- (vii) लेंटिकुलर ओपासिटीस (Lenticular Opacities)- लेंटिकुलर ओपासिटीस की वजह से कोई दृष्टिगत ह्रास, अथवा विजुवल एक्सिस में उसका होना अथवा पुतलियों के आसपास 0.7mm तक हो, जो ग्लेयर फिनाॅमिना (glare Phenomenon) का कारण बन सकती है, को अनफ़िट माना जाना चाहिए। फिटनेस का निर्णय करते हुये आंखें फूलने की प्रवृत्ति (opacities) जो संख्या अथवा आकार में न बढ़े, को भी ध्यान में रखना चाहिए। किनारों में स्मॉल स्टेशनरी लेंटिक्युलर ओपासिटीज़ (small stationary lenticular opacities) जैसे जन्मजात ब्लू डॉट कैटेरेक्ट (congenital blue dot cataract) जिससे विजुवल एक्सिस/विजुवल फील्ड (visual axis/visual field) प्रभावित न होता हो, पर स्पेशलिस्ट द्वारा विचार किया जा सकता है (संख्या में 10 से कम होना चाहिए और 0.4mm का सेंट्रल एरिया सुस्पष्ट होना चाहिए)।
- (viii) ऑप्टिक नर्व ड्रुसेन (Optic Nerve Drusen)- अनफ़िट।
- (ix) हाई कप डिस्क अनुपात (High Cup Disc Ratio) - उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी भी अवस्था के पाये जाने पर अनफ़िट घोषित किया जाएगा:-
 (कक) कप डिस्क अनुपात में आंतरिक नेत्र समरूपता >0.2 है।
 (कख) ओसीटी पर आरएनएफएल विश्लेषण द्वारा रेटिनल तंत्रिका फाइबर परत दोष देखा गया।
 (कग) दृष्टि क्षेत्र विश्लेषण द्वारा दृश्य क्षेत्र दोष।
- (x) केराटोकोनस (Keratoconus) -अनफ़िट।
- (xi) लेटिस (Lattice)-

(कक) निम्नलिखित लेटिस डिजनरेशन (lattice degenerations) होने पर उम्मीदवार को अनफ़िट समझा जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से अधिक तक रहने वाले सिंगल सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस (Single circumferential lattice)।

(ii) किसी एक या दोनों आंखों में दू सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस (Two circumferential lattices) जिनमें से प्रत्येक का विस्तार एक क्लॉक आवर से अधिक होता है।

(iii) रेडियल लेटिस।

(iv) एट्रोफीक होल/फ्लैप टियर्स (अनलेजर्ड) के साथ कोई लेटिस।

(v) पोस्टीरियर (Posterior) से इक्वेटर (equator) तक लेटिस डिजनरेशन (Lattice degeneration)।

(कख) निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत लेटिस डिजनरेशन (lattice degeneration) के साथ उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा:-

(i) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना सिंगल सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस (Single circumferential lattice)।

(ii) एक या दोनों आंखों में एक क्लॉक आवर्स से कम होल्स के बिना दो सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस (Two circumferential lattices)।

(iii) एक या दोनों आंखों में दो क्लॉक आवर से कम, होल्स/फ्लैप टियर के बिना पोस्ट लेजर डिलीमिटेशन सिंगल सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस।

(iv) लेजर डिलीमिटेशन के बाद दू सर्कमफ़ेरेंशियल लेटिस (Two circumferential lattices), छेद/फ्लैप टियर के बिना, जिनमें से प्रत्येक एक या दोनों आंखों में एक क्लॉक आवर से कम का विस्तार हो।

9. कान, नाक तथा गला

(क) कान- बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई पुराना इतिहास हो, टिनीटस या चक्कर आना, श्रवण बाधित, बाहरी छिद्र की बीमारी जिसमें एट्रेसिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज़्म शामिल हैं जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिम्पेनिक झिल्ली का ठीक न हुआ छिद्र, कान का बहना, या अक्यूट या क्रोनिक सुप्युरेटिव ओटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या संशोधित रेडिकल मास्टॉयड ऑपरेशन का प्रमाण।

टिप्पणियाँ:-

1. उम्मीदवार दोनों कानों से अलग-अलग 610 सेमी की दूरी से तेज फुसफुसाहट सुन पाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।

2. ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media): किसी भी प्रकार का मौजूदा ऑटिटिस मीडिया (Otitis Media) अस्वीकृति का कारण बनेगा। टिम्पेनिक मेंब्रेन के 50% से कम पार्स टेंसा (pars tensa) को प्रभावित करने वाले टिम्पेनिक मेंब्रेन के रूप में ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिसिस मीडिया के प्रमाण का ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और अगर प्योर टोन ऑडियोमेट्री

(पीटीए) और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो यह स्वीकार्य होगा। क्रोनिक ओटिटिस मीडिया के लिए टिम्पेनोप्लास्टी और मायरिंगोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी मामलों में स्थायी अस्वीकृति होगी।

(i) निम्नलिखित परिस्थितियां उम्मीदवार के अनफ़िट होने का कारण बन सकती हैं:-

(कक) रेसिडुअल परफोरेशन।

(कख) फ्री फील्ड हियरिंग (free field Hearing) और/अथवा पीटीए पर रेसिडुअल हियरिंग लॉस Residual hearing loss।

(कग) किसी अन्य प्रकार की टिम्पेनोप्लास्टी (टाइप 1 टिम्पेनोप्लास्टी के अलावा) या कान के मध्यवर्ती भाग की सर्जरी (जिसमें ऑसिकुलोप्लास्टी, स्टेपेडोटॉमी, कैनाल बॉल डाउन मास्टोइडेक्टॉमी, एटिकोटॉमी, एटिको-एंट्रोस्टॉमी आदि शामिल हैं)।

(कघ) इम्प्लांट किया गया हियरिंग डिवाइस (जैसे कोहिलर इम्प्लेंट, बोन कंडक्शन इम्प्लांट, मिडिल इयर इम्प्लांट आदि)।

(ख) बाहरी श्रवण नलिका की हड्डी का बढ़ना कोई भी उम्मीदवार जिसके एक्सोस्टोसिस, ऑस्टियोमा, फाइब्रस डिसप्लासिया (exostosis, osteoma, fibrous dysplasia) आदि जैसे बाहरी श्रवण नलिका में नैदानिक रूप से प्रत्यक्ष बोनी ग्रोथ पाया जाता है तो उसे अनफ़िट घोषित किया जाएगा। ओपरेशन किए गए मामलों का मूल्यांकन कम से कम 4 हफ्तों की अवधि के बाद किया जाता है। पोस्ट सर्जरी हिस्टोपैथोलॉजी (histopathology) रिपोर्ट और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन (HRCT Temporal bone) अनिवार्य होगी। यदि हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में नियोप्लासिया दर्शाया गया है या एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में आंशिक रिमुवल या गहरे विस्तार का संकेत मिलता है तो ऐसे उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ग) नाक नाक की हड्डियों या उपास्थियों का रोग, मार्कड नेजल एलर्जी, नेजल पोलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिक्स।

सेप्टल परफोरेशन: नेज़ल सेप्टल परफोरेशन, एनटीरियर कार्टिलेजिनस या पोस्टरर बोनी परफोरेशन (Nasal septal perforation, anterior cartilaginous या posterior bony perforation) हो सकता है। कोई भी सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जिसका सबसे बड़ा आयाम (ग्रेटेस्ट डायमेंशन) 01 सेमी से अधिक है, अस्वीकृति का कारण है। एक सेप्टल परफोरेशन (septal perforation) जो चाहे किसी भी आकार का हो, नेज़ल डिफॉर्मिटी, नेज़ल क्रस्टिंग एपिस्टैक्सिस (nasal deformity, nasal crusting epistaxis) और ग्रेनुलेशन (granulation) से संबंधित हो, अस्वीकृति का कारण है।

नेसल पोलिपोसिस (Nasal polyposis) - इसे क्रोनिक राइनोसिनसाइटिस के साथ पॉलीपोसिस (CRSWNP) के नाम से भी जाना जाता है। नेज़ल पोलिपोसिस ज़्यादातर एलर्जी, अस्थमा एनएसएआईडी (NSAID) के प्रति संवेदनशीलता और संक्रमण अर्थात् बैक्टीरियल और फंगल से संबद्ध है। इनमें से अधिकांश रोगियों में रोग के दुबारा होने की संभावना अधिक होती है और नेज़ल/ऑरल सेटेरायंड के साथ दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और प्रतिकूल मौसम और तापमान वाली परिस्थितियों के लिए ये अनफ़िट हैं। किसी भी व्यक्ति में जांच के दौरान यदि नेज़ल पोलिपोसिस पाया जाता है या कभी भी नेज़ल पोलिपोसिस (nasal polyposis) के लिए उनकी सर्जरी हुई हो तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

(घ) **गला**- थ्रोत पैलेट, जीभ, टॉन्सिल, मसूड़े के रोग तथा जबड़े के जोड़ों के सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाला रोग या चोट।

नोट:- टोंसिलाइटिस के दौरों से जुड़ी पुरानी समस्याओं के बिना टॉन्सिल का सामान्य रूप से बढ़ना (Hypertrophy) स्वीकार्य है।

(ङ) **लैरिंग्स के रोग तथा बोलने में कठिनाई**- आवाज सामान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. **दांतों की स्थिति:-** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ठीक ढंग से चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक और स्वस्थ दांत मौजूद हों।

(क) एक उम्मीदवार के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंट्स अस्वीकृति का कारण हैं। दूसरे जबड़े में तदनुसूची दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट निम्नानुसार हैं:-

(i) सेंट्रल इनसीजर (incisor), लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर के साथ अल्प विकसित (under developed) तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए 1 प्वाइंट।

(ii) प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर प्रत्येक के लिए दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो कुल 22 या 20 प्वाइंट होंगे जो इस बात पर निर्भर होगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले निम्नलिखित दांत होने चाहिए:-

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4।

(ii) 10 पोस्टरियर में कोई 6।

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि दंत चिकित्सा अधिकारी की राय में पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा। मेडिकल/डेंटल अधिकारी प्रभावित दांत के संबंध में चिकित्सकीय दस्तावेज़ में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. **गर्दन-**

(क) बड़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन अथवा शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

टिप्पणी:- ट्यूबरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए निशानों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों में कोई सक्रिय रोग न हो तथा छाती नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के अनुसार दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

12. छाती - अस्वीकृति के मानदंड निम्नलिखित हैं:-

(क) छाती की विकृति, जन्मजात या जन्म के बाद।

(ख) 5 सेंमी से कम विस्तार।

(ग) पुरुषों में सुस्पष्ट रूप से बायलेटरल/यूनिलेटरल गाइनेकोमास्टिया (bilateral/unilateral gynaecomastia)। उम्मीदवारों को 12 हफ्तों के पश्चात् ऑपरेशन के बाद फिट माना जाएगा, यदि:

(क) सर्जिकल घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है और कोई अन्य बीमारी नहीं है।

(ख) सर्जरी के बाद कोई समस्या नहीं है।

(ग) सर्जिकल निशान पूरी तरह से ठीक होने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या पैदा होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

(घ) सामान्य शारीरिक जांच सामान्य है।

(ङ) एंड्रोकाइन वर्कअप सामान्य है।

13. त्वचा तथा यौन संचारित संक्रमण (एस टी आई)

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) ऐसे निशान जो अपने आकार या अपनी सीमा के कारण दिव्यांगता/ या चिह्नित विकृति का कारण बनते हैं या होने की संभावना रखते हैं।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस- पामर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted disease)।

नोट:- उसन्धि (गोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग पर पुराने ठीक हो चुके निशान जो पिछले एसटीआई का संकेत देते हैं, होने की स्थिति में गुप्त यौन संचारित रोग का पता लगाने के लिए एसटीआई (एचआईवी सहित) के लिए रक्त की जांच की जाएगी।

14. श्वसन तंत्र

(क) पुरानी खांसी या ब्रोंकियल अस्थमा संबंधी पुराने मामले।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफ्फुस आवरणों (Pleurae) जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

नोट:- छाती की एक्स-रे जांच निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाएगी:-

(i) सेवा में एक कैडेट के रूप में प्रवेश या सीधे प्रवेश पर।

(ii) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के मामले में स्थायी कमीशन प्रदान करते समय।

15. हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (कार्डियो-वस्कुलर सिस्टम)

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (ओसकलेशन) में सरसराहट (murmurs) या क्लिक की उपस्थिति।

(ख) क्षिपहृदयता (Tachycardia) (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदनाड़ी (bradycardia) (विश्रामावस्था में नाड़ी की गति दर लगातार 40 प्रति मिनट से कम रहना), परिधीय नाड़ी की कोई भी असामान्यता।

(ग) रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)- उम्मीदवार जिनका रक्त दाब लगातार 140/90mm Hg से अधिक होता है, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन (White coat hypertension) और परसिसटेंट हाइपरटेंशन (persistent hypertension) के बीच के अंतर को देखने हेतु 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) (24h ABPM) से होकर गुजरना होता है। जहां भी संभव हो, उम्मीदवारों को एएमबी में एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का 24h ABPM सामान्य है और कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, को हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के बाद फिट माना जा सकता है।

(घ) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)- एएमबी में देखी गई कोई ईसीजी असामान्यता अस्वीकृति का आधार होगी। ऐसे उम्मीदवारों की जांच एएमबी के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक असामान्यता होने पर इकोकार्डियोग्राफी की मदद से की जाएगी और आवश्यक होने पर स्ट्रेस (तनाव) टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अपूर्ण RBBB, इंफीरियर लीड्स में T वेव इन्वर्शन, V1-V3 में T इन्वर्शन (पर्सिस्टेंट जुवेनाइल पैटर्न), वोल्टेज क्राइटेरिया (थिन चेस्ट बॉल के कारण) द्वारा LVH जैसी हल्की ईसीजी असामान्यता बिना किसी संरचनात्मक रोग के विद्यमान हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि छिपे हुए संरचनात्मक हृदय रोग की संभावना को खारिज किया जा सके तथा सीनियर एडवाइज़र (मेडिसन)/कार्डियोलोजिस्ट की सलाह ली जानी चाहिए। यदि इकोकार्डियोग्राफी तथा स्ट्रेस टेस्ट (यदि डॉक्टर द्वारा निदेशित हो) सामान्य हैं तो उम्मीदवार को फिट घोषित कर दिया जाएगा।

16. उदर (एब्डोमन)

(क) गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, लिवर, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, पेट को छूने पर अहजता या दर्द, पेप्टिक अल्सर का पूर्व विवरण/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। अधिकारी स्तर पर प्रवेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा पेलविक अंगों की अल्ट्रासाउंड जांच करवानी होगी।

(ख) किसी भी प्रकृति के हाइपरबिलिरुबिनमिया के कारण अनफिट माना जाएगा, सिवाय असंयुग्मित हाइपर बिलिरुबिनमिया के, जहां आनुवंशिक अध्ययन गिल्बर्ट सिंड्रोम को एटीऑलॉजिकल कारक के रूप में पुष्टि करते हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है :-

- (i) कुल सीरम बिलिरुबिन < 3mg/dl, सामान्य ट्रांसएमिनेस, PT/INR और एल्ब्यूमिन के साथ असंयुग्मित हाइपरबिलिरुबिनेमिया।
- (ii) एचबीएस एजी और एंटी एचसीए नेगेटिव होना चाहिए।
- (iii) पीबीएस, रेटिकुलोसाइट गणना, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज स्तर, (एलडीएच), विट बी 12 और एचबी एलेक्ट्रोफोरोसिस पर कोई असामान्यता नहीं होनी चाहिए।
- (iv) यकृत की सामान्य अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइब्रोस्कैन।
- (v) UGT1A1 जीन के आनुवंशिक विश्लेषण द्वारा गिल्बर्ट सिंड्रोम का निदान।

(ग) ऑपरेशन पश्चात् मूल्यांकन- सामान्य परिस्थितियों में फिटनेस के मूल्यांकन के लिए ऑपरेशन के बाद की अवधि :-

(i) **हर्निया-** जिनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है (बशर्ते):-

- (कक) एनटेरियर एब्डोमिनल वॉल हर्निया के ऑपरेशन के 24 सप्ताह गुजर चुके हों। उम्मीदवार को इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (कख) पेट की मासपेशियों (एब्डोमिनल मसक्यूलेचर) का सामान्य टोन उत्तम होनी चाहिए।
- (कग) हर्निया की कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन से जुड़ी कोई जटिलता नहीं हुई हो।

(ii) **अन्य दशाएं-** जिनका निम्नलिखित कारणों से ऑपरेशन हुआ हो उन्हें फिट घोषित किया जा सकता है, बशर्ते-

- (कक) ओपन कॉलिसिसटेक्टॉमी 24 सप्ताह (इनसीजनल हर्निया न होने के मामले में)।
- (कख) लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिसटेक्टॉमी 08 सप्ताह (सामान्य एलएफटी), सामान्य हिस्टोपैथोलॉजी)।
- (कग) अपेंडिसेक्टोमी (Appendectomy)।

(i) **लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन न्यूनतम 04 सप्ताह की अवधि के बाद पोस्ट ओपरेटिव फिटनेस के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

- (कक) ऑपरेशन के बाद निशान अच्छे से ठीक हो गए हैं।
- (कख) निशान भर गए हैं।
- (कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।
- (कघ) यूएसजी द्वारा पोर्ट साइट इंसीजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि।

(ii) न्यूनतम 12 सप्ताह की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए **मसल्स स्प्लिट अप्रोच** के साथ **ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

- (कक) घाव अच्छे से ठीक हो गया है।
- (कख) निशान भर गए हैं और दर्द/असहजता नहीं है।
- (कग) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।
- (कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(iii) न्यूनतम 06 महीने की अवधि के बाद पोस्ट ऑप फिटनेस के लिए **मसल्स कट अप्रोच** के साथ **ओपन एपेंडेक्टोमी** का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट माना जाएगा यदि:-

- (कक) घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है।
- (कख) निशान भर गए और दर्दरहित। एपेंडिसाइटिस मौजूद है।
- (कग) एक्यूट की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध है।
- (कघ) सर्जिकल साइट इंसीजनल हर्निया ना होने के संबंध में यूएसजी द्वारा पुष्टि।

(कघ) पायलोनीडल साइनस (Pilonidal sinus) 12 सप्ताह

(कच) फिस्ट्यूला-इन-एनो, गुदा विदर तथा ग्रेड-IV बवासीर। संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी के साथ ऑपरेशन के बाद 12 सप्ताह।

(कछ) हाईड्रोसील तथा वैरीकोसील ऑपरेशन के 8 सप्ताह के बाद संतोषजनक उपचार तथा रिकवरी सहित।

(कज) यूराकल सिस्ट: संतोषजनक उपचार और किसी भी अंतिमांश की अनुपस्थिति सहित 08 सप्ताह पश्चात्।

(कझ) गुदा में भगन्दर (फिस्ट्यूला), गुदा विदर (फिशर) और बवासीर (हैमरॉयड), जब तक कि संतोषजनक उपचार न किया गया हो।

(घ) यकृत (हेपैटिक) कैल्सीफिकेशन..

(i) फिट:-

(कक) एकल कैल्सिफिकेशन ≤ 3 सेमी या एकाधिक पिन पॉइंट या छोटे कैल्सिफिकेशन, जिनकी संख्या 5 तक हो और जिनमें यकृत के 2 से अधिक सन्निहित खण्ड शामिल न हों। जिसका क्लस्टर और कुल व्यास 3 सेमी से अधिक न हो, जिसमें कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन में कमी) न हो।

(कख) टीबी, परजीवी संक्रमण या दीर्घकालिक यकृत रोग का कोई पिछला मामला /लक्षण न हो।

(कग) कोई अन्य अंग शामिल न हो (अर्थात, फेफड़े/प्लीहा का कैल्सीफिकेशन)।

(कघ) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।

(कङ) सामान्य सीरम कैल्शियम, एएफपी, सीरम कैल्शियम, आईजीआरए और हाइड्रेटेड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफिट:-

(कक) एकल आकार > 3 सेमी.।

(कख) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 3 सेमी.।

(कग) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

- (कघ) वॉल /डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइड्रैटिड सीरोलॉजी सहित)।
- (कड़) संबंधित निष्कर्षों (जैसे, यकृत फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।
- (कच) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण (जैसे, फेफड़े/तिल्ली कैल्सीफिकेशन + लक्षण)।
- (कछ) असामान्य सीरम कैल्शियम स्तर।
- (कज) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(ड) हेपेटिक हेमेंगीओमा

(i) फिट :-

- (कक) यकृत में एकल हेमेंगीओमा, आकार में ≤ 2.5 सेमी तक, साथ ही यकृत का सामान्य इकोटेक्सचर और पीटी/आईएनआर, प्लेटलेट्स, अल्फा फीटो प्रोटीन और चुनिंदा मामलों में पीआईवीकेए या डीसीपी के सामान्य मान।

(ii) अनफिट :-

- (कक) 2.5 सेमी से अधिक हेमेंगीओमा ।
- (कख) एकाधिक हेमेंगीओमा ।
- (कग) किसी भी आकार का असामान्य हेमेंगीओमा (सीटी स्कैन पर रेडियोलॉजिकल निदान)।
- (कघ) किसी भी आकार या संख्या का सबकैप्सुलर हेमेंगीओमा ।
- (कड़) स्प्लीन (प्लीहा) में किसी भी आकार या संख्या का हेमेंगीओमा ।

(च) प्लीहा (स्प्लेनिक) कैल्सीफिकेशन और एसओएल

(i) फिट:-

- (कक) एकल कैल्सीफिकेशन ≤ 2 सेमी या एकाधिक, कुल आकार 2 सेमी से अधिक न हो और कोई लक्षण (दर्द, बुखार, वजन घटना) न हो।
- (कख) टीबी, परजीवी संक्रमण, या पुरानी यकृत रोग का कोई पिछला मामला/लक्षण न हो।
- (कग) कोई अन्य अंग प्रभावित न हो (जैसे, फेफड़े/ स्प्लीन (तिल्ली) कैल्सीफिकेशन)।
- (कघ) सौम्य (बिनाइन) इमेजिंग विशेषताएँ (सपाट, स्पष्ट, कोई पिंड न हो)।
- (कड़) सामान्य आईजीआरए, एचबी इलेक्ट्रोफोरिसिस, वास्कुलिटिक परीक्षण और हाइड्रैटिड सीरोलॉजी और चिकित्सक के विवेकानुसार चिकित्सकीय रूप से कोई अन्य प्रासंगिक परीक्षण।

(ii) अनफिट:-

- (कक) एकल आकार > 2 सेमी.।
- (कख) बहु कैल्सीफिकेशन या क्लस्टर आकार > 2 सेमी.।

(कग) किसी पिंड (मास) के भीतर कैल्सीफिकेशन (अनियमित, बढ़ता हुआ, या परिगलित रूप में)।

(कघ) वॉल/ डॉटर क्रिस्ट कैल्सीफिकेशन के साथ सक्रिय सिस्टिक घाव (पॉज़िटिव हाइड्रैटिड सीरोलॉजी सहित)।

(कड) संबंधित निष्कर्ष (जैसे, स्प्लेनिक (प्लीहा) फोड़ा, पित्त अवरोध, वैस्कूलर एन्युरिजम)।

(कच) सक्रिय टीबी/फंगल संक्रमण।

(कछ) चिकित्सक के विवेकानुसार प्रत्येक मामले के आधार पर किए जाने वाले प्रासंगिक प्रयोगशाला परीक्षण।

(छ) गॉल ब्लैडर की एजेनेसिस - बाइलेरी ट्रैक्ट की अन्य किसी असामान्यता की अनुपस्थिति में उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों के लिए एमआरसीपी की जाएगी।

17. मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अंडीसेंडेड टेस्टीस), एकपक्षीय अनवतीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस), वृषण का वंक्षण नली में (इनग्विनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अब्डोमिनल) वलय में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही न किया जाए।

नोट:- एक वृषण (टेस्टिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेस्टिस) को निकाल न दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति उम्मीदवार के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच में एल्बुमिनुरिया या ग्लाइकोसुरिया सहित कोई असामान्यता।

(छ) अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:

(कक) रीनल कैलकुली। आकार, संख्या, अवरोधक या गैर अवरोधक होने पर ध्यान दिए बिना। रीनल कैलकुली का पुराना मामला (पुराना मामला अथवा रेडियोलोजिकल लक्षण) होने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

(कख) कैलीएक्डेसिस

(कग) ब्लैडर डायवर्टीकुलम

(कघ) सामान्य रीनल सिस्ट > 1.5 सेमी

18. केन्द्रीय स्नायु तंत्र

(क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।

(ख) स्पंदन (Tremors)

(ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले उम्मीदवार स्वीकार्य नहीं होंगे।

19. **मानसिक विकार** - उम्मीदवार अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिका संबंधी अस्थिरता (नरवस इनस्टेबिलिटी) का पुराना इतिहास या प्रमाण।

20. ब्लॉक कशेरुक (वर्टिब्रा)

(क) फिट:-

- (i) डोर्सल स्पाइन के सिंगल लेवल कंप्लीट ब्लॉक वर्टिब्रा को चिकित्सीय रूप से फिट माना जाएगा।
- (ii) किसी भी न्यूरो-डेफिशिएंसी/एनोमली की अनुपस्थिति में फिट।

(ख) अनफिट:-

- (i) पूर्ण/अपूर्ण अवरुद्ध ग्रीवा कशेरुक।
- (ii) एक से अधिक लेवार पर डोर्सल वर्टिब्रा का ब्लॉक होना।

लैब जांच (हेमेटॉलॉजी)

(क) **पॉलीसिथेमिया**- पुरुषों में 16.5 g/dl से अधिक तथा महिलाओं में 16 g/dl से अधिक हीमोग्लोबिन रहने पर पॉलीसिथेमिया माना जाएगा तथा अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) **मोनोसाइटोसिस**- 1000/cu mm से अधिक ऐबसोल्यूट मोनोसाइट काउंट्स या कुल डबल्यूबीसी काउंट 10% से अधिक या बराबर रहने पर उम्मीदवार को अनफिट मान लिया जाएगा।

(ग) **इओसिनोफिलिया**- 500/cu mm से अधिक या बराबर ऐबसोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स रहने पर उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

21. **प्रवेश (एंट्री) पर स्वीकार्य दोष** - नौसेना के लिए निम्नलिखित मामूली दोषों के साथ उम्मीदवारों को स्वीकार किया जा सकता है। तथापि प्रवेश के दौरान इन दोषों को चिकित्सकीय फॉर्म में नोट किया जाना चाहिए।

(क) आंतरिक मैलेओली (Malleoli) में 5 सेंमी से कम विच्छेद वाले नॉक नीज (knock knees)।

(ख) पैरों की हल्की वक्रता जो चलने या दौड़ने को प्रभावित नहीं करती है, इंटरकॉन्डाइलर दूरी 7 सेंमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) हल्का हकलाना जो अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करता हो।

(घ) वैरिकोसिल (varicocele) की हल्की डिग्री।

(च) वैरिकोज़ नसों (varicose veins) की हल्की डिग्री।

नोट:- जहां कहीं भी आवश्यक हो उपचारात्मक ऑपरेशन प्रवेश (एंट्री) से पहले करवा लिए जाए। अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के संबंध में निश्चित रूप से कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है और एक उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एक ऑपरेशन वांछनीय है या अनिवार्य इसका निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार द्वारा किया जाना है। ऑपरेशन के परिणाम अथवा किए गए किसी भी खर्च के संबंध में सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

(ज) इसके अतिरिक्त कोई अन्य मामूली दोष जो कोई कार्यात्मक दिव्यांगता पैदा नहीं करता है और जो चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड की राय में एक अधिकारी के रूप में उम्मीदवार की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

वायु सेना

वायु सेना में अधिकारी प्रवेश हेतु चिकित्सा जांच के चिकित्सा मानक और प्रक्रिया

सामान्य अनुदेश

1. इस खंड में, सीडीएसई के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उड़ान (फ्लाईंग) और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन प्रदान किए जाने के लिए उम्मीदवारों का शारीरिक मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन एक समान शारीरिक मानकों को निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार स्वास्थ्य संबंधी वैसी स्थितियों से मुक्त हैं जो संबंधित शाखा में उनके कार्य-निष्पादन को बाधित या सीमित कर सकते हैं। इस खण्ड में वर्णित दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षण के मानक तौर-तरीकों के साथ लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

2. सभी उम्मीदवारों को अपने प्रवेश के दौरान बुनियादी शारीरिक फिटनेस मानक स्तर पूरे करने चाहिए जो उन्हें योग्यता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और बाद में अलग-अलग तरह की जलवायु परिस्थितियों और कार्य परिवेशों में सेवा करने में समर्थ बनाएगा। एक उम्मीदवार तब तक शारीरिक रूप से फिट मूल्यांकित नहीं किया जाएगा/जाएगी जब तक कि संपूर्ण परीक्षण यह नहीं दिखाता कि वह लंबी अवधि तक कठोर शारीरिक और मानसिक दबाव सहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम है। चिकित्सा फिटनेस की अपेक्षाएं अनिवार्य रूप से सभी शाखाओं के लिए समान हैं, सिवाय उन वायुकर्मीदलों के जिनके लिए पैनी नज़र एंथ्रोपोमीट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक स्तर के पैरामीटर और अधिक सख्त हैं।

3. उल्लिखित चिकित्सा मानक प्रारंभिक प्रवेश चिकित्सा मानकों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा फिटनेस की निरंतरता का मूल्यांकन कमीशनिंग से पहले एनडीए/एएफए में आयोजित चिकित्सा परीक्षाओं की अवधि के दौरान किया जाएगा। बीमारियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को देखते हुए वे संपूर्ण नहीं हैं। ये मानक वैज्ञानिक ज्ञान में उन्नति और सशस्त्र बलों की कार्य स्थितियों में बदलाव के साथ परिवर्तन के अधीन हैं।

4. विशेष चिकित्सा बोर्ड के लिए प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच

(क) हेमेटॉलॉजी: पूर्ण हिमोग्राम (ह्यूमोग्लोबिन आकलन, डिफ्रेन्शियल ल्यूकोसाइट काउंट के साथ कुल ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट)।

(ख) कमीशन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा ताकि हीमोग्लोबिनोपैथी वाले उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके।

(ग) जैव-रसायन: लिवर फंक्शन टेस्ट (एलएफटी), रीनल फंक्शन टेस्ट (आरएफटी), रक्त ग्लूकोज आकलन (फास्टिंग तथा 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज/ 82.5 ग्राम ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट लोडिंग के दो घंटे बाद), लिपिड प्रोफाइल।

(घ) यूरीन रूटीन एग्जामिनेशन (आरई) और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन (एमई)।

(च) ईसीजी

(छ) रेडियोलॉजी:-

- (i) सभी उम्मीदवारों में रेडियोग्राफ चेस्ट पीए व्यू।
- (ii) रेडियोग्राफ लिम्बोसैक्रल स्पाइन: सभी उम्मीदवारों में एपी और लेटरल व्यू।
- (iii) उपरोक्त रेडियोग्राफ के अतिरिक्त, उड़ान (फ्लाईंग) ड्यूटी के लिए मूल्यांकन किए जा रहे सभी उम्मीदवारों में ग्रीवा रीड (सर्वाइकल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view), पृष्ठीय रीड (डोर्सल स्पाइन) - एपी और पार्श्व व्यू (Lateral view) भी किए जाएंगे।
- (iv) पेट (Abdomen) और पेड़ू (Pelvis) का यूएसजी।
- (v) यदि कोई अन्य अतिरिक्त जांच आवश्यक समझी जाएगी तो वह अपील चरण के दौरान की जाएगी।

सामान्य शारीरिक मूल्यांकन

5. वायु सेना के लिए फिट होने हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को अगले पैराग्राफ में निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड स्वीकार्य सीमा के भीतर और समानुपातिक होने चाहिए।

6. पुराने फ्रैक्चरों/चोटों के बाद के असर का मूल्यांकन किया जाएगा कि वे कार्य-निष्पादन को किसी प्रकार बाधित तो नहीं करता। यदि कार्य-निष्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता तो उम्मीदवार को फिट मूल्यांकित किया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए:-

(क) रीढ़ की चोट - रीढ़ के पुराने फ्रैक्चर वाले उम्मीदवार अनफिट हैं। रीढ़ में आई कोई विकृति अथवा किसी कशेरुका (वर्टेब्रा) का दबा होना उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का एक कारण होगा।

(ख) नस की चोट - अधिक बड़ी नसों के स्कंध में आई चोट जिससे कार्य-निष्पादन में कमी आती हो अथवा न्यूरोमा (गांठ) बनना जिससे दर्द, अधिक भनभनाहट होती हो, उड़ान ड्यूटी में नियोजित किए जाने के लिए अनुपयुक्त होने के कारण होंगे।

(ग) केलॉइड - बड़े या एक से अधिक केलॉइड होने का मामला उम्मीदवार को अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

(घ) शल्य क्रिया के निशान मामूली और अच्छी तरह भर चुके निशान जैसे कि किसी सतही शल्य क्रिया से बने निशान नियोजन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नहीं हैं। हाथ-पैर या धड़ पर घाव के बहुत बड़े निशान जिससे कार्य-निष्पादन में बाधा आ सकती हो अथवा जो भदे दिखते हों वे अनफिट माने जाने का कारण होंगे।

(च) जन्मजात निशान हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में असामान्य पिगमेंटेशन (झाइयां) स्वीकार्य नहीं है। तथापि, स्थानिक जन्मजात तिल/नेवस स्वीकार्य है बशर्ते इसका आकार 10 से.मी. से छोटा हो। जन्मजात एकाधिक तिल (नेवस) या वाहिकीय रसौली (वैस्कुलर ट्यूमर) जिससे काम-काज में बाधा आती हो या जिसमें लगातार जलन होती हो, स्वीकार्य नहीं है।

(छ) **त्वचा के नीचे सूजन** लिपोमा को तब तक फिट माना जाएगा जब तक कि लिपोमा आकार/अवस्थिति के कारण कोई बड़ी विकृति /कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न न कर रही हो। न्यूरोफाइब्रोमा, यदि एक हो, तो उसे फिट माना जाएगा। बड़े कैफ़े-ऑ-ले धब्बों (*Caf'e-au-lait spots*) (1.5 से.मी. आकार से बड़े या संख्या में एक से ज्यादा) से जुड़े एकाधिक न्यूरोफाइब्रोमा के मामले में अनफिट माना जाएगा।

(ज) **सर्वाइकल रिब** किसी न्यूरो-वैस्कुलर समस्या से रहित सर्वाइकल रिब स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में कोई न्यूरो-वैस्कुलर समस्या की आशंका दूर करने के लिए बारीकी से नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए।

(झ) **क्रानियो-फेशियल विकृति** - चेहरे और सिर की विषमता या खोपड़ी, चेहरे या जबड़े की ठीक न कराई गई विकृतियां, जिनसे ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट या सैन्य हेडगियर सही तरीके से पहन पाने में समस्या होगी, अनफिट होने का कारण मानी जाएंगी। ठीक करने के लिए कराई शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी रह गई गंभीर विकृतियों को अनफिट होने का कारण माना जाएगा।

(ट) **ऑपरेशनों से संबंधित पूर्व विवरण** - ऐसा उम्मीदवार, जिसके उदर (पेट) का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें बड़ी शल्य-क्रिया (सर्जरी) की गई हो अथवा कोई अंग अंशतः/ पूरा निकाल दिया गया हो, नियमतः, सेवा के लिए अनफिट है। खोपड़ी (क्रानियल वॉल्ट) से जुड़ा ऑपरेशन, जिससे हड्डी का कोई दोष रह गया हो, अनफिट होने का कारण होगा। छाती के बड़े ऑपरेशन हुए होने पर उम्मीदवार अनफिट होगा।

माप और शारीरिक गठन

7. **छाती का आकार और परिमाण**- छाती भली-भांति विकसित और समानुपातिक होनी चाहिए। छाती की कोई भी विकृति, जिससे प्रशिक्षण और सैन्य ड्यूटी के निष्पादन के दौरान शारीरिक परिश्रम में दिक्कत आने की आशंका हो अथवा जो सैन्य प्रभाव धारण करने में प्रतिकूल असर डालती हो अथवा किसी कार्डियो-पल्मोनरी या मस्कुलोस्केलेटल विसंगति से जुड़ी हो, अनफिट होने का कारण मानी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए छाती की परिधि का अनुशंसित न्यूनतम परिमाण 77 से.मी. है। सभी उम्मीदवारों के लिए छाती फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 05 से.मी. होना चाहिए। अभिलेख में दर्ज करने के प्रयोजनार्थ 0.5 से.मी. से कम कोई भी दशमलव अंश अनदेखा किया जाएगा, 0.5 से.मी. को उसी रूप में दर्ज किया जाएगा और 0.6 से.मी. तथा इससे अधिक को 01 से.मी. के रूप में दर्ज किया जाएगा।

8. कद

(क) **ग्राउंड ड्यूटी शाखा-** ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद इस प्रकार है-

(i) पुरुष - 157 सें.मी.

(ii) महिलाएं - 152 सें.मी.

नोट 1- लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य कद 2 से.मी. घटाया जा सकता है (पुरुषों के लिए 155 से. मी. और महिलाओं के लिए 150 से. मी.)। गोरखाओं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य कद 5 से.मी. कम (पुरुषों के लिए 152 से. मी. और महिलाओं के लिए 147 से. मी.) होगा।

नोट 2- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के उम्मीदवारों में, गोरखा, कुमाउंती, गढ़वाली, असमिया तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं।

(ख) **उड़ान (फ्लाईंग) ड्यूटी शाखाएं-** उड़ान ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम कद (पुरुष एवं महिला दोनों के लिए) निम्नानुसार होगा:-

(i) पायलट, उड़ान परीक्षण इंजीनियर (एफटीई) तथा एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यू एस ओ के लिए-**162 सें.मी.**

(ii) एफ (पी), एफटीई ड्यूटी और एसयू 30 एमकेआई के डब्ल्यूएसओ को छोड़कर ऐसे अफसर और एयरमेन जो वायुकर्मिदल (एयरक्रू) ड्यूटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, के लिए-**157 से.मी.**

9. बैठे होने पर लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई- ऐसे वायुकर्मिदल (एयरक्रू) के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठे होने पर स्वीकार्य माप के अनुसार लंबाई निम्नानुसार होगी :-

(क) बैठे होने पर लंबाई	न्यूनतम - 81.5 से.मी. अधिकतम - 96.0 से.मी.
(ख) टांग की लंबाई	न्यूनतम - 99.0 से.मी. अधिकतम - 120.0 से.मी.
(ग) जांघ की लंबाई	अधिकतम - 64.0 से.मी.

10. शरीर के वजन के मानक

(क) उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन सीमा इस अध्याय के परिशिष्ट 'क' (पुरुष उम्मीदवारों हेतु) में उल्लिखित है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु तथा कद, दी गई वजन सीमा के बाहर है उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 'क'
(पैरा 8 एवं 10 देखें)

कद के अनुसार वजन संबंधी चार्ट : पुरुषों के लिए (प्रवेश के समय)

कद (से.मीटर)	न्यूनतम वजन (कि.ग्रा.)	अधिकतम वजन (कि.ग्रा.)		
		पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 वर्ष से कम है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 20 से 25 वर्ष है	पिछली जन्मतिथि पर आयु 25 से अधिक है
152	40	53	55	58
153	40	54	56	59
154	40	55	57	59
155	41	55	58	60
156	41	56	58	61
157	42	57	59	62
158	42	57	60	62
159	43	58	61	63

160	44	59	61	64
161	44	60	62	65
162	45	60	63	66
163	45	61	64	66
164	46	62	65	67
165	46	63	65	68
166	47	63	66	69
167	47	64	67	70
168	48	65	68	71
169	49	66	69	71
170	49	66	69	72
171	50	67	70	73
172	50	68	71	74
173	51	69	72	75
174	51	70	73	76
175	52	70	74	77
176	53	71	74	77
177	53	72	75	78
178	54	73	76	79
179	54	74	77	80
180	55	75	78	81
181	56	75	79	82
182	56	76	79	83
183	57	77	80	84
184	58	78	81	85
185	58	79	82	86
186	59	80	83	86
187	59	80	84	87
188	60	81	85	88
189	61	82	86	89
190	61	83	87	90
191	62	84	88	91
192	63	85	88	92
193	63	86	89	93
194	64	87	90	94
195	65	87	91	95
196	65	88	92	96
197	66	89	93	97
198	67	90	94	98
199	67	91	95	99
200	68	92	96	100

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम

11. **पल्स-** निरंतर रहने वाले साइनस टैकिऑर्डिया (>100 बीपीएम) तथा निरंतर रहने वाले साइनस ब्रेडिकार्डिया (<60 बीपीएम) को अनफ़िट माना जाएगा। यदि ब्रेडिकार्डिया शरीर क्रिया से संबंधित मानी जाती है तो उम्मीदवार को चिकित्सा विशेषज्ञ/हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरांत फिट घोषित किया जा सकता है।
12. **रक्त चाप -** कोई व्यक्ति जिसका सिस्टोलिक रक्तचाप 140 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है और/या जिसका डायस्टोलिक रक्तचाप 90 एमएमएचजी से अधिक या उसके बराबर रहता है उसे अस्वीकृत किया जाएगा।
13. **कार्डियक मर्मर-** ऑर्गेनिक कार्डियोवास्कुलर रोग के लक्षण मिलना अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। डायस्टोलिक मर्मर अपरिवर्तनीय रूप से जैविक है। इजेक्शन सिस्टोलिक प्रकृति के छोटे सिस्टोलिक मर्मर जो थ्रिल से नहीं जुड़े हैं और जो खड़े होने पर कम हो जाते हैं, विशेषकर यदि वह सामान्य ईसीजी और छाती के रेडियोग्राफ से जुड़े हो, अधिकतर प्रकार्यात्मक होते हैं।
14. **ईसीजी -** एसएमबी/ भर्ती चिकित्सा परीक्षा में ईसीजी में पाई गई कोई भी अनियमितता अस्वीकृति का आधार होगी। सामान्य ईसीजी अनियमितताएं जैसे अपूर्ण आरबीबीबी निम्न लीड में टी वेव इनवर्जन (प्रतिलोमन), वी 1 से वी 3 में टी इनवर्जन (जूवनाइल पैटर्न), वोल्टेज मानक द्वारा एल वी एच (पतली चेस्ट वॉल के कारण), किसी भी संरचनागत हृदय रोग के बिना उपस्थित हो सकती है। ऐसे सभी मामलों में किसी अंतर्हित संरचनागत हृदय रोग की आशंका को मिटाने के लिए इकोकार्डियोग्राफी की जानी चाहिए और वरिष्ठ परामर्शदाता (मेडिसिन) या हृदयरोग विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए।
15. **हृदय संबंधी जन्मजात विसंगतियां -** हृदय संबंधी सभी जन्मजात विसंगतियों में अनफिट घोषित किया जाएगा।
16. **हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़ -** पूर्व में की गई हृदय की सर्जरी/पूर्व-उपचार वाले उम्मीदवार को अनफ़िट माना जाएगा।

श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरी सिस्टम)

17. **पल्मोनरी ट्यूबरकलोसिस-** चेस्ट रेडियोग्राम में किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में दिए गए साक्ष्य, पल्मोनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई भी अवशिष्ट स्कारिंग अस्वीकार किए जाने का कारण होगा। पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट असामान्यता न हो उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले पूरा किया जा चुका हो।
18. **एफ्यूजन सहित प्लूरिसी-** प्लीयूरल स्थूलता का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण बनेगा। अपील के समय इन मामलों को पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

19. **ब्रांकाइटिस-** खांसी /सांस लेने में घरघराहट/ ब्रोंकाइटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास श्वसन पथ के क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अन्य क्रोनिक पैथोलॉजी का लक्षण हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा तथा पल्मोनोलॉजिस्ट/चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा अपील के समय उचित जांच के साथ उनका विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।
20. **ब्रोंकियल अस्थमा-** ब्रोंकियल अस्थमा /सांस लेने में घरघराहट /एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार होने वाले दौरों का पुराना इतिहास अस्वीकृति का कारण होगा।
21. **चेस्ट का रेडियोग्राफ करना-** फेफड़ों, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल लक्षण उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का मापदंड होंगे।
22. **थोरासिक सर्जरी-** यदि पूर्व में उम्मीदवार की थोरेक्स की मेजर सर्जरी हुई हो तो वह अनफिट माना जाएगा।

पाचन तंत्र (Gastrointestinal System)

23. **सिर से पांव तक की जांच** -लिवर कोशिका की खराबी के किसी लक्षण की मौजूदगी (अर्थात बालों का झड़ना, पैरोटिडोमेगली, स्पाइडर नैवी, गाइनोकोमास्टिया, टेस्टीकुलर एट्राफी, फ्लैपिंग ट्रेमर आदि) तथा मालएक्सॉर्प्शन का कोई भी लक्षण (पैलर, नाखून तथा त्वचा में बदलाव, एंगुलर चेलीटीस, पेडल एडेमा) अस्वीकार करने का आधार होगा।
24. **गैस्ट्रो डुओडेनल दिव्यांगता-** पहले हो चुकी सर्जिकल प्रक्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/ पित्ताशय के अतिरिक्त) को आंशिक रूप से या पूरा निकाला गया हो, अस्वीकृति का आधार होगी।
25. **यकृत (लीवर) के रोग** - यदि पूर्व में पीलिया (जॉण्डिस) होने का पता चलता है या यकृत (लीवर) के काम करने में किसी प्रकार की असामान्यता का संदेह होता है, तो मूल्यांकन के लिए पूरी जांच करना अपेक्षित है। वायरल यकृत-शोथ (हेपाटाइटिस) या पीलिया के किसी अन्य रूप से ग्रस्त उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को 06 माह की न्यूनतम अवधि बीत जाने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी नैदानिक रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) पूरी हो गई हो, एचबीवी और एचसीवी – दोनों स्थिति निगेटिव हो और यकृत (लीवर) सामान्य रूप से काम कर रहा हो। बार-बार पीलिया होने पर और किसी भी प्रकार का हाइपरबिलिरुबिनेमिया होने पर उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।
26. **प्लीहा (स्प्लीन) का रोग** - जिन उम्मीदवारों का आंशिक/पूर्ण प्लीहोच्छेदन (स्प्लीनेक्टोमी) हुआ हो, वे अनफिट होंगे चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी रहा हो।
27. **फीमरल हर्निया सहित एनटीरियर एंडोमिनल वॉल हर्निया** (i) फिट। सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों (ii) अनफिट। (क) इनसीजनल हर्निया के सभी मौजूदा या ऑपरेशन किए गए मामले (ख) मौजूदा एनटीरीयर एंडोमिनल वॉल हर्निया के सभी मामले।

इंग्विनल हर्निया। (i) फिट। हर्निया को ठीक करने संबंधी सर्जरी के 24 सप्ताह बाद (ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों) बशर्ते कि कोई पुनरावृत्ति या ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं न हों (ii) अनफिट। वर्तमान इंग्विनल हर्निया के सभी मामले।

28. एब्डोमिनल सर्जरी - परंपरागत एब्डोमिनल सर्जरी (दाहिने इलियेक फॉसा इन्सीज़न को छोड़कर पैरा 36.2 देखें) के बाद इसके घाव के निशान जिस उम्मीदवार में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे 24 सप्ताह के बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते किसी छुपी हुई विकृति के दोबारा उभरने की आशंका न हो, हर्निया में कोई चीरा लगने का प्रमाण न हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

29. गुद-मलाशय (एनोरेक्टल) स्थितियां - जांच करने वाले को डिजिटल रेक्टल से जांच करनी चाहिए और बवासीर, बाहरी बवासीर, गुदा के त्वचा टैग, विदर, विवर, नालव्रण, भ्रंश, मलाशय पुंज या पॉलिप के न होने की बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

(क) फिट

(i) पॉलिप, बवासीर, विदर, नालव्रण या व्रण (अल्सर) के लिए मलाशय की शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद बशर्ते बीमारी बची न होने/दोबारा न होने का प्रमाण हो।

(कक) गुदा संबंधी फिशर, बवासीर : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद।

(कख) पाइलोनिडल साइनस : सर्जरी के 12 सप्ताह के बाद।

(ख) अनफिट

(i) सुधार के लिए सर्जरी के बाद भी मलाशय भ्रंश।

(ii) सक्रिय गुदा संबंधी फिशर/बाहरी त्वचा संबंधी पट्टी।

(iii) बवासीर (बाहरी या भीतरी)।

(iv) गुदा संबंधी फिशटुला फिस्ट्यूला।

(v) गुदा या मलाशय का पॉलिप।

(vi) गुदा का निकुंचन।

(vii) मल असंयति।

30. एब्डोमन (पेट) की अल्ट्रासोनोग्राफी

(क) यकृत (लिवर)

फिट

(i) यकृत (लिवर), सीबीडी, आईएचबीआर, पोर्टल तथा शिराओं की सामान्य ईको-एनाटोमी के साथ मध्य-जत्रुकी रेखा (क्लैविक्युलर लाइन) में यकृत का विस्तार 15 सेमी से अधिक न हो।

(ii) 2.5 सेमी व्यास तक की एक साधारण रसौली (पतली भित्ति, ऐनईकोइक) बशर्ते एल एफ टी सामान्य और हाइडेटिड सीरम परीक्षण नेगेटिव हो।

(iii) यकृति कैल्सीकरण को फिट माना जाएगा यदि एक ही हो तथा 1 सेमी से कम आकार का हो और संगत नैदानिक परीक्षणों तथा उपयुक्त जांच के आधार पर तपेदिक, सार्काइडोसिस, हाईडेटिड रोग या यकृत में फोड़े के सक्रिय न होने का प्रमाण हो।

अनफिट

- (i) मध्य- जत्रुकी रेखा (मिड-क्लैविक्युलर लाइन) में 15 सेमी से बड़ी यकृति वृद्धि।
- (ii) वसीय यकृत (फैटी लीवर)।
(कक) असामान्य एल एफ टी के साथ ग्रेड 1 वसीय यकृत (फैटी लीवर)
(कख) ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वसीय यकृत (फैटी लीवर)।
- (iii) एक अकेली रसौली > 2.5 सेमी।
- (iv) मोटी भित्ति, पटभवन (सेप्टेशन), अंकुरक प्रक्षेप (पैपीलरी प्रोजेक्शन), कैल्सीफिकेशन और डैबरीज के साथ किसी भी आकार की एक रसौली।
- (v) एकाधिक यकृति (लीवर) कैल्सीफिकेशन या गुच्छ जो 1 सेमी से अधिक हो।
- (vi) किसी भी आकार की एकाधिक यकृति (लीवर) रसौली।
- (vii) किसी भी आकार और अवस्थिति का कोई भी हीमेंगियोमा (रक्तवाहिकाबुर्द)।
- (viii) प्रवेशद्वार पर शिरा घनास्रता (पोर्टल वेन थ्रैम्बोसिस)।
- (ix) पोर्टल हाइपरटेंशन (पोर्टल नली >13 मीमी, कोलैटरल्स एसाइट्स) का प्रमाण।

31. पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) :-

(क) फिट

- (i) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की सामान्य ईको-एनाटोमी।
- (ii) पोस्ट लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी- आठ सप्ताह पश्चात बशर्ते एलएफटी एवं हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य सीमा में हो।
- (iii) पोस्ट ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी- 24 सप्ताह के बाद, बशर्ते एलएफटी और हिस्टोपैथोलॉजी सामान्य स्थिति में हों और अल्ट्रासाउंड द्वारा उदर (एब्डोमन) में इनसिजनल हर्निया की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई हो।

(ख) अनफिट

- (i) कोलिलिथिएसिस या बिलिअरी स्लज।
- (ii) कोलिडोकोलिलिथिएसिस ।
- (iii) किसी भी आकार एवं संख्या का पॉलिप।
- (iv) कोलिडोकल सिस्ट।
- (v) गॉल ब्लैडर मास।
- (iv) गॉल ब्लैडर वॉल की मोटाई >05 मिमी।
- (vii) सेप्टेट गॉल ब्लैडर।
- (viii) दोबारा यूएसजी होने पर लगातार सिकुड़ता हुआ गॉल ब्लैडर।

(ix) अपूर्ण कोलिसिस्टेक्टॉमी।

(ग) अल्ट्रासाउंड में न दिखने वाला पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) - इसे अनफिट माना जाएगा। पित्त संबंधी ट्रैक्ट की किसी अन्य असामान्यता की मौजूदगी में अगर गॉल ब्लैडर के निकास की मैग्नेटिक रेसोनैन्स कॉलेनगिओ-पैनक्रिओग्राफी (एमआरसीपी) में पुष्टि होती है तो अपील के दौरान उन्हें फिट माना जाएगा।

32. प्लीहा (स्प्लीन)

(क) अनफिट

- (i) अक्षांशीय धुरी (लांगिट्यूडिनल एक्सिस) में प्लीहा (स्प्लीन) 13 सेमी से अधिक हो (अथवा यदि चिकित्सीय रूप से सुस्पष्ट हो)।
- (ii) प्लीहा (स्प्लीन) में स्थान घेरने वाली कोई विक्षति।
- (iii) एस्प्लेनिया।
- (iv) ऐसे उम्मीदवार जिनकी आंशिक/पूर्ण स्प्लेक्टॉमी हुई है, चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो, अनफिट माने जाएंगे।

33. अग्न्याशय (पैंक्रियाज़)

(क) अनफिट

- (i) कोई भी संरचनात्मक असामान्यता।
- (ii) कोई भी जगह घेरने वाला घाव/बड़े पैमाने पर घाव।
- (iii) क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की विशेषताएं (कैल्सीफिकेशन, डक्टल असामान्यता, एट्रोफी)।

34. उदर आवरण गुहिका (पेरीटोनियल कैविटी)

(क) अनफिट

- (i) जलोदर (Ascites)।
- (ii) सोलिटरी मे सेन्ट्रिक अथवा रेट्रोपेरीटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से बड़ा हो। (सिंगल रेट्रोपेरीटोनियल लिंफ नोड 01 सेमी से कम एवं बनावट में सामान्य होने पर फिट माना जाएगा)।
- (iii) किसी भी आकार के दो या अधिक लिंफ नोड।
- (iv) कोई भी मास या सिस्ट।

35. मेजर एन्डोमिनल वैस्कुलेचर (आर्टो /आईवीसी)। कोई संरचनात्मक असामान्यता, फोकल एक्टेसिया, एन्यूरिज़्म एवं कैल्शफिकेशन होने पर अनफिट माना जाएगा।

36. एपेन्डीसेक्टॉमी

- (क) न्यूनतम 04 सप्ताह की अवधि के पश्चात लेप्रोस्कोपिक एपेन्डीसेक्टॉमी की पोस्ट-ऑपरेटिव फिटनेस के लिए जांच की जाएगी। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-
- (i) उसके ऑपरेशन के बाद उस जगह के निशान (स्कार) अच्छे से भर गए हों।
 - (ii) निशान (स्कार) नरम हों।
 - (iii) एक्यूट एपेंडिसाइटिस की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।
 - (iv) यूएसजी के द्वारा पोर्ट साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।
- (ख) ओपन एपेंडिसेक्टॉमी का न्यूनतम 12 सप्ताह की अवधि के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव फिटनेस के लिए मसल स्प्लिट एप्रोच द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार को फिट समझा जाएगा, यदि:-
- (i) घाव अच्छी तरह से भर गया हो।
 - (ii) निशान (स्कार) सुनम्य और कमजोर (नॉन टेंडर) न हों।
 - (iii) एपेंडिक्स की हिस्टो-पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो।
 - (iv) यूएसजी के द्वारा सर्जिकल साइट इनसिश्जनल हर्निया न होने की पुष्टि हो।

मूत्र-प्रजनन प्रणाली (Urogenital System)

निम्नलिखित फिटनेस मानदंडों का पालन किया जाएगा:-

37. अनडिसेंडेड टेस्टिस ऑर्किडेक्टॉमी (यूडीटी)

(क) अनफिट

- (i) स्क्वेटिंग पोजीशन में उम्मीदवार की जांच हो जाने के बाद भी यदि टेस्टिस (एक पार्श्वी अथवा द्विपार्श्वी) स्पर्श न हो या छुआ न जा सकता हो।
- (ii) ट्रॉमा, टॉर्शन अथवा इन्फेक्शन जैसे किसी भी कारण से द्विपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी को अनफिट माना जाएगा।

(ख) फिट

- (i) सर्जरी के कम से कम 04 सप्ताह बाद प्रवर्ती अथवा प्रभावी रूप से ठीक हो चुका यूडीटी, बशर्ते कि शल्यचिकित्सा सुधार (सर्जिकल करेक्शन) के बाद टेस्टिस सामान्य स्थान पर हो एवं घाव अच्छी तरह से भर चुका हो।
- (ii) सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी ऑर्किडेक्टॉमी, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

38. एट्रोफिक टेस्टिस

(क) अनफिट- द्विपार्श्वी एट्रोफाइट टेस्टिस।

(ख) फिट- सुसाध्य कारणों के लिए एकपार्श्वी एट्रोफिक टेस्टिस, बशर्ते कि दूसरा टेस्टिस आकार, स्थिरकरण एवं स्थान की स्थिति में सामान्य हो।

39. वैरिकोसील

(क) अनफिट- वर्तमान वैरिकोसील के सभी ग्रेड।

(ख) फिट- ऑपरेशन के बाद वाले मामले जिनमें वैरिकोसील का कोई भी अवशेष न हो एवं सर्जरी के 08 सप्ताह बाद कोई ऑपरेशन पश्चात् समस्या अथवा टेस्टिक्युलर एट्रोफी न हो।

40. हाइड्रोसील

(क) अनफिट- किसी भी तरफ मौजूदा हाइड्रोसील।

(ख) फिट- सर्जरी के 08 सप्ताह बाद हाइड्रोसील के ऑपरेशन किए जा चुके मामले, यदि ऑपरेशन के बाद कोई भी समस्या न हो एवं घाव अच्छी तरह से भर गया हो।

41. एपिडीडिमल सिस्ट/मास, स्पर्मेटोसील।

(क) अनफिट – मौजूदा सिस्ट/मास

(ख) फिट - ऑपरेशन के 8 सप्ताह बाद पूरी तरह ठीक होने के मामले, पुनरावृत्ति नहीं होना तथा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में केवल बिनाइन लक्षण।

42. एपिडिडीइमाइटिस/ऑर्काइटिस

(क) अनफिट- वर्तमान ऑर्काइटिस अथवा एपिडिडीमाइटिस/ट्यूबरोक्युलॉसिस की उपस्थिति।

(ख) फिट - उपचार के बाद, बशर्ते कि स्थिति पूर्ण रूप से सुधर गई हो।

43. एपिस्पैडियास/हाइपोस्पैडियास

(क) अनफिट - हाइपोस्पैडियास एवं एपिस्पैडियास के ग्लैनुलर प्रकार जो कि स्वीकार्य है, के अतिरिक्त सभी अनफिट हैं।

(ख) फिट- सफल सर्जरी के कम से 08 सप्ताह बाद के ऑपरेशन के बाद वाले मामले, बशर्ते स्वास्थ्य सुधार पूरा हो चुका हो एवं कोई भी समस्या न हो।

44. पेनाइल एम्प्युटेशन -किसी भी प्रकार का अंग विच्छेदन उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

45. फिमोसिस

(क) अनफिट – मौजूदा फिमोसिस, यदि स्थानीय स्वच्छता और मूत्रत्याग में रुकावट डालने के लिए पर्याप्त रूप से तंग है और/या बैलेनाइटिस जेरोटिका ओब्लिटरन्स से जुड़ा हुआ है।

(ख) फिट - ऑपरेशन हो चुके मामलों को सर्जरी के 04 सप्ताह बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते कि घाव अच्छी तरह से भर गए हों एवं ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की समस्या न देखी गई हो।

46. मीटल स्टेनोसिस

(क) अनफिट - वर्तमान बीमारी, यदि बाँझिंग में को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से छोटा हो।

(ख) फिट- हल्की बीमारी जो पेशाब करने में बाधा नहीं डालती है और सर्जरी के 04 सप्ताह के पश्चात के ऑपरेशन के मामले, जिसमें घाव पर्याप्त रूप से ठीक हो गया हो और ऑपरेशन के पश्चात कोई जटिलता न हो।

47. स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल फिस्टुला। ऐसे पुराने/वर्तमान मामलों अथवा ऑपरेशन के बाद वाले मामलों में उम्मीदवार अनफिट माना जाएगा।

48. सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी/इंटरसेक्स स्थिति- अनफिट।

49. नेफ्रेक्टॉमी- चाहे सर्जरी का प्रकार कुछ भी क्यों न हो, (सिम्पल /रेडिकल /डोनर /आंशिक /आरएफए /क्रायो-ऐब्लेशन) सभी मामले, अनफिट माने जाएंगे।

50. रीनल ट्रांसप्लांट ग्राही अनफिट।

51. यूरेकल सिस्ट: 08 सप्ताह (किसी भी अवशेष के न होने पर फिट माने जाएंगे)।

52. ब्लैडर डायवर्टिक्युलम के मामलों को अनफिट माना जाएगा।

53. पेशाब की जांच

(क) प्रोटीन्यूरिया- प्रोटीन्यूरिया अस्वीकृति का एक कारण होगा, जब तक कि यह ऑर्थोस्टेटिक प्रमाणित न हो जाए।

(ख) ग्लाइकोसूरिया- जब ग्लाइकोसूरिया का पता चलता है, एक ब्लड शुगर जांच (खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोस के बाद) और ग्लाइको साइलेटिड हीमोग्लोबीन परीक्षण किया जाएगा, और परिणामों के आधार पर फिट होने का निर्धारण होता है। रीनल ग्लाइकोसूरिया अस्वीकृति का कारण नहीं है।

(ग) मूत्र संक्रमण- जब उम्मीदवार का मूत्र संक्रमण का पुराना मामला है या कोई प्रमाण है तब उसकी पूर्ण रीनल जांच की जाएगी। मूत्र संक्रमण का सतत प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(घ) रक्तमेह (हेमेच्यूरिया) - हेमेच्यूरिया के इतिहास वाले उम्मीदवारों की पूर्ण रीनल जांच की जाएगी।

54. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस

(क) एक्यूट - इस परिस्थिति में एक्यूट चरण में ठीक होने की उच्च संभावना होती है, विशेषकर बचपन में। कोई उम्मीदवार जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसे प्रोटीन्यूरिया नहीं है, को पूरी तरह ठीक होने के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

(ख) पुराना (क्रोनिक)- क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

55. रीनल कैल्कुली- आकार, संख्या, अवरोधी अथवा गैर-अवरोधी के निरपेक्ष रीनल कैल्कुली का इतिहास (इतिहास अथवा रेडियोलॉजिकल प्रमाण) किसी उम्मीदवार को अनफिट बना देगा।

56. यौन संचारित रोग और ह्यूमन इम्युनो डेफिशिएंसी वायरस (एच आई वी) सीरोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति और/या एस टी डी के प्रमाण वालों को अस्वीकार किया जाएगा।

57. एब्डोमन की अल्ट्रासोनोग्राफी – यूरोजेनिटल प्रणाली

58. गुर्दा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर

(क) अनफिट

(i) गुर्दों या यूरिनरी ट्रैक्ट की जन्मजात संरचनात्मक असामान्यताएं

- (कक) एक-पार्श्वी रीनल एगनेसिस
- (कख) 08 से.मी. से कम आकार के एकपार्श्वी या द्विपार्श्वी हाइपोप्लास्टिक/कॉन्ट्रैक्टेड गुर्दा।
- (कग) गुर्दे का मालरोटेशन
- (कघ) हॉर्सशू गुर्दा (किडनी)
- (कच) टॉस्ड गुर्दा (किडनी)
- (कछ) क्रॉस्ड फ्यूज्ड/एक्टोपिक गुर्दा।
- (ii) एक गुरदे में 1.5 से.मी. से अधिक आकार का सामान्य एकल रीनल सिस्ट।
- (iii) जटिल सिस्ट/पॉलीसिस्टिक रोग/बहु या द्विपार्श्व सिस्ट।
- (iv) रीनल/यूरेटरिक/वेसिकल मास।
- (v) हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटेरोनेफ्रोसिस।
- (vi) कैल्कुली- रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल।
- (vii) कैल्किटासिस

(ख) फिट

- (i) एकल, एकपार्श्वी सामान्य रीनल सिस्ट <1.5 से.मी. बशर्ते सिस्ट बाहर स्थित है जो गोल/अंडाकार है जिसकी पतली चिकनी सतह है और कोई लोकल्यूकेशन नहीं है, पार्श्व भाग बढ़ा हुआ है, डिबरिस, सेप्टा और कोई ठोस घटक नहीं है।

अन्तःस्रावी (एंडोक्राइन) प्रणाली

59. एंडोक्राइन विकार दर्शाने वाला किसी भी प्रकार का पुराना मामला न हो।

60. चिकित्सीय परीक्षण- एंडोक्राइन रोग के किसी भी चिकित्सीय लक्षण वाला व्यक्ति अनफिट होगा।

61. थायरॉइड सूजन वाले सभी मामले अनफिट हैं। ऐसे मामलों की फिटनेस संबंधी अपील मेडिकल बोर्ड में उपयुक्त जांच के साथ मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जाएगी।

62. मधुमेह मैलिटस वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाले उम्मीदवार के ब्लड शुगर (खाली पेट और 75ग्राम एनहाइड्रस/ 82.5 ग्राम मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्रहण के बाद) और एचबीए1सी की जांच की जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।

त्वचाविज्ञान (डर्मेटोलॉजिकल) प्रणाली

63. संबद्धित पिछला मामला और परीक्षण - ऐसे उम्मीदवार जिनमें व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता (सीएसडब्ल्यू) के साथ यौन संपर्क का पुराने मामले का पता चलता है और एक निशान के रूप में लिंग पर चोट, जो भर गई है, का प्रमाण मिलता है, को स्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा चाहे प्रत्यक्ष यौन संचारित रोग न हों, क्योंकि ये उम्मीदवार समान संलिस संभोग व्यवहार के साथ संभावित 'पुनरावृत्ति' वाले हैं।

64. **त्वचा रोगों का मूल्यांकन** - एक्यूट नॉन-एकजैनथिमेटस और विसंक्रामक रोग जो आमतौर पर अस्थायी समय के लिए होते हैं, अस्वीकृति का कारण नहीं होंगे। हल्की प्रकृति के रोग और जो सामान्य स्वास्थ्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करते या अक्षमता पैदा नहीं करते, वे अस्वीकृति का कारण नहीं होते हैं।
65. ट्रापिकल परिस्थितियों में कुछ निश्चित त्वचा रोगों के सक्रिय और अक्षमता पैदा करने वाले बनने की संभावना है। कोई व्यक्ति सेवा के लिए अनफिट है यदि उसमें क्रॉनिक या पुनरावृत्ति वाले त्वचा रोग का निश्चित इतिहास या लक्षण हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियों का वर्णन नीचे किया गया है:-
66. **पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस** - पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ मात्रा शारीरिक है जिसमें उस परिस्थिति पर विचार किया जाता है जिसका सामना चिकित्सा जांच के दौरान भर्ती होने वाला व्यक्ति करता है। हालांकि, विशिष्ट पल्मोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।
67. **एक्रे वल्लारिस**- हल्के (ग्रेड-I) मुहांसे जिसमें कुछ कोमिडोन या पाप्युल्स जो केवल चेहरे तक सीमित होता है, स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि, सामान्य से गंभीर डिग्री के मुहांसे (नोड्यूलोसिस्टिक प्रकार के या कीलोइडल दाग-धब्बों के साथ या बिना) या जिसमें पीछे का हिस्सा शामिल हो, को अनफिट माना जाएगा।
68. **पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा**- हाइपरकेराटोइक हथेलियों, तलवों और एड़ियों पर फटी त्वचा के साथ जुड़ी पल्मोप्लांटर केराटोडर्मा की किसी भी डिग्री वाले उम्मीदवार को अनफिट समझा जाएगा।
69. **इक्थियोसिस वल्लारिस**- प्रत्यक्ष सूखी, धारीधार, फटी त्वचा वाले ऊपरी और निचले अंगों की इक्थियोसिस वालों को अनफिट समझा जाएगा। हल्के जेरोसिस (सूखी त्वचा) वालों को फिट समझा जा सकता है।
70. केलॉइड वाले उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाना चाहिए।
71. उंगलियों और पैरों के नाखूनों की क्लिनिकल प्रमाणित ओनिकोमाइकोसिस वालों को अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेषकर यदि वे नाखून डिस्ट्रॉफी से जुड़े हैं। डिस्टल रंगहीनता वाले हल्के डिग्री के एक नाखून जिसमें कोई डिस्ट्रॉफी नहीं है, को स्वीकार किया जा सकता है।
72. जाइंट कॉनजेनिटल मेलानोसाइटिक नीवी, जो 10 से.मी. से अधिक हैं, को अनफिट माना जाए क्योंकि ऐसे विशाल आकार के नेवी में असाध्य होने की क्षमता है।
73. एकल कॉर्न /वार्ट / कैलोसिटीज वालों को सफल उपचार के तीन माह बाद और पुनरावृत्ति न होने पर फिट समझा जाएगा। हालांकि, हथेलियों और तलवों पर अनेक वार्ट/ कॉर्न/ कैलोसिटीज वाले उम्मीदवार अथवा हथेलियों और तलवों के दबाव वाले क्षेत्रों पर डिफ्यूस पल्मोप्लांटर मोसाइक वार्ट, विशाल कैलोसाइट्स वाले उम्मीदवारों को अस्वीकृत किया जाएगा।

74. सोरायसिस ऐसा दीर्घकालिक त्वचा रोग है जो बार-बार हो जाता है और/या पुनः हो जाता है और इसलिए इसे अनफिट समझा जाना चाहिए।

75. विटिलिगो - जिन व्यक्तियों को विटिलिगो होता है उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अपील पर, शरीर के ढके रहने वाले किसी-किसी हिस्से पर विटिलिगो हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।

76. त्वचा संक्रमण के पुराने या बार-बार होने वाले मामले अस्वीकृति का कारण होंगे। फॉलिकुलिटिस या सायकोसिस बारबे जो पूरी तरह ठीक हो गया हो, उसे फिट माना जा सकता है।

77. ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक्जिमा जैसा गंभीर या अक्षम करने वाली प्रकृति का पुराना या बार-बार होने वाला त्वचा रोग है, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट माना जाएगा और अस्वीकृत किया जाएगा।

78. कुछ रोग का कोई भी लक्षण अस्वीकृति का कारण होगा। सभी परिधीय नसों की मोटाई की जांच की जानी चाहिए और कुछ रोग का संकेत देने वाला कोई भी नैदानिक प्रमाण अस्वीकृति का आधार होगा।

79. नीवस डेपिगमेनटोसिस और बेकर्स नीवस को फिट माना जा सकता है। इन्ट्राडर्मल नीवस, वस्कुलर नीवी को अनफिट माना जाए।

80. पिटिरियासिस वर्सिकलर को अनफिट माना जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

81. शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का फंगल इंफेक्शन होने पर अनफिट समझा जाएगा। यदि पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उन्हें अपील करने पर फिट माना जा सकता है।

82. स्क्रोटल एग्जिमा को ठीक होने पर फिट माना जा सकता है।

83. कैनीटीस (बालों का असमय सफेद होना) को फिट माना जाएगा यदि वह थोड़ा बहुत हो और इसमें कोई क्रमबद्ध संबंध देखने में न आए।

84. इंटरट्राइगो को स्वास्थ्यलाभ के बाद फिट समझा जाएगा।

85. सभी एसटीडी रोगों को अनफिट समझा जाएगा।

86. खुजली (स्केबीज) को केवल स्वास्थ्यलाभ के उपरांत ही फिट समझा जाएगा।

87. खोपड़ी पर एकल और छोटा (व्यास में $<2\text{cm}$) एलोपीसिया एरियाटा को स्वीकार किया जा सकता है। यदि एकाधिक है जिसमें अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं या निशान हैं तो आवेदक को अस्वीकार किया जाए।

88. गाइनेकोमेस्टिया : ऑपरेशन के 12 सप्ताह बाद उम्मीदवारों को फिट माना जाएगा यदि:-

- (क) सर्जरी के घाव अच्छी तरह से ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो।
- (ख) ऑपरेशन के बाद कोई समस्या न हो।
- (ग) सर्जरी के निशान पर्याप्त रूप से ठीक हो जाने चाहिए और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं होनी चाहिए।
- (घ) सामान्य व्यापक शारीरिक जांच।
- (च) अंतस्त्रावी (एन्डोक्रोइन) कार्यप्रणाली सामान्य हो।

89. पॉलीमेज़िया- यदि सर्जरी के बाद कोई दिक्कत नहीं है और सर्जरी के घाव पूर्णतः ठीक हो गए हों और बीमारी शेष न हो तो उम्मीदवारों को ऑपरेशन के 12 सप्ताह की अवधि के बाद फिट माना जाएगा।

मास्क्युलोस्केलेटल प्रणाली और शारीरिक क्षमता


90. स्पाइनल परिस्थितियां : रीढ़ की हड्डी या सैक्रोइलियक जोड़ों की बीमारी या चोट का पिछला मामला, चाहे वस्तुनिष्ठ लक्षणों के साथ हो या उसके बिना, जिसके कारण उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन जीने में असमर्थ हो, कमीशनिंग के लिए अस्वीकृति का कारण है। बार-बार होने वाले लूम्बेगो/स्पाइनल फ्रैक्चर/प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मामला और इन स्थितियों के लिए सर्जिकल उपचार अस्वीकृति का आधार होगा।

91. क्लीनिकल जांच - नॉर्मल थोरेसिक काईफोसिस और सर्वाइकल/ लुम्बर लोर्डोसिस को कम आंका जाता है और इन्हें दर्द या चलने में परेशानी से संबंधित नहीं माना जाता है।

- (क) यदि क्लीनिकल जांच पर स्पाइन संचालन में परेशानी, विकृति, स्पाइन में जकड़न या कोई चलने में असामान्यता पाई जाती है तो वह अनफिट समझा जाएगा।
- (ख) ग्रेस काइफोसिस, जो मिलिट्री बियरिंग को प्रभावित करता है, स्पाइनल संचालन की पूर्ण रेंज को रोकता है और/या छाती के फुलाव को रोकता है, अनफिट है।
- (ग) यदि स्कोलियोसिस का पता चलता है या स्पाइन की कोई रोगात्मक दशा की संभावना है तब स्पाइन के उपर्युक्त भाग की रेडियोग्राफी जांच किए जाने की आवश्यकता है। स्कोलियोसिस अनफिट है, यदि वह विकृति पूरे स्पाइन पर हो, यह स्पाइन संचालन की प्रतिबंधित रेंज से संबद्ध हो जब यह एक आबद्ध पैथालॉजिकल कारण से होता है।
- (घ) **स्पाइन बिफिडा** - क्लीनिकल जांच करने पर निम्नलिखित मार्करों पर विचार करना चाहिए और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन से संपुष्ट करना चाहिए:-

- (i) स्पाइन में जन्मजात कमियां जैसे हाइपरट्राइकोसिस, त्वचा के रंग में हल्कापन, हिमेनजिओमा, पिग्मेन्टिड नेवस या डर्मल साइनस।
- (ii) स्पाइन पर लिपोमा की मौजूदगी।
- (iii) पैलपेबल स्पाइना बिफिडा।
- (iv) न्यूरोलॉजिकल जांच करने पर असामान्य निष्कर्ष।

92. लम्बोसैक्रल ट्रांजिशनल वर्टेब्रा (एलएसटीवी) के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण।



एलएसटीवी के लिए कास्टेलवी वर्गीकरण

- (क) टाइप I - बड़ी हुई और डिस्प्लास्टिक अनुप्रस्थ प्रक्रिया (क्रैनियोकॉडल आयाम में कम से कम 19 मिमी चौड़ाई)।
1. I (क) युनिलेटरल
 2. I (ख) बाइलेटरल
- (ख) टाइप II - अपूर्ण लम्बराइजेशन/सैक्रालिस्टियन के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया और सैक्रम का छद्म संधिकरण (स्यूडोआर्थ्रोसिस के साथ अनुप्रस्थ प्रक्रिया का विस्तार)
1. II (क) युनिलेटरल
 2. II (ख) बाइलेटरल
- (ग) टाइप III - अनुप्रस्थ प्रक्रिया सैक्रम के साथ जुड़ जाती है और पूर्ण लम्बराइजेशन या सैक्रम (पूर्ण संचलन के साथ बड़ी हुई अनुप्रस्थ प्रक्रिया) होती है।
1. III (क) युनिलेटरल
 2. III (ख) बाइलेटरल
- (घ) टाइप IV - एक तरफ पर टाइप II और प्रतिपार्श्विक तरफ पर टाइप III

93. एयर फोर्स ड्यूटीज़ (फ्लाईंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए अनफिट स्पाइन संबंधी दशाएं:-

- (क) (क) जन्मजात/विकासात्मक असामान्यताएं
- (i) वेज वर्टिबा
 - (ii) हेमिवर्टिबा
 - (iii) एन्टीरीयर सेंट्रल डिफेक्ट
 - (iv) सर्वाइकल रिब्स (एक पार्श्वी/द्विपार्श्वी) डेमोन्स्ट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सर्कुलेटरी डेफिसिट सहित

- (v) स्पाइना बिफिडा:- सेक्रम और एल वी 5 को छोड़कर (यदि पूर्णतः सैक्रेलाइज़्ड है) सभी अनफिट हैं।
- (vi) सर्वाइकल लोर्डोसिस की क्षति के साथ तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी।
- (vii) स्कोलिओसिस का आंकलन - लंबर स्पाइन के लिए 10 डिग्री और डॉर्सल स्पाइन के लिए 15 डिग्री तक ईडियोपैथिक स्कोलिओसिस स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि:-
- (कक) व्यक्ति में लक्षण न हों।
 - (कख) रीढ़ (स्पाइन) में चोट का कोई पुराना मामला न हो।
 - (कग) लंबर स्पाइन में छाती की विषमता/कंधे में असंतुलन या पेल्विक तिरछापन न हो।
 - (कघ) कोई तंत्रिका तंत्र संबंधी कमी न हो।
 - (कङ) रीढ़ में कोई जन्मजात असंगति न हो।
 - (कच) सिंड्रोमिक विशेषताएं न हों।
 - (कछ) ई सी जी सामान्य हो।
 - (कज) रीढ़ के पूर्ण लचीलेपन पर कोई विकृति न हो।
 - (कझ) गति संबंधी कोई बाधा न हो।
 - (कञ) संरचनात्मक असामान्यता उत्पन्न करने वाला कोई ऑर्गेनिक दोष न हो।
- (viii) एटलांटो-ओसीपिटल और एटलांटो-एक्शियल विसंगतियां।
- (ix) किसी भी स्तर पर अपूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा।
- (x) एक से अधिक स्तर पर पूर्ण ब्लॉक वर्टिब्रा। (एकल स्तर स्वीकार्य है। ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।
- (xi) लंबोसेकरल ट्रांजिशनल वर्टिब्रा/केशरुक(एलएसटीवी) : एकतरफा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (पूर्ण या अपूर्ण) और दो तरफा अधूरा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (एल एस टी वी- कास्टेलवी टाइप II (क) और (ख), III क और IV) एल वी 5 का दोतरफा पूर्ण सैक्रलाइजेशन और एस वी 1, कास्टेलवी टाइप III ख और टाइप I क और ख दोतरफा पूर्ण लम्बराइजेशन स्वीकार्य है (ए एफ एम एस एफ-2 में एनोटेशन किया जाना है)।
- (xii) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस
- (xiii) केशरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना
- (xiv) एक से अधिक स्तर पर शमोरल नोड्स
- (ख) ट्रॉमेटिक स्थितियां
 - (i) स्पोंडिलोलिसिस/ स्पोंडिलोलिस्थीसिस
 - (ii) वर्टिब्रा का दबाव से टूटना
 - (iii) केशरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना
 - (iv) एक से अधिक स्तर पर शमोरल नोड्स
 - (ग) संक्रामक
 - (i) रीढ़ का तपेदिक और अन्य ग्रेनुलोमेटस बीमारी (पुरानी या सक्रिय)
 - (ii) संक्रामक स्पोण्डिलाइटिस
 - (घ) स्व प्रतिरक्षक (ऑटो इम्यून)
 - (i) संधिशोथ गठिया और संबद्ध विकार

- (ii) एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस
- (iii) रीढ़ के अन्य संधिशोथ संबंधी विकार जैसे पॉलीमायोसाइटिस, एस एल ई. और वास्कुलिटिस।
- (च) क्षयकारी
 - (i) स्पॉन्डिलाइटिस
 - (ii) जोड़ के क्षयकारी विकार
 - (iii) क्षयकारी डिस्क रोग
 - (iv) ऑस्टियोऑर्थोसिस/ ऑस्टियोआर्थराइटिस
 - (v) श्यूरमेन की बिमारी (किशोरावस्था काइफोसिस)
- (छ) रीढ़ की हड्डी की अन्य कोई असामान्यता, यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना जाता है।

भुजा (अपर लिंब्स) की जांच को प्रभावित करने वाली स्थितियां

94. ऊपरी अंगों का विच्छेदन तथा विरूपता - भुजा या उनके हिस्सों की विकृतियां अस्वीकृति का कारण होंगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा उंगलियों सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

95. उंगलियां और हाथ – विकृतियों और सीमित मूवमेंट को अनफिट माना जाएगा।

(क) बहुअंगुलिता (पॉलीडेक्टली) – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव पूरी तक भर गया है, इसका निशान हल्का है और चिकित्सीय परीक्षण में न्यूरोमा का कोई प्रमाण नहीं है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ख) साधारण सिंडैक्टली – सर्जरी के पश्चात, रेडियोग्राफ किए जाने पर यदि हड्डी की कोई असामान्यता नहीं है, घाव भर गया है, इसका निशान हल्का है और वेबस्पेस संतोषजनक है तो इसे सर्जरी के 12 सप्ताह के पश्चात फिट घोषित किया जा सकता है।

(ग) जटिल सिंडैक्टली – अनफिट

(घ) अतिप्रसार (हाइपरएक्सटेंसिबल) उंगल जोड़ – सभी उम्मीदवारों की हाइपरएक्सटेंसिबल उंगली के जोड़ के लिए अच्छी प्रकार से जांच की जानी चाहिए। उंगलियों का पीछे की ओर 90 डिग्री से परे कोई भी विस्तार हाइपरएक्सटेंसिबल समझा जाएगा और उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अन्य जोड़ों जैसे घुटना, कोहनी, रीढ़ की हड्डी तथा अंगूठे की भी हाइपरलेक्सिटी/हाइपरमोबिलिटी के लक्षणों के लिए ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी। यद्यपि व्यक्ति अन्य जोड़ों में हाइपरलेक्सिटी के गुणों को प्रदर्शित नहीं भी कर सकता है लेकिन उंगली के जोड़ों पर हाइपरएक्सटेंसिबिलिटी के अलग-अलग प्रदर्शित होने को अनफिट समझा जाएगा क्योंकि यदि ऐसे

उम्मीदवारों को कठिन शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा तो बाद में विभिन्न प्रकार के रोग सामने आ सकते हैं।

(च) **मॉलेट फिंगर** – डिस्टल इंटरफैलेंजल जोड़ में एक्सटेंसर मैकेनिज्म का ह्रास होने से मॉलेट फिंगर होता है। गंभीर मॉलेट विकार होने से प्रोक्सिमल इंटर-फैलेंजल (पीआईपी) तथा मैटाकार्पो-फैलेंजल (एमसीपी) जोड़ों में अन्य प्रकार के बदलाव हो सकते हैं जिसका परिणाम हाथ से कार्य करने में परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। डिस्टल इंटर-फैलेंजल (डीआईपी) जोड़ों में फ्लेक्सियन तथा एक्सटेंशन दोनों में ही हिलाने (मूवमेंट) की साधारण सीमा 0-80 डिग्री तथा पीआईपी जोड़ में 0-90 डिग्री होती है। मॉलेट फिंगर में उम्मीदवार उंगलियों के डिस्टल फैलेंक्स को पूर्ण रूप से बढ़ाने/सीधा करने में असमर्थ होता है।

(i) कम गंभीर स्थिति वाले उम्मीदवारों अर्थात विस्तार लैंग की 10 डिग्री से कम वाले उम्मीदवार, जिनमें ट्रॉमा, दबाव लक्षण एवं कोई प्रकार्यात्मक कमी दिखाई नहीं दे रही है, को फिट घोषित किया जाएगा।

(ii) उंगलियों की स्थायी विरूपता वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाएगा।

96. कलाई - कलाई को हिलाने में दर्द रहित सीमा का आकलन कठोरता के स्तर के अनुसार किया जाएगा। पालमर फ्लेक्सन के नुकसान की तुलना में डोरसिफ्लेक्सियन का नुकसान अधिक गंभीर है।

97. कोहनी - संचलन की मामूली सीमा के कारण अस्वीकृति नहीं होती बशर्ते कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो। एंक्लोसिस से अस्वीकृति होगी। जब वहन कोण (शारीरिक मुद्रा में हाथ और अग्रभाग के बीच का कोण) बढ़ा होता है तब क्यूबिटस वल्वस को विद्यमान कहा जाता है तब कार्यात्मक अक्षमता और स्पष्ट कारण जैसे फ्रैक्चर मैल-यूनियन, फाइब्रोसिस आदि के अभाव में पुरुष उम्मीदवारों में 15 डिग्री और महिला उम्मीदवारों में 18 डिग्री तक का कैरिंग कोण फिट माना जाएगा।

98. कोहनी के जोड़ में हाइपरएक्सटेंशन – उम्मीदवारों की स्वाभाविक रूप से हाइपरएक्सटेंडेड कुहनियां हो सकती हैं। यह स्थिति कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है परंतु विशेष रूप से सैन्य कार्य से जुड़े तनाव तथा थकान को ध्यान में रखते हुए यह अस्थिभंग (फ्रैक्चर) अथवा अत्यधिक दर्द का कारण हो सकती है। साथ ही, कोहनी को इसकी स्वाभाविक स्थिति में 10 डिग्री के भीतर वापिस लाने की अक्षमता से दैनिक कार्यों एवं गतिविधियों में कमी आती है।

(क) मापन मानदंड : गोनियोमीटर का उपयोग करके मापी जाती है।

(ख) सिफारिश : साधारण कोहनी का प्रसार 0 डिग्री होता है। यदि रोगी का इस जोड़ में चोट लगने का कोई पुराना मामला नहीं है तो 10 डिग्री तक का हाइपरएक्सटेंशन साधारण सीमाओं के भीतर है। 10 डिग्री से अधिक के हाइपरएक्सटेंशन के उम्मीदवारों को अनफिट समझा जाएगा।

99. 5 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस वारस अनफिट माना जाएगा।

100. क्यूबिटस रिकर्वटम - 10 डिग्री से अधिक का क्यूबिटस रिकर्वटम अनफिट माना जाएगा।

101. कंधे का कटिबंध - कंधे के बार-बार विस्थापन का पुराना मामला, भले ही सुधारात्मक सर्जरी की गई हो या ना हो, अनफिट माना जाएगा।

102. क्लैविकल - क्लैविकल के पुराने बिना जुड़े फ्रैक्चर को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कार्यक्षमता के नुकसान के बिना और स्पष्ट विरूपता के बिना गलत ढंग से जुड़ा क्लैविकल फ्रैक्चर स्वीकार्य है।

निचले अंगों के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्तें

103. 20 डिग्री से अधिक कोण वाला हॉलक्स वाल्गस और 10 डिग्री से अधिक का पहला-दूसरा सेकण्ड मेटाटार्सल कोण अनफिट है। गोखरु, कॉर्न्स या कॉलोसिटीज के साथ किसी भी डिग्री का हॉलक्स वाल्गस अनफिट है।

104. हॉलक्स रिगिडस सैन्य सेवा के लिए अनफिट है।

105. बिना लक्षण वाले एकल लचीले माइल्ड हैमर टो को स्वीकार किया जा सकता है। मेटा-टारसों फैलेंजियल जोड़ (पंजे की विकृति) पर कॉर्न्स, कॉलोसिटीज मैलेट-टो या हाइपरटेंशन से जुड़ी स्थायी (कठोर) विकृति या हैमर टो को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

106. पैरों के अंगुलियों की संख्या/उंगली का न होना अस्वीकृति का कारण होगा।

107. निचले अंगों या उनके हिस्सों की विरूपता अस्वीकृति का कारण होगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों अथवा पंजे सहित अंग के किसी हिस्से में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

108. पेस प्लानस (फ्लैट फीट)

(क) यदि पैर की उंगलियों पर खड़े होने पर पैरों के मेहराब फिर से दिखाई देते हैं, यदि उम्मीदवार के पैर की उंगलियों पर अच्छी तरह से उछल और दौड़ सकता है और यदि पैर कोमल, गतिशील और दर्द रहित है, तो उम्मीदवार स्वीकार्य है।

(ख) कठोर या स्थिर फ्लैट पैर, प्लेनोवालगस के साथ ग्रॉस फ्लैट फीट, एड़ी का उलटा होना, ऐसे उम्मीदवार स्वयं को पंजों पर बैलेंस नहीं कर सकते, पैर के अगले हिस्से पर उछल नहीं सकते, कमजोर टार्सल जोड़ों में लगातार दर्द, तालु के सिरे का दिखना अनफिट माना जाएगा। पैर की गतिविधियों का सीमित होना भी अस्वीकृति का कारण होगा। पैर की कठोरता, चाहे पैर का आकार कुछ भी हो अस्वीकृति का कारण होगा।

109. पेस कैवस और टैलिप्स (क्लब फुट) - किसी कार्यात्मक सीमा के बिना इडियोपैथिक पेस कैवस की हल्की स्थिति स्वीकार्य है। ऑर्गेनिक रोग के कारण पेस कैवस और मध्यम और गंभीर पेस कैवस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैलिप्स (क्लब फुट) के सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

110. टखने के जोड़ - पिछली चोटों के बाद संचलन में कोई बड़ी कमी/सीमा स्वीकार नहीं की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो, इमेजिंग के साथ कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

111. घुटने का जोड़ - किसी भी लिगामेंट शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की एसीएल पुनर्निर्माण सर्जरी हुई है उन्हें अनफिट माना जाएगा।

112. जेनु वल्लम (नाक नी) के बीच की दूरी पुरुषों में 5 से.मी. से अधिक और महिलाओं में 8 से.मी. से अधिक होने पर अनफिट माना जाएगा।

113. इंटरकॉन्डाइलर दूरी के 7 से.मी. से अधिक होने पर जेनु वरूम (धनुष टांगे) को अनफिट माना जाएगा।

114. जेनु रिकर्वटम - यदि घुटने का हाइपरएक्सटेंशन 10 डिग्री के भीतर है और कोई अन्य विरूपता नहीं है तो उम्मीदवार को फिट स्वीकार किया जाना चाहिए।

115. कूल्हे के जोड़ के घाव या गठिया के शुरुआती लक्षण को अस्वीकृत माना जाएगा।

ठीक हुए फ्रैक्चर

116. इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर – विशेष रूप से मुख्य जोड़ों (कंधा, कोहनी, कलाई, कुल्हा, घुटना तथा टखना) के सभी इंट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर, सर्जरी के साथ अथवा सर्जरी के बिना, इंप्लांट के साथ अथवा इसके बिना, को अयोग्य (अनफिट) समझा जाएगा।

117. एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर -

(क) सर्जरी के बाद इंप्लांट इन-सिटु के साथ सभी एक्सट्रा-आर्टिकुलर फ्रैक्चर को अनफिट समझा जाएगा और इंप्लांट हटाए जाने के न्यूनतम 12 सप्ताह के पश्चात उन पर फिट किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा।

(ख) सभी लंबी हड्डियों (दोनों ऊपरी तथा निचले अंगों) में चोट के पश्चात न्यूनतम नौ माह की अवधि के बाद ही एक्सट्रा-आर्टिकुलर चोटों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनका उपचार परंपरागत तरीके से किया गया है। उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा यदि :-

- (i) मैल-अलाइनमेंट / मैल-यूनियन का कोई प्रमाण नहीं है।
- (ii) कोई न्यूरो-वॉस्कुलर कमी नहीं है।
- (iii) सॉफ्ट ऊतकों का कोई ह्रास नहीं है।
- (iv) कोई कार्यात्मक कमी नहीं है।
- (v) ओस्टियोमाईलिटिस/सिक्नेस्ट्रा फॉर्मेशन का कोई प्रमाण नहीं है।

118. परिधीय संवहन तंत्र

119. वेरिकोज़ शिराएं - सक्रिय वेरिकोज़ शिराओं वाले सभी मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात् भी वेरिकोज़ शिराओं के मामले अनफिट रहेंगे।

120. धमनीय प्रणाली - धमनियों और रक्तवाहिकाओं जैसे ऐन्युरिज्म, धमनी-शोध और बाह्य धमनीय रोग की वर्तमान या पुरानी असामान्यताओं को अनफिट माना जाएगा।

121. लिम्फोइडेमा - पुरानी/वर्तमान बीमारी का मामला उम्मीदवार को अनफिट बनाता है।

केंद्रीय स्नायु तंत्र

122. मानसिक बीमारी का इतिहास – मानसिक अस्वस्थता/मनोविकार रोगों से पीड़ित उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

123. मनोवैज्ञानिक रोगों का पारिवारिक इतिहास - जब पारिवारिक इतिहास में मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक बीमारी, या नजदीकी रिश्तेदार की आत्महत्या का पता चलता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पूर्व इतिहास की सावधानीपूर्ण जांच की जानी चाहिए। व्यक्तिगत इतिहास या वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का कोई प्रमाण मिलना अस्वीकृत किए जाने का कारण होगा।

124. मिर्गी (एपिलेप्सी) का पारिवारिक इतिहास – यदि किसी निकट संबंधी में मिर्गी का पुराना मामला पाया जाता है तो उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा अपील के समय उचित जांच के साथ विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

125. गंभीर या 'विदारक' सिरदर्द और माइग्रेन – माइग्रेन से पीड़ित उम्मीदवार जिसे इतना गंभीर माइग्रेन हो कि उसे डॉक्टर से परामर्श लेना पड़े तो वह अस्वीकृत कर दिया जाएगा। दिखने में समस्या या माइग्रेन मिर्गी के साथ माइग्रेन का एक भी दौरा पड़ने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

126. दौरे तथा ऐंठन – उम्मीदवार में मिर्गी का पुराना मामला अयोग्यता का कारण है। दौरे गंभीर होने पर बेहोशी का रूप ले सकते हैं तथा इसी कारण 'बेहोशी' की आवृत्ति और यह जिन स्थितियों में हुई हो उन्हें स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। चाहे दौरे किसी भी प्रकार के हों, इनके होने पर उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा। बेहोशी के दौरे का अकेला मामला होने पर सभी संबंधित कारकों की जांच की आवश्यकता है ताकि बेहोशी तथा दौरे के बीच अंतर किया जा सके। गंभीर आंशिक दौरे, उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के मानदंड हैं।

127. हीट स्ट्रोक – हीट स्ट्रोक, हाइपरपीरेक्सिया या गर्मी से थकान के बार-बार पड़ने वाले दौरों का पुराना मामला वायुसेना सेवा की नौकरी से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह दोषपूर्ण ताप विनियमन तंत्र का प्रमाण है। हीट स्ट्रोक का एक भी गंभीर दौरा, बशर्ते जोखिम का पुराना मामला गंभीर रहा हो, और कोई स्थायी परिणाम स्पष्ट न हुआ हो, तो यह स्वयं में उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने का कारण नहीं है।

128. सिर में चोट या आघात – सिर में गंभीर चोट/खोपड़ी का फ्रेक्चर/अंतर-कपालीय क्षति का पुराना मामला या कैल्वेरिया में कोई अवशिष्ट हड्डी दोष अनफिट होने का कारण है। सिर में किसी भी छिद्र (burr holes) का होना अस्वीकृति का कारण होगा।

129. मनोविकृति – मनोविकृति से पीड़ित सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में नशीली दवाओं पर निर्भरता भी अस्वीकृति का कारण होगी।

130. साइकोन्यूरोसिस – मानसिक रूप से अस्थिर तथा विक्षिप्त व्यक्ति कमीशन के लिए अनफिट होते हैं। किशोर तथा वयस्क अपराध, नर्वस ब्रेकडाउन का पुराना मामला या पुरानी बीमारियाँ अस्वीकृति का कारण हैं।

131. जैविक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ – तंत्रिका संबंधी कोई भी स्पष्ट कमी अस्वीकृति का कारण होगी।

132. कंपन – उम्मीदवार को आश्वस्त करने के बाद भी लगातार कंपन होने पर उसे अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। अपील करने पर केवल रोगात्मक कंपन के आधार पर ही उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा।

133. हकलाना – हकलाने वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। हकलाना अनफिट होने का कारण होगा, भले ही पहली बार इसका पता अपील मेडिकल बोर्ड के समय चला हो।

134. परिवार में या स्वयं उम्मीदवार में मानसिक विकार का कोई पुराना मामला या बौद्धिक, भावनात्मक या आचरण संबंधी विकार या मनोदैहिक विकारों के लक्षण होने पर उसे अनफिट घोषित किया जाना चाहिए तथा यह मनोचिकित्सक द्वारा अपील के समय विस्तृत मूल्यांकन तथा उचित जांच के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

135. हाइपरस्टोसिस फ्रंटलिस इंटर्ना को किसी अन्य मेटाबॉलिक असामान्यता की अनुपस्थिति में फिट माना जाएगा।

कान, नाक तथा गला

136. नाक तथा पैरा-नेजल साइनस

(क) नाक की बाहरी विकृति या नेजल सेप्टम का मुड़ा होना।

(i) अनफिट – नाक की गंभीर बाह्य विकृति, जो कॉस्मेटिक विकृति या चिन्हित सेप्टल के अपने स्थान से हटने के परिणामस्वरूप मुक्त रूप से श्वास लेने में बाधा उत्पन्न करती है।

(ii) अपील पर – वायुमार्ग के पर्याप्त खुलेपन के साथ अवशिष्ट हल्के विचलन के साथ सर्जरी के चार सप्ताह बाद पोस्ट सुधारात्मक सर्जरी स्वीकार्य होगी।

(ख) सेप्टल छिद्रण – अनफिट

(i) अपील पर – कोई भी पूर्ववर्ती सेप्टल छिद्रण जो सबसे बड़े आयाम में 01 सेमी से अधिक हो, अस्वीकृति का आधार है। एक सेप्टल छिद्रण जो नाक की विकृति माना जाता है, का संबंध नाक की पपड़ी, एपिस्टेक्सिस तथा दाने के समान भले ही आकार कैसा भी है और यह अस्वीकृति का आधार है।

(ग) एट्रोफिक राइनाइटिस – अनफिट

(घ) एलर्जिक राइनाइटिस/वासोमोटर राइनाइटिस का संकेत देने वाले किसी भी पुराने मामले/क्लिनिकल प्रमाण को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए।

(ड) पेरा-नेजल साइनस का कोई भी संक्रमण अनफिट माना जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड में सफल उपचार के बाद ऐसे मामलों को स्वीकार किया जा सकता है।

(च) नेजल पोलिपोसिस – अनफिट (उपचारित या अनुपचारित)

137. ओरल केविटी

(क) (अनफिट)

- (i) ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अंकाइलोग्लोसिया तथा ओरल कारसीनोमा के वर्तमान/ऑपरेटेड मामले।
- (ii) वर्तमान समय में मुंह के छाले (ओरल अल्सर)/ग्रोथ तथा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट।
- (iii) किसी भी कारण से ट्रिसमस।
- (iv) सर्जरी होने के बाद भी क्लेफ्ट पैलेट, अस्वीकृति का कारण होगा।

(ख) फिट

- (i) सिद्ध बेनाइन हिस्टोपैथोलॉजी की स्थिति में सर्जरी के चार सप्ताह बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके मुंह के छाले (ओरल अल्सर)।
- (ii) किसी पुनरावृत्ति के बिना तथा सिद्ध बेनाइन हिस्टोलॉजी के साथ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के ऑपरेटेड मामले।
- (iii) बिफिड युवुला के साथ अथवा उसके बिना यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन पैदा करने वाले पैलेट के सब-म्यूकस क्लेफ्ट को ईएनटी विशेषज्ञ स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि पी टी ए, टिम्पेनोमेट्री और बोलना सामान्य हो।

138. फैरिन्क्स और लैरिन्क्स:- अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी:

- (क) फैरिन्क्स की कोई अलसरेटिव वृद्ध क्षति।
- (ख) जिन उम्मीदवारों में टॉन्सिलेक्टोमी दिखाई देता है, उनको सफल सर्जरी के न्यूनतम चार सप्ताह बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कोई जटिलता न हो तथा हिस्टोलॉजी सुसाध्य हो।
- (ग) क्लेफ्ट पैलेट।
- (घ) फैरिन्क्स और लैरिन्क्स में किसी प्रकार की खराब स्थिति जिससे स्थायी स्वर-भंग या डिस्फोनिया हो जाता है।
- (च) क्रोनिक लैरिन्जाइटिस, वोकल कॉर्ड पाल्सी, लैरिंगियल पॉलिप्स और ग्रोथ।

139. यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन – अनफिट – यूस्टेशियन ट्यूब की रूकावट या अपर्याप्तता अस्वीकृति का कारण होगी। सेवा में उम्मीदवारों को स्वीकार करने से पहले एल्टीट्यूट चेंबर ईयर क्लीयरेंस टेस्ट किया जाएगा।

140. टिनिटस – अनफिट

141. मोशन सिकनेस के प्रति संवेदनशीलता - मोशन सिकनेस की किसी भी संवेदनशीलता के लिए भी विशिष्ट जांच की जानी चाहिए। इस आशय की पुष्टि ए एफ एम एस एफ-2 में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का पूरी

तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और अगर मोशन सिकनेस के लिए अतिसंवेदनशील पाए जाते हैं, तो उन्हें उड़ान (फ्लाईंग) ड्यूटी के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से पेरिकेरल वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

142. कम सुनाई देना -निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं –

(क) सी वी/एफ डब्ल्यू में 600 सेमी से कम किसी प्रकार की कमी।

(ख) पीटीए पर 250 से 8000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों में 20 डी बी से अधिक ऑडियोमेट्रिक की कमी।

143. बाहरी कान- बाह्य कान के निम्नलिखित दोषों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए:-

(क) पिन्ना की गंभीर विकृति जो वर्दी/व्यक्तिगत किट/सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अथवा जो सैन्य आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ख) क्रॉनिक ओटिटिस एक्सटर्ना के मामले।

(ग) कोई भी स्थिति (कान का मैल, बाह्य श्रवण नाल का अट्रेसिया/संकीर्ण होना या रसौली, नलिका की अतिरंजित टेढ़ी-मेढ़ी बनावट, बाह्य श्रवणनाल की हड्डीदार वृद्धि) जो टिम्पेनिक झिल्ली के उचित दृश्य को बाधित करती है।

(घ) बाहरी श्रवण नलिका में कणिकायन या पॉलीप।

144. मिडिल इयर – मिडिल इयर की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी:-

(क) **ओटिटिस मीडिया** – किसी भी प्रकार के मौजूदा ओटिटिस मीडिया को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक हो चुके क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (टिम्पेनोस्क्लेरोसिस/टिम्पेनिक झिल्ली के निशान के रूप में केवल टिम्पेनिक झिल्ली के पार्स टेंसा भाग को प्रभावित करने वाले) और टिम्पेनोप्लास्टी/मायरिंगोटॉमी के सभी ऑपरेशन किए गए मामलों का मूल्यांकन ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और यदि प्योर टोन ऑडियोमेट्री पीटीए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हैं तो वे स्वीकार्य होंगे। अपील पर, यदि संकेत दिया जाता है, तो एयरकू, एटीसी/एफसी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए डिक्प्रेशन चैंबर का परीक्षण किया जा सकता है।

(ख) किसी भी प्रकार की टीएम परफोरेशन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पार्स फ्लेसिडा में ठीक हुआ परफोरेशन/ रिट्रैक्शन अनफिट माना जाएगा।

(ग) न्यूमेटिक ओटोस्कोपी में टीएम मोबिलिटी में चिह्नित प्रत्यावर्तन (मार्कड रिट्रैक्शन) अथवा बाधा का देखा जाना।

(घ) टाइप 'ए' टिम्पेनोग्राम के अलावा कोई दूसरा पैटर्न दिखाने वाली टिम्पेनोमेट्री।

(च) किसी भी प्रकार का श्रवण यंत्र जैसे कि कोकलियर इंप्लांट, बोन एंकर हियरिंग ऐड इत्यादि।

(छ) मिडिल इयर सर्जरी के बाद जैसे कि स्टेपिडक्टमी, ओसिकुलोप्लास्टी या किसी भी प्रकार की मास्टोइडक्टमी।

145. कान की विविध स्थितियां – कान की निम्नलिखित स्थितियां अस्वीकृति का कारण होंगी:-

- (क) ओटोसक्लीरोसिस।
- (ख) मिनियरी डिज़ीज़।
- (ग) वेस्टीबुलर डिस्कंक्शन जिसमें वेस्टीबुलर ओरिजिन के निस्टेगमस शामिल हैं।
- (घ) कान में संक्रमण के बाद होने वाली बेल्स पाल्सी।

ऑपथेलमिक सिस्टम

146. चिकित्सकीय जांच के परिणाम

(क) उम्मीदवार, जो चश्मा पहनते हैं या जिन्हें दृष्टि दोष है, को उचित तरीके से जांचा जाना चाहिए। भेंगेपन (स्किवेंट) के सभी मामले अनफिट माने जाएंगे।

(ख) टॉसिस (PTOSIS)

(i) उम्मीदवार, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं वे **फिट** हैं।

(कक) माइल्ड टॉसिस।

(कख) क्लियर विजुअल एक्सिस।

(कग) नॉर्मल विजुअल फील्ड।

(कघ) अबेरेंट डीजनरेशन/हेड टिल्ट/हॉर्नर सिन्ड्रोम के कोई निशान न हो।

(ii) अन्य सभी मामले – **अनफिट**

(iii) अपील करने पर- उम्मीदवार जिन्होंने सर्जिकल करेक्शन किया है, को योग्य माना जा सकता है बशर्ते सर्जरी के बाद एक वर्ष बीत गया हो और कोई रिअकरेंस न हुआ हो ऊपर उल्लिखित मापदंड पूरे हो रहे हों और अपर आईलिड सुपीरियर लिंबस से 02 मीमी से अधिक नीचे न हो।

(ग) एक्सट्रोपिया – अनफिट

(घ) एनिसोकोरिया – यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मि.मी से अधिक है, तो उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

(ङ) हेट्रोक्रोमिया इरिडीस – अनफिट

(च) स्फिन्कटर टियर्स - यदि पुतलियों के बीच का अंतर 01 मी.मी से कम है, तो उम्मीदवार को योग्य फिट जा सकता है, बशर्ते प्यूपिलियरी रिफ्लेक्स कॉर्निया, लेंस या रेटिना में कोई पैथोलोजी नहीं हो और ब्रिस्क हो।

(छ) सूडोफेकिया- अनफिट

(ज) ब्लिफेरिटिस – ब्लिफेरिटिस वाले उम्मीदवार, विशेषतः जिनकी पलकें न हों को अस्वीकृत किया जाए।

(झ) इक्ट्रोपियन/एनट्रोपियन - इन मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, माइल्ड इक्ट्रोपियन और एनट्रोपियन, जो नेत्र विशेषज्ञ के मतानुसार दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, को फिट माना जा सकता है।

(ज) टेरिजियम (Ptetregium) – टेरिजियम के सभी मामलों को अनफिट माना जाए। अपील करने पर, रिग्रेसिव नॉन-वस्कूलराइज्ड टेरिजियम, जो पेरिफेरल कॉर्निया पर 1.5 मीमी से कम जगह ले रहा हो, को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा स्लिट लैंप पर जांचने के बाद फिट माना जा सकता है।

(ट) निस्टेगमस – निस्टेगमस के सभी मामले केवल फिजियोलॉजिकल निस्टेगमस को छोड़ कर अनफिट माने जाएं।

(ठ) एपीकोरा उत्पन्न करने वाले नेसो-लेक्रिमल डक्ट ओकल्शन या म्यूकोसिल अस्वीकृति का कारण होंगे।

(ड) सक्रिय यूवेइटिस (इरिटिस, साइक्लीटिस एवं कोरोडिटिस) अस्वीकृति का कारण होंगे। पूर्व में इस स्थिति का होना भी अनफिट होने का कारण होगा।

(ढ) कॉर्निया

(i) अनफिट

(कक) कॉर्नियल स्कार/ओपेसिटीज।

(कख) कोई भी उम्मीदवार जिसे प्रोग्रेसिव कॉर्नियल डिस्ऑर्डर हो जैसे कि कॉर्नियल डाइस्ट्रोफिस, केराटोकोनस, केराटोग्लोबस, कोई भी कॉर्नियल डिजनरेशन हो।

(कग) कोई सक्रिय कॉर्नियल डिस्ऑर्डर।

(ii) अपील करने पर, कॉर्नियल स्कार स्वीकार्य है यदि वह देखने में बाधा उत्पन्न न करें।

(ण) लेंटिकुलर ओपेसिटी- अनफिट

अपील करने पर

(i) अनफिट - कोई भी लेंटिकुलर ओपेसिटी, जो दृश्य क्षति का कारण बनती है, या विजुअल एक्सीस या सेंट्रल एरिया में पुतलियों के आसपास 04 मिमी के क्षेत्र में है। बार-बार ओपेसिटी होने की प्रवृत्ति आकार में न बढ़े और उनकी संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ii) फिट - जन्मजात नीले बिंदु मोतियाबिंद जैसी परिधि में छोटी स्टेनरी लेंटिकुलर ओपेसिटीज के विजुअल फील्ड को प्रभावित न करने पर (संख्या 10 से कम हो और 04 मिमी केन्द्रीय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए)।

(त) ऑप्टिक नर्व ड्यूसेन – अनफिट

(थ) हाईकप-डिस्क अनुपात: उम्मीदवार को अनफिट घोषित किया जाएगा अगर निम्नलिखित में से कोई स्थिति विद्यमान हो-

(i) कप डिस्क अनुपात >0.2 में इंटर-आई एसिमेट्री

(ii) ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (ओसीटी) से आर एन एफ एस विश्लेषण करने पर रेटिनल नर्व फाइबर लेयर (आर एन एफ एल) दोष देखा जाना।

(iii) विजुअल फील्ड विश्लेषक द्वारा विजुअल फील्ड दोष का पता लगना।

(द) विजुअल सिम्पटम के साथ माइग्रेन एक ऑक्यूलर समस्या नहीं है और इसे पैरा 124 के अनुसार जांचा जाना चाहिए।

(ध) चूंकि रतौंधी का टेस्ट नियमित रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए सभी मामलों में प्रत्येक उम्मीदवार को रतौंधी न होने का प्रमाणपत्र देना होगा। प्रमाणपत्र इस अधिनियम के परिशिष्ट ग के अनुसार होना चाहिए। रतौंधी होने का प्रमाणित मामला अनफिट है।

(न) किसी भी दिशा में आईबॉल की गति का प्रतिबंध तथा आईबॉल का अनुचित डिप्रेशन प्रॉमिनेंस अनफिट होने का कारण है।

(प) रेटिनल घाव- रेटिना परिधि में ठीक हो चुका एक छोटा कोरियो-रेटिनल घाव, जो दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है तथा किसी अन्य जटिलता से संबंधित नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। इस प्रकार, परिधि में एक छोटा जालीदार निशान, जिसमें कोई अन्य जटिलता नहीं है, उसे फिट माना जाएगा। सेंट्रल फंडूस में कोई घाव होने पर अनफिट माना जाएगा।

(फ) लैटिस डिजनरेशन

(i) निम्नलिखित लैटिस डिजनरेशन उम्मीदवार के अनफिट होने का कारण होगा:-

- (कक) किसी एक या दोनों आँखों में एकल परिधिक/वृत्ताकार लैटिस का विस्तार 2 घंटे से अधिक होना।
- (कख) किसी एक या दोनों आँखों में दो परिधिक/वृत्ताकार लैटिस में से प्रत्येक का विस्तार 1 घंटे से अधिक होना।
- (कग) रेडियल लैटिस।
- (कघ) एट्रोफिक होल/फ्लैप टियर्स के साथ कोई लैटिस।
- (कच) इक्वेटर के पीछे लैटिस अपविकास (डिजनरेशन)।

(ii) लैटिस डिजनरेशन से प्रभावित उम्मीदवार निम्नलिखित स्थितियों में फिट माने जाएंगे:-

(कक) एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय की छिद्र रहित एक सर्कमफ्रेंशीयल लैटिस।

(कख) छिद्र रहित दो सर्कमफ्रेंशीयल लैटिस, जिनमें प्रत्येक का विस्तार एक या दोनों आँखों में दो घण्टे से कम समय में विस्तार हो।

(कग) पोस्ट-लेजर डिलिमिटेशन, एकल सर्कमफ्रेंशीयल लैटिस का छिद्र/फ्लैप टियर के बिना एक या दोनों आँखों में दो घंटे से कम समय में विस्तार।

(कघ) पोस्ट लेजर डिलिमिटेशन, दो सर्कमफ्रेंशीयल लैटिस छिद्र/फ्लैप टियर के बिना प्रत्येक का एक या दोनों आँखों में एक घंटे से कम समय में विस्तार होता हो।

(x) केराटोकोनस - केराटोकोनस अनफिट है।

147. दृश्य तीक्ष्णता/रंगबोधक दृष्टि – इस अध्याय के परिशिष्ट घ में दृश्य तीक्ष्णता और रंग दृष्टि संबंधी अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है। जो इन अपेक्षाओं के पूरा नहीं करते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

148. मायोपिया

(क) अनफिट, यदि निर्धारित दृश्य सीमा से बाहर हो।

(ख) अनफिट, यदि उपयुक्त दृश्य तीक्ष्णता स्वीकार्य सीमा के भीतर भी हो बशर्ते-

- (i) उच्च मायोपिया का पारिवारिक इतिहास है, विशेष रूप से जब यह दृष्टि दोष हाल में ही हुआ है।
- (ii) यदि शारीरिक विकास अभी भी प्रत्याशित है।
- (iii) यदि फंडस की उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का सूचक है।

149. रिफ्रेक्टिव सर्जरी- वायुसेना के सभी शाखाओं में कमीशन प्रदान करने के लिए जिन उम्मीदवारों ने केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी (पीआरके, लेसिक, फेमटो लेसिक, इस्माइल या सामान प्रक्रियाएं) करवाई है उनका निपटान इस प्रकार होगा-

(क) **फिट**

- (i) पैरा 146 के परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित शाखा के लिए दृश्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भा.वा.से के उम्मीदवार। उन शाखाओं के लिए जहां सुधारात्मक अपवर्तक वुटियों की अनुमति है वहां ऐसी प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट अपवर्तन ± 1.0 डी एसपीएच या सी वाई एल से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।
- (iii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद किसी समस्या के बिना से कम से कम 12 महीनें बीत गए हो।
- (iv) आँख की अक्षीय लंबाई 26 एम एम से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि आई ओ एल मास्टर द्वारा मापा जाता है।
- (v) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के बाद कॉर्नियल पेकीमीटर से मापे जाने पर कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) **अनफिट**

- (i) रिफ्रेक्टिव एरर के सुधार के लिए रेडियल केराटोटॉमी (आरके) सर्जरी।
- (ii) केराटोरिफ्रेक्टिव सर्जरी के पहले उच्च रिफ्रेक्टिव एरर (>6 डी) वाले व्यक्ति।

150. मोतियाबिंद सर्जरी – आई ओ एल इम्प्लांट के साथ अथवा इसके बिना मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने वाले उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा।

151. नेत्र की अन्य सर्जरी- जिन उम्मीदवारों ने किसी भी प्रकार की इनवेसिव सर्जरी करवाई हो, जैसे कि इम्प्लाटेबल कोलामर लेंस (आईसीएल), ट्रेबेक्यूलेक्टोमी, इम्प्लांट के साथ या बिना ग्लूकोमा सर्जरी, राइबोफ्लेविन (सी3आर) के साथ कॉर्नियल कोलेजन क्रॉसलिंग, आईएनटीएसीएस, कोई भी इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शन, रेटिनल सर्जरी आदि, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

ऑक्युलर मांसपेशी संतुलन

152. स्पष्ट रूप से भेंगे व्यक्ति कमीशन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

153. वायुकर्मी के मामले में अप्रत्यक्ष भेंगेपन अथवा हेटरोफोरिया का मूल्यांकन मुख्य रूप से फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। अच्छे फ्यूजन संवेदन से तनाव और थकान में भी दोनों आंखों की दृष्टि सुनिश्चित होती है। अतः यह स्वीकार्यता का मुख्य मानदंड है।

(क) कन्वर्जेन्स (आर ए एफ नियम के अनुसार मूल्यांकित)

(i) ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेन्स

(कक) 10 सेमी तक – फिट

(कख) 10 सेमी से अधिक – अनफिट

(ii) सब्जेक्टिव कन्वर्जेन्स (एससी) यह कन्वर्जेन्स के दाब में बाइनोक्युलर विजन के अंतिम सिरों को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिव कन्वर्जेन्स, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेन्स की सीमा से 10 सेमी से ज्यादा होता है तो फ्यूजन क्षमता खराब होती है। यह विशेषतः तब होता है जब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेन्स 10 सेमी और इससे ऊपर होता है।

(ख) समंजन (अकॉमडेशन) – मायोप्स के मामले में, करैक्टिव चश्मा ठीक से लगा कर ही समंजन (अकॉमडेशन) का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्गों में समंजन (अकॉमडेशन) के स्वीकार्य मान सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी -1 समंजन (अकॉमडेशन) मान – आयु-वार

आयु (वर्षों में)	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45
समंजन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

154. नेत्र मांसपेशी संतुलन गतिशील है और एकाग्रता, चिंता, थकान, हाइपोक्सिया, दवाओं और शराब के साथ बदलता रहता है। अंतिम मूल्यांकन के लिए उपर्युक्त परीक्षणों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। नेत्र मांसपेशी संतुलन के मूल्यांकन के लिए मानक इस अध्याय के परिशिष्ट च में विस्तृत हैं।

155. मीडिया (कॉर्निया, लेंस, विट्रियस) अथवा फंडूस में पाया गया कोई चिकित्सकीय जांच परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रवृत्ति का हो और जिसके बढ़ने की संभावना हो, वह अस्वीकृति का कारण होगा। यह जांच स्लिट लैंप और माइड्रियासिस के तहत ऑपथेलमोस्कोपी द्वारा की जाएगी।

रतौंधी से संबंधित प्रमाण-पत्र

नाम, आद्याक्षर सहित _____ बैच
संख्या _____ चेस्ट संख्या _____

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे परिवार में रतौंधी का कोई मामला नहीं है और मुझे रतौंधी नहीं है।

दिनांक:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अधिकारी का नाम)

परिशिष्ट – घ

(ऑप्टेलमोलॉजी मानकों का
उपर्युक्त पैरा 147 देखें)

प्रारंभिक प्रवेश पर उम्मीदवारों के लिए विज्युअल स्टैंडर्ड

क्र. सं.	चिकित्सा श्रेणी	शाखा	रिफ्रेक्टिव ऐरर की अधिकतम सीमाएँ	अधिकतम सुधार की सीमाओं के साथ विजुअल एक्ज्यूटी(वीए)	कलर विजन
1.	ए1जी1	एनडीए तथा एएफए में फ्लाइंग शाखा तथा डब्ल्यूएसओ सहित एफ (पी)	हाइपरमैट्रोपिया + 1.5 डी एसपीएच मैनिफेस्ट मायोपिया: शून्य ऐस्टिग्मैटिज्म: + 0.75 डी सीवाईएल (अधिकतम +1.5 डी के अंदर) रैटिनोस्कोपिक मायोपिया : शून्य	एक आँख में 6/6 तथा दूसरी में 6/9, हाइपरमैट्रोपिया के लिए 6/6 तक सुधार योग्य	सीपी-1

टिप्पणी-1 संख्या 1 तथा 2 में दिए कार्मिकों का ऑक्यूलर मसल्स बैलेंस इस अध्याय के परिशिष्ट ड के अनुरूप होना अनिवार्य है।

टिप्पणी-2 - ऊपर वर्णित एसपीएच के सुधार कारकों में विनिर्दिष्ट ऐस्टिग्मैटिक सुधार कारक भी शामिल हैं। विनिर्दिष्ट विजुअल एक्ज्यूटी स्टैंडर्ड तक न्यूनतम संशोधन के कारकों को स्वीकार किया जा सकता है।

फ्लाईंग ड्यूटी के लिए नेत्र मांसपेशियों के संतुलन के मानक

क्र.सं.	टेस्ट	फिट
1.	06 मी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 06 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
2.	33 सेमी पर मैडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो – 16 प्रिज्म डी ईएसओ – 06 प्रिज्म डी हाइपर – 01 प्रिज्म डी हाइपो – 01 प्रिज्म डी
3.	टी एन ओ टेस्ट या टिटमस फ्लार्ड टेस्ट	सभी बी एस वी ग्रेड
4.	कन्वरजेंस	10 सेमी तक
5.	दूर और नजदीक के लिए कवर टेस्ट	अंतर्निहित विचलन/ कन्वर्जेंस रिकवरी तीव्र एवं पूर्ण

हीमोपोइटिक सिस्टम

156. एस एम बी के दौरान एनीमिया के सभी मामलों (पुरुषों में <13 ग्रा/डीएल तथा महिलाओं में <12 ग्रा./डीएल) को अनफिट माना जाएगा।

157. ऐसे सभी उम्मीदवार जो वंशानुगत हीमोलाइटिक एनीमिया (लाल कोशिका झिल्ली में विकृति के कारण या लाल कोशिका में एंजाइम की कमी के कारण) तथा हीमोग्लोबिनोपैथि (सिकल सैल रोग, बीटा-थैलेसिमिया: मेजर, इंटरमीडिया, माइनर, ट्रेट तथा अल्फा थैलेसीमिया इत्यादि) से पीड़ित हैं, उन्हें सेवा के लिए अनफिट माना जाएगा।

158. हीमोफीलिया या वॉन विलेब्रांड रोग के पुराने मामलों वाले उम्मीदवारों को अनफिट घोषित किया जाना चाहिए। पर्पूरा या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नैदानिक प्रमाण वाले उम्मीदवारों को अनफिट माना जाना चाहिए। पर्पूरा सिंप्लेक्स (सरल आसान चोट) के मामले, जो अन्यथा स्वस्थ महिलाओं में देखा जाने वाला एक सौम्य विकार है, को स्वीकार किया जा सकता है।

159. मोनोसाइटोसिस : 1000/सी यू एम एम से अधिक या कुल डब्ल्यू बी सी के 10% से अधिक या के बराबर पूर्ण मोनोसाइट काउंट को अनफिट माना जाएगा।

160. इओसिनोफिलिया : पूर्ण इओसिनोफिलिया काउंट यदि 500/सी यू एम एम से अधिक या बराबर है तो उन्हें अनफिट माना जाएगा।

161. पुरुषों में 16.5 ग्राम/डी एल से अधिक तथा महिलाओं में 16 ग्राम/डी एल से अधिक हीमोग्लोबिन को पॉलीसीथिमिया माना जाएगा और उन्हें अनफिट श्रेणी में रखा जाएगा।

दंत संबंधी स्वस्थता मानक

162. दंत संबंधी मानक (डेंटल स्टैंडर्ड)

(क) उम्मीदवार के न्यूनतम 14 डेंटल प्वाइंट होने चाहिए और ऊपरी जबड़े में उपस्थित निम्नलिखित दांत निचले जबड़े के तदनुरूपी दांत के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए।

(i) छह एंटीरियर में से कोई चार।

(ii) दस पोस्टीरियर में से कोई छह।

(ख) उपर्युक्त दंत मानकों का पालन किया जाए और जो उम्मीदवार इन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

163. मुँह की अतिरिक्त जांच

(क) चेहरे की पूरी जांच – किसी असिमेट्री अथवा सॉफ्ट/हार्ड टिशु डिफेक्ट/स्कार्स अथवा जबड़े की कोई इनसिपिट पैथोलॉजिकल दशा का संदेह होने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) क्रियात्मक जांच

(i) टेम्पोरो-मेनडिब्यूलर ज्वाइंट (टी एम जे) – टेंडरनेस तथा/अथवा क्लिकिंग के लिए टी एम जे को दुतरफा रूप से स्पर्श करके देखा जाएगा। उम्मीदवार जिनमें रोग सूचक क्लिकिंग तथा/अथवा टेंडरनेस है अथवा अधिक खोलने पर टी एम जे हट जाता है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) मुख खोलना – इन्सिजल किनारों पर 30 एम एम से कम मुख खुलना, अस्वीकृति का कारण होगा।

164. विशेष परिस्थितियों में डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश -

(क) दंत क्षय (क्षरण) – डेंटल कैरीज वाले दांत जिन्हें ठीक नहीं किया गया हो अथवा दांत के क्षतिग्रस्त क्राउन, जिनकी पल्प (मज्जा) दिखाई देती हो, रेजिड्युअल रूट स्टम्प्स हो, एब्सेसिस (विदग्धि) वाले दांत तथा/अथवा साइनस वाले दांत को डेंटल प्वाइंटों के निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

(ख) रेस्टोरेशन्स – ऐसे दांत जिनका पुनः स्थापन (रेस्टोरेशन) हुआ हो, लेकिन वे टेढ़े-मेढ़े/टूटे हुए/बदरंग दिखाई देते हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे। जिन दांतों का रेस्टोरेशन अनुपयुक्त सामग्री से किया गया हो, अस्थायी अथवा फ्रेक्चर होने पर रेस्टोरेशन हो तथा जिनकी संदेह-युक्त न्यूनतम सुस्वस्थता हो अथवा पेरि-एपिकल पैथोलॉजी को डेंटल प्वाइंट निर्धारण करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ग) दांतों का हिलना – हिले हुए दांत जिनमें चिकित्सकीय (रोग विषयक) रूप से मोबिलिटी दिखाई देती हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) रिटेण्ड डेसीडुअस दांत – रिटेण्ड डेसीडुअस दांत को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे।

(ङ) आकृति मूलक कमियां – आकृतिमूलक कमियों वाले दांत जिनसे ठीक ढंग से चबाया जाना बाधित होता हो, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(च) पीरियोडोंटियम

- (i) डेंटल प्वाइंट्स गणना हेतु मसूडों की स्थिति शामिल होगी। इनका स्वस्थ होना आवश्यक है अर्थात् गुलाबी रंग के हों, सुसंगत हों तथा दांतों पर मजबूती से कसे हों, दिखाई देने वाली कैलकुलस नहीं होनी चाहिए।
- (ii) व्यक्ति जिनके दांत पीरियोडोन्टिटाइस (सूजे, लाल अथवा संक्रमित मसूडे हों या दांतों में स्पष्टतः दिखाई देने वाले कैलकुलस हों) से ग्रस्त हों, उन्हें डेंटल प्वाइंट प्रदान नहीं किए जाएंगे।
- (iii) गंभीर पेरियोडोंटल रोग से ग्रस्त (सामान्य कैलकुलस वाले उम्मीदवार जिनके मसूडों में अधिक सूजन है एवं मसूडे लाल हैं और जिनमें रिसाव हो अथवा न हो,) उम्मीदवारों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि पेरियोडोंटल रोग गंभीर नहीं है तथा दांत स्वस्थ हैं एवं दंत-चिकित्सा अधिकारी की राय में दांत निकाले जाने को छोड़कर सरल पेरियोडोंटल थेरेपी द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता है तो उम्मीदवार को स्वीकार किया जा सकता है।

(छ) **कुसंयोजन (मेलोक्लूजन)** – मेलोक्लूजन वाले ऐसे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा जिनकी मेस्टीकेटरी दक्षता एवं फोनेटिक्स उससे प्रभावित हो। ओपन बाइट टीथ (दांत) को डेंटल प्वाइंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें कार्यात्मक स्थिति में नहीं माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनमें ओपन बाइट है, रिवर्स ओवरजेट है अथवा कोई अन्य दिखाई देने वाला मेलोक्लूजन है, तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, यदि डेंटल अधिकारी की यह राय है कि मेलोक्लूजन के कारण दांतों के ठीक ढंग से चबाने, फोनेटिक्स, ओरल हायजीन बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण अथवा ड्यूटी को भली-भांति निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं है तो उम्मीदवार फिट घोषित किया जाएगा। मेलोक्लूजन का आकलन करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

- (i) **एज टू एज बाइट** – एज टू एज बाइट को क्रियात्मक स्थिति माना जाएगा।
- (ii) **एंटीरियर ओपन बाइट** - एंटीरियर ओपन बाइट वाले दांतों को फंक्शनल अपोजीशन में कमी के रूप में लिया जाता है।
- (iii) **क्रॉस बाइट** – क्रॉस बाइट दांत, जो अभी भी क्रियात्मक ओक्लूजन के रूप में हों, और यदि ऐसा है, तो उन्हें प्वाइंट दिए जाएंगे।
- (iv) **ट्रॉमेटिक बाइट** – यदि एंटीरियर दांतों, से डीप इम्पिंग बाइट की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, जो पेलेट पर ट्रॉमिक इंडेंटेशन उत्पन्न करती हो, तो उसे प्वाइंट हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ज) **कठोर (हार्ड) तथा कोमल (सॉफ्ट) ऊतक (टिशू)** – गाल, होंठ, तालु, जीभ तथा जीभ का निचला भाग व मैक्सिला/मेन्डिबुलर बोनी अपरेटस की जांच किसी भी प्रकार की सूजन, बदरंग होने, अल्सर, स्कार्स, सफेद दाग-धब्बों, सब-म्यूकस फाइब्रोसिस इत्यादि के लिए अवश्य की जाएगी। सभी संभावित घातक घाव अस्वीकृति का कारण हो सकते हैं। मुख खोल पाने की सीमा के साथ या उसके बिना, सब-म्यूकस फाइब्रोसिस हेतु चिकित्सीय निदान (डायग्नॉसिस) अस्वीकृति का कारण होगा। बोनी लेज़न का उनकी पैथोलॉजिकल/फिजियोलॉजिकल प्रकृति जानने हेतु आकलन किया जाएगा और तदनुसार टिप्पणी की जाएगी। कोई भी हार्ड अथवा सॉफ्ट टिशू लेज़न अस्वीकृति का कारण होगा।

(झ) ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण – फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक्स लिंगुअल रीटेनर्स को पेरियोडॉन्टल स्पिलिंग्स नहीं माना जाएगा तथा इन रीटेनरों में शामिल दांतों को फिटनेस हेतु प्वाइंट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार फिक्स्ड अथवा रिमूवेबल ऑर्थोडॉन्टिक उपकरण पहने हों, उन्हें अनफिट घोषित किया जाएगा।

(ट) डेंटल इम्प्लांट्स – इम्प्लांट्स तथा इम्प्लांट्स से सहायता प्राप्त प्रोस्थेसिस को कोई डेंटल प्वाइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामले जिसमें भूतपूर्व-सैनिक जो पुनःपंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें डेंटल प्रोस्थेसिस हटवाने के लिए डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

(ठ) स्थायी पार्शियल डेंचर्स (एफ पी डी)/इम्प्लांट सपोर्टेड एफ पी डी – मजबूती तथा सामने के दांतों के क्रियात्मक अपोजिशन तथा एबटमेंट्स के पेरियोडॉन्टल स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सीय तथा रेडियोलॉजी की सहायता से एफपीडी का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि सारे मानक संतोषजनक पाए जाते हैं तो वास्तविक दांतों के लिए, डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

नोट – किसी भी कृत्रिम अंग, हटाए जाने योग्य/स्थिर या प्रत्यारोपण जनित उस घटक में वास्तविक दांत/दांतों को डेंटल प्वाइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

165. उम्मीदवार को अनफिट घोषित करने के निम्नलिखित मानदंड होंगे –

(क) ओरल हायजीन - ओरल हायजीन की खराब स्थिति के रूप में ग्रांस विजिबल कैलकुलस, पीरियोडॉन्टल पॉकेट्स तथा/अथवा मसूड़ों से रक्तस्राव के रूप में खराब ओरल हेल्थ वाले उम्मीदवार अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(ख) मैक्सिलो-फेशियल सर्जरी/मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार - फेशियल सर्जरी/मैक्सिलो-फेशियल ट्रॉमा की सूचना देने वाले उम्मीदवार – जिनकी कॉस्मेटिक अथवा ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी/ट्रॉमा हुआ है, ऐसे उम्मीदवार सर्जरी/इंजरी, जो भी बाद में हो, की तिथि से न्यूनतम 24 सप्ताह के लिए अनफिट होंगे। इस अवधि के पश्चात् यदि कोई रेजिडुअल (डिफार्मिटी) अथवा कार्यात्मक कमी न हो तो उनका मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) पायरिया के सामान्य एक्टिव घाव (विक्षति) की एडवांस स्टेज से तथा एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस से ग्रसित तथा अत्यधिक असामान्य दांतों तथा जबड़े वाले उम्मीदवार अथवा जिनमें असंख्य कैरिस (दंतक्षय) हो अथवा जो सेप्टिक दांतों से प्रभावित हों, उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा।

1. थलसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
2. नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं।
3. वायु सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानक और चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया www.careerindianairforce.cdac.in पर जाएं।

टिप्पणी : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की मामला दर मामला के आधार पर अनुमति होगी। कमांडेंट चयन केंद्र ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

परिशिष्ट – (IV)

(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)

थलसेना के अधिकारियों और वायु सेना तथा नौसेना में समकक्ष रैंक के अधिकारियों का वेतनमान

रैंक	लेवल	(वेतन, रुपये में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 – 1,77,500
कप्तान	लेवल 10 ख	61,300 - 1,93,900
मेजर	लेवल 11	69,400 – 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12 क	1,21,200 – 2,12,400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600 - 2,15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13 क	1,39,600 - 2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200 - 2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1,82,200 - 2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 – 2,24,400
उप सेना प्रमुख / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल	लेवल 17	2,25,000/- (नियत)
सेना प्रमुख	लेवल 18	2,50,000/- (नियत)

अधिकारी को देय सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को देय सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15,500 प्रतिमाह नियत
---	-------------------------

कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा: -

अधिकारी कैडेटों को सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान वजीफा अर्थात् आईएमए और ओटीए के प्रशिक्षण अवधि के दौरान।	रु. 56,100/- प्रतिमाह* (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)
--	--

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथा-अनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(i) **अन्य भत्ते:-** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा जोखिम एवं कठिनाई भत्ता शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र के जोखिम एवं कठिनाई के अनुसार उसके पात्रता के अनुरूप भत्ता मिलता है, जहां वह सेवारत है।

(क)	महंगाई भत्ता	समय-समय पर असैनिक कर्मचारियों को यथा-अनुमेय दरों तथा शर्तों पर स्वीकार्य होगा
-----	--------------	---

(ii) **वर्दी भत्ता** *20,000/- रुपये प्रति वर्ष

(iii) **मुफ्त आहार सामग्री**

शांति और फील्ड क्षेत्र में

(iv) **परिवहन भत्ता (टीपीटीए)**

वेतन लेवल	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
10 और ऊपर	रु.7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु.3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट:-

(क) **उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):**-

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है, उन सेवा कर्मियों के लिए यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं, उनको आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने या 15,750 रुपये प्रति माह की दर से टीपीटीए + महंगाई भत्ता आहरित करने का विकल्प मिलेगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ङ) शारीरिक रूप से दिव्यांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो प्रति माह न्यूनतम 2250 रु.+ उस पर देय महंगाई भत्ता होगा।

(vi) संतान शिक्षा भत्ता * 2250/-रु प्रति माह

* प्रत्येक बार महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर यह दर 25% बढ़ा दी जाएगी

(i) वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में केवल एक बार प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है)।

(ii) सरकारी कर्मचारी का बालक जहां अध्ययनरत है उस संस्थान के प्रमुख से इस उद्देश्य का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण-पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चा उस विद्यालय में पढ़ा था।

रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, प्रत्येक बार संशोधित वेतनबैंड पर देय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर इन भत्तों की दरें स्वतः 25% बढ़ जाएंगी (भारत सरकार पत्र सं.ए-27012/02/2017-स्थापना (ए एल) दिनांक 16 अगस्त 2017)।

(iii) कृपया नोट करें कि वेतन एवं भत्ते और तत्सम्बन्धी नियम / प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

(क) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. उम्मीदवार को भारतीय सैन्य अकादमी में भर्ती से पूर्व :

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है या कमीशन को अस्वीकार कर देता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या वह राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन अधिकारी कैडेट के रूप में दर्ज किए जायेंगे। अधिकारी कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च का सरकार वहन करेगी, तथापि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद वहन करेंगे।

4. भारतीय सैन्य अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च नहीं होती है वह:

(क) कमीशन दे दिए जाने के बाद कैडेट को दे दी जाएगी, अथवा

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएंगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

5. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण शुरू होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट को मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाता उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

6. प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही कमीशन दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

7. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अधिकारियों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होंगी।

8. प्रशिक्षण: भारतीय सैन्य अकादमी में अधिकारी कैडेट को 18 माह के लिए कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफैंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त अधिकारी कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि: एस1एच1ए1पी1ई1 में चिकित्सकीय रूप से फिट हों।

9. सेना समूह बीमा निधि (एजीआईएफ) वजीफा प्राप्त करने के दौरान अधिकारी कैडेटों का नियमित सेना के अधिकारियों के लिए लागू 1.25 करोड़ रुपये का बीमा किया जाता है। नियमित सेना अधिकारियों के लिए एजीआई योजना के तहत सदस्य बनने के लिए अधिकारी कैडेटों को मासिक आधार पर 12,500/- रुपये की दर से सदस्यता का अग्रिम भुगतान करना होगा। जो लोग दिव्यांगता के कारण आईएमबी द्वारा अमान्य कर दिए गए हैं और किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। 20 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए इसे आनुपातिक रूप से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा। हालाँकि, 20 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए, केवल 50,000/- रुपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशीली दवाओं की लत और नामांकन-पूर्व की बीमारियों के कारण हुई दिव्यांगता के फलस्वरूप दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अनुशासनात्मक आधार पर निकाले गए, अवांछित के रूप में निष्कासित किए गए या स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले अधिकारी कैडेट दिव्यांगता लाभ और अनुग्रह राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण/बढ़ी किसी समस्या के कारण उसकी मृत्यु होने की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे:-

(क) दिव्यांगता की स्थिति में

(i) 9000/- रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।

(ii) दिव्यांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत दिव्यांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ ही 16200/- रु प्रति माह की दर से अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान देय होगा जो दिव्यांगता के 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। दिव्यांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई दिव्यांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।

(iii) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 6750/- रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) मृत्यु के मामले में

(i) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ii) निकट संबंधी को 9000/- रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटों (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। तथापि, लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह दिव्यांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकार: भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17(02)/2016-डी (पेंशन/ नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017 के पैरा 11 व 12 के

तहत यथा संशोधित भारत सरकार का पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017)।

11. सेवा के नियम एवं शर्तें:

(i) तैनाती

थलसेना अधिकारी को भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ii) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए सेवा सीमाएं निम्नलिखित हैं:

समय मान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	कमीशन प्राप्त करने पर
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा पूर्ण होने पर

कर्नल
ब्रिगेडियर
मेजर जनरल
लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल

अपेक्षित सेवा शर्तों को
पूरा करने के अध्यधीन
चयन आधार पर

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, एड्लीमला, केरल में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवार स्नातक कैडेट विशेष भर्ती योजना (जीएसईएस) पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएंगे। कैडेटों का चयन सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) जिसके बाद एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सीय जांच होगी, में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के आधार पर होता है। चिकित्सीय जांच में फिट पाए गए मेधावी उम्मीदवारों को कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा/ हाईड्रो) की 32 रिक्तियों पर नियुक्त किया जाएगा (जिसमें एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के तहत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए 06 रिक्ति शामिल हैं)।

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर से उम्मीदवारों का चयन - एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जीएसईएस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी

आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने का पात्र नहीं रहेगा।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इसे संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेगा। ये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।

(ङ) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्वधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उनके द्वारा 35000/- रु. की राशि उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसे वे प्रशिक्षण के लिए आने पर भारतीय स्टेट बैंक, एझीमला शाखा में खुलवाएंगे। चूंकि यह बड़ी राशि है अतः यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को देय डिमांड ड्राफ्ट साथ लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क) जेब खर्च/निजी व्यय	5000/- रु. 1000 रु. प्रति माह की दर से
(ख) धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बालों की कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. 850 रु. प्रति माह की दर से

(ग) अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, 20,000/- रु.
अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े,
जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग
ट्रंक/सूट और बस्ते की सिलाई/खरीद पर व्यय

(घ) सत्र के अंत में वापसी यात्रा, 2,000 रु.
नौ सेना ओरियंटेशन पाठ्यक्रम की
समाप्ति पर ड्यूटी स्टेशन / अवकाश
पर होम स्टेशन जाने के लिए यात्रा व्यय

(ड) **बीमा:** जीएसईएस कैडेटों को छह माह की अवधि के लिए 20,00,000/- रु. (बीस लाख रुपये मात्र) के बीमा कवर के लिए 2303/- रूपए की वापस न की जाने वाली एकमुश्त राशि अदा करनी होगी। यदि उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उनकी दिव्यांगता कवर राशि और अंशदान गैर-जीएसईएस कैडेटों के बराबर होगा। (एनजीआईएफ पत्र संख्या बीए/जीआईएस/215 दिनांक 06 नवंबर 2018)

(iv) **प्रशिक्षण:** चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार परिवीक्षाधीन रहेंगे।

(क)	आईएनए, एड्डीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
(ख)	प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
(ग)	सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
(घ)	सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	33 सप्ताह
(ड)	संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र	06-09 माह

(v) कमीशनिंग तथा अन्य हितलाभ: लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों को सब-लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश लाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं अन्य दोनों सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के सदृश होंगी।

(vi) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, जब तक वे कैडेट रहते हैं, उनका जेब खर्च तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा अभिभावक

उठाएंगे। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 के पास भेज देगा।

टिप्पणी: अतिरिक्त सूचना, यदि आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन, योजना एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) पाठ्यक्रम में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है अर्थात् सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रवेश/ए एफ सी ए टी। जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनके प्रवेश के प्रकार के अनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. **प्रशिक्षण पर भेजना :** वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से फिट पाए जाने वाले उम्मीदवारों को मेरिट तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती उम्मीदवारों और एनसीसी उम्मीदवारों की मेरिट सूची अलग से तैयार की जाती है। सीधे भर्ती फ्लाइट (पायलट) उम्मीदवारों की मेरिट सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की मेरिट सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **प्रशिक्षण:** वायु सेना अकादमी में फ्लाइट शाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

वायु सेना ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी नागरिक जीवन से आए और उड़ान प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट के निकटतम परिजन को बीमा कवर के रूप में 8,600/- रुपये प्रति माह का मासिक अंशदान किए जाने पर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में 1,25,00,000/- रुपये का भुगतान करेगी। यदि प्रशिक्षण ले रहे फ्लाइट कैडेट को चिकित्सकीय रूप से अमान्य होने पर प्रशिक्षण से हटा दिया जाता है, तो उसे 100% दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता बीमा कवर के रूप में 62,50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और यह आनुपातिक रूप से 20% तक कम हो जाता है।

फ्लाइट कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 56,100/- प्रति माह (लेवल 10 में आरंभिक वेतन) की दर से एक निश्चित वजीफा (stipend) मिलेगा। "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद दिए जाने वाले

वजीफे को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा।“

एक बार जब फ्लाइट कैडेटों को सरकार द्वारा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो बीमा कवर 8,600/- रुपये प्रति माह के मासिक अंशदान के लिए उपरोक्तानुसार रहेगा। इस अंशदान में जोखिम तत्व और बचत तत्व शामिल हैं। 8600/- रुपये में से 5120/- रुपये की बचत राशि पर ब्याज मिलता रहेगा और सेवानिवृत्ति के समय उत्तरजीविता लाभ के रूप में उसका भुगतान किया जाएगा।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइट अधिकारी के रैंक में पास आउट होते हैं तथा उस रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति क्रमशः 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन (चुनिंदा) और उच्चतर पदों में पदोन्नति केवल चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश - वर्ष में 60 दिन
आकस्मिक अवकाश - वर्ष में 20 दिन।

अधिकारी यात्रा में होने वाले संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु 10 दिन तक के वार्षिक अवकाश का नकद भुगतान प्राप्त करने के साथ पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 60 दिन की अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/ आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और फिर वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा, चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी हो, तत्पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्ष दूरी पर किसी प्रतिबंध के बिना गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए वाहन भत्ता पाने का पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित फ्लाइटिंग ज्यूटी पर तैनात फ्लाइटिंग शाखा के अधिकारियों को अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की कुल 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

छुट्टी लेकर अपने खर्च पर यात्रा कर रहे अधिकारी अपनी यूनिट से भारत के भीतर किसी भी स्थान तक स्वयं, पत्नी तथा बच्चों के लिए किराए के 60 प्रतिशत का भुगतान करके पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी से यात्रा हेतु एक कैलेंडर वर्ष में 6 एकतरफा यात्रा फॉर्म 'डी' के पात्र होंगे। इसमें से दो फॉर्म 'डी' में पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा, अधिकारी के साथ रहने वाले और पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :** अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाओं आदि के हकदार हैं।

(घ) **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:**

1. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में ज्वाइन करने से पूर्व:

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप कोई चोट लगने, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार से किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक नहीं होगा।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में माना जाए, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है या कमीशन को अस्वीकार कर देता है तो उस पर लगे शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या वह राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापिस करनी होगी।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से अधिकारी कैडेटों पर अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के नियम तथा विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि प्रशिक्षण की लागत सरकार वहन करेगी जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है तथापि उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा।

4. **प्रारंभिक डिपोजिट:** उम्मीदवार को प्रशिक्षण के लिए पहुंचने पर कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के पक्ष में 28,000/- रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा तथा यह चेन्नई में देय होगा जो निम्नलिखित प्रयोजन के लिए होगा:-

(क)	थल सेना समूह बीमा फंड प्रीमियम (पहले दो महीने के लिए 10,000/- रुपए प्रति माह की दर से)	20,000/- रुपए
(ख)	आरंभिक जेब खर्च जिसमें प्रारंभिक आयुध सामग्री का लागत भी शामिल है	8,000/- रुपए

कुल

28,000/- रुपए

5. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथापि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले अधिकारी कैडेट का त्याग-पत्र मुख्यालय एआरटीआरएसी द्वारा स्वीकार होने तक उसे घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं

पर होने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बॉन्ड भरना होगा।

6. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जॉब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। तथापि उन अधिकारी कैडेटों से मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा जो चयन हो जाने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौसेना और वायु सेना में समान कैडेट प्रशिक्षण संस्थान में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देंगे।

7. जिस अधिकारी कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के उपयुक्त नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैन्य उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट अथवा कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

नोट: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शारीरिक मानकों को पूरा करना आवश्यक है:-

क्रम सं.	गतिविधि	अकादमी में पहुंचने पर न्यूनतम शारीरिक मानक	
		अधिकारी कैडेट (पुरुष)	अधिकारी कैडेट (महिला)
(क)	2.4 किमी दौड़	10 मिनट 30 सैकण्ड	13 मिनट
(ख)	पुश अप	40	15
(ग)	पुल अप	06	02
(घ)	सिट अप	30	25
(ङ)	स्क्वाट्स	30 रिपिटिशन के दो सेट	
(च)	लंजेस	10 रिपिटिशन के दो सेट	
(छ)	तैराकी	तैराकी के मूल सिद्धांतों को जानना चाहिए	

8. **प्रशिक्षण :** चुने गए उम्मीदवारों को अधिकारी कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने के उपरांत अधिकारी कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा “रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा” प्रदान किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस भेजे जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

9. **सेवा के नियम एवं शर्तें:**

(क) **परिवीक्षा की अवधि:**

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 माह की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा/रहेगी। यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसे कमीशन प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसे निकाला जा सकता है।

(ख) सेवा का दायित्व:

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त कार्मिकों को समय-समय पर एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा यथानिर्धारित चुनिंदा नियुक्ति पर भारत या विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि:

नियमित थल सेना में पुरुषों एवं महिलाओं को अल्पकालिक सेवा कमीशन 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात् प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे पुरुष एवं महिला अधिकारी जो 10 वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा जारी रखने के इच्छुक होंगे, उन पर हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के दसवें वर्ष में स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

ऐसे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी (पुरुष एवं महिला) जिनका स्थायी कमीशन के लिए चयन नहीं हुआ है लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना से निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त करने हेतु विशेष प्रावधान:

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी पाठ्यक्रम अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है अथवा न ही कर रहे हैं और जो पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेवा छोड़ने हेतु सेना मुख्यालय को आवेदन करना होगा। तत्पश्चात्, सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने से पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे पाठ्यक्रम की यथानिर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए अनिवार्य कॉम्बेट विमानन पाठ्यक्रम अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ पाठ्यक्रम है। उन्हें डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम/ऐसे अन्य विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा।

(ड) बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान:

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

- (i) सिविल पद प्राप्त करने के लिए
- (ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए
- (iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/पारिवारिक व्यवसाय अपनाने पर

(च) स्थायी पदोन्नति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारी इन नियमों के तहत निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (i) कैप्टन के रैंक हेतु | 2 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर। |
| (ii) मेजर के रैंक हेतु | 6 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर। |
| (iii) लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक हेतु | 13 वर्ष की गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर। |

(छ) अनिवार्य शर्तें :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त स्थायी रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु लागू पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष तथा महिला अधिकारियों पर भी लागू होंगी।

(ज) वरिष्ठता का समायोजन :

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि की तुलना में एस.एस.सी. पुरुष तथा महिला अधिकारियों की अपेक्षाकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण अवधि को समायोजित करने के लिए एस.एस.सी. पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता विचाराधीन एस.एस.सी. पाठ्यक्रम तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि के बीच अंतर की सदृश (कोरेसपोंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दी जाएगी। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :

उपर्युक्त पैरा 10 (ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अधीन, इन आदेशों के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से

घटाई गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फलों दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ज) छुट्टी:

समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-I सेना, के अनुसार अवकाश देय होगा।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेवा अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय IV में उल्लिखित हैं। वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से पास आउट करने पर तथा ज्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।

एस.एस.सी महिला अधिकारी भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए हकदार होंगी:-

- **मातृत्व अवकाश :** थलसेना की महिला अधिकारी – सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56।
- **शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव)** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खण्ड-I- थलसेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56क, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. बी/33922/एजी/पी एस-2(बी)/3080/डी (एजी-II) दिनांक 19 नवंबर, 2018 द्वारा यथासंशोधित।
- **शिशु गोद लेने के लिए अवकाश** – थलसेना की महिला अधिकारी - सेवाओं के लिए अवकाश नियम खंड-I - सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-IV का नियम 56बी।

(ट) कमीशन की समाप्ति :

भारत सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी के कमीशन को निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

- (i) कदाचार या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनफिट होने पर, या
- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

किसी अधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर तीन महीने का नोटिस देने पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए भारत सरकार पूर्णतः निर्णायक होगी। अनुकम्पा के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अधिकारी सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) आवधिक उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस०एस०सी०ओ० सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) रिजर्व में रहने का दायित्व :

सेवा की संविदात्मक सीमा की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर वे पांच वर्ष की अवधि सहित अतिरिक्त दो वर्ष स्वैच्छिक आधार पर अथवा पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) विविध :

सेवा संबंधी अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जो नियमित अधिकारियों के लिए लागू हैं जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है।
